लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ४८, १९६०/१८८२ (शक)

[२८ नवम्बर से ९ दिसम्बर, १९६० / ७ से १८ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

2nd Lok Sabha

बारहवां सत्र, १९६०/१८८२ (शक)

(खण्ड ४८ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[द्वितीय माला, खंड ४८—अंक ११ से २०—७ नवम्बर से ९ दिसम्बर, १९६०/७ से १८ अग्रहायण, १८८२ (शक)]

अंक ११—सोमवार, २८ नवम्बर, १९६०/७ अग्रहायण, १८८२ (शक)

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण १२६१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४९३ से ५००, ५१८ और ५०१ १२६१—८६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५०२ से ५१७ और ५१९ से ५२६ . . १२८७—१२९८

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४५ से ९१३, ९१५ से ९३४। . . १२८९—१३४४

सभा पटल पर रखे गये पत्र १३४५

अनुदान की अनुपूरक मांग (रेलवे), १९६०–६१ के बारे में विवरण १३४५

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना १३४५—४८

(१) स्टैनवैक द्वारा शुल्क संरक्षण का अध्यपर्ण

(२) कानपुर में युद्धास्त्र कारखानों के आंशिक रूप से बाद हो जाने का समाचार

समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंड ७९ से ९७ और ९९ से १८१ . . . . . १३४८—७४

नालागढ़ समिति के बारे में आधे घंटे की चर्चा १३७४- —७९

दैनिक संक्षेपिका . . . . . १३८०—८५

अंक १२—मंगलवार, २९ नवम्बर, १९६० / ८ अग्रहायण, १८८२ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५२७ से ५३२, ५३४ से ५३६, ५३९, ५४१ और ५४२ . १३८७—१४०९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३३, ५३७, ५३८, ५४० और ५४३ से ५६६ . १४०९—२४

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से १०१३ . . . १४२४—५८

राष्ट्र मंडल प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के बा में वक्तव्य . . १४५९

सभा पटल पर रखे गये पत्र १४५९

अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य), १९६०–६१ के बारे में विवरण . १४५९

विषय	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या ६९२ के उत्तर की शुद्धि .	१४६०
समवाय (संशोधन) विधेयक-संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंड १८१ से १९०, १९२ से २०३, २०५ से २१५, १९१, २०२ और २०४	१४६०—७९
प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव . .	१४७९—९३
दैनिक संक्षेपिका	१४९४—९९
अंक १३—बुधवार, ३० नवम्बर १९६०/९ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६८ से ५७१ और ५७३ से ५७६ .	१५०१—२२
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ .	१५२२—२६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ५६७, ५७२ और ५७७ से ६०४ .	१५२६—३९
अतारांकित प्रश्न संख्या १०१४ से १०९० और १०९२ से १०९८	१५३९—७८
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	१५७८—७९
राज्य सभा से सन्देश	१५७९
ब्रिटिश संविधि—(भारत पर लागू होना) निरसन विधेयक—राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया . .	१५७९
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
तिहत्तरवां प्रतिवेदन . . .	१५७९
रेलवे अभिसमय समिति का प्रतिवेदन . .	१५७९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत पाकिस्तान रेल सम्पर्क सम्बन्धी समझौता .	१५८०—८१
कांगो की घटनाओं के बारे में वक्तव्य . . .	१५८२—८६
समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में—	
खंड ५ क, ९८ और १ . . .	१५८६—१६०४
पारित करने का प्रस्ताव . .	१६०४
सिन्धु पानी करार के बारे में चर्चा . .	१६०५—२६
दैनिक संक्षेपिका .	१६२७—३३

विषय	पृष्ठ
अंक १४—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९६० / १० अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६०५ से ६०९, ६११, ६१२ और ६१४ . .	१६३५—५६
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६१०, ६१३, ६१५ से ६३४ .	१६५६—६६
अतारांकित प्रश्न संख्या १०९९—११६८ .	१६६६—९४
स्थगन प्रस्तावों के बारे में	१६९४—९५
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	१६९५—९६
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
१३ नवम्बर, १९६० को भाखड़ा बांध में हुई दुर्घटना . .	१६९६—९७
भारत पाकिस्तान वित्तीय वार्ता के बारे में वक्तव्य . .	१६९७—९८
गैर-प्रनुसूचित संचालकों के प्रति नीति के बारे में वक्तव्य .	१६९८—९९
समवाय (संशोधन) विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	१६९९—१७१३
निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	१७१३—२७
कार्य मंत्रणा समिति—	
अट्ठावनवां प्रतिवेदन .	१७२७
दैनिक संक्षेपिका . .	१७२८—३३
अंक १५—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९६० / ११ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६३६ से ६४५	१७३५—५५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ६३५ और ६४६ से ६७९ . . .	१७५५—७०
अतारांकित प्रश्न संख्या ११६९ से १२५२ . .	१७७०—१८०८
स्थगन प्रस्ताव—	
बेरूबाड़ी का पाकिस्तान को हस्तांतरण और अर्जित राज्यक्षेत्र (विलय) विधेयक का राज्य विधान मंडलों को निर्देश .	१८०८—१२

विषय	पृष्ठ
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	१८१२–१३
सभा का कार्य .	१८१३–१४, १८१४–१५
कार्य मंत्रणा समिति––	
अट्ठावनवां प्रतिवेदन . .	१८१४
निवारक निरोध (जा ी रखना) विधेयक––	
विचार करने का प्रस्ताव	१८१५––३४
ग़ैर सरका ी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति––	
तिहत्तरवां प्रतिवेदन	१८३४
सामान्य बीमा के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प . .	१८३४––४४
निशान लगा कर मतदान करने की नई प्रणाली के बा ं में संकल्प . .	१८४४––५१
दैनिक संक्षेपिका	१८५२––५८
अंक १६––सोमवार, ५ दिसम्बर, १९६० / १४ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८०, ६८१, ६८३ से ६८६, ६८८, ६९०, ७०३, ६९४ से ६९९, ७०१ और ७०२ . .	१८५९––८३
अल्प सूचना प्रश्न संख्या २	१८८३––८५
प्रश्नों के लिखित उत्तर––	
तारांकित प्रश्न संख्या ६८२, ६८७, ६८९, ६९१ से ६९३, ७०० और ७०४ से ७१८	१८८५––९४
अतारांकित प्रश्न संख्या १२५३ से १२६२, १२६४ से १३२८ और १३३०	१८९४––१९२६
स्थगन प्रस्ताव––	
भिलाई इस्पात कारखाने के कर्मचारियों की प्रस्तावित छंटनी	१९२६–२७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१९२८
राज्य सभा से सन्देश	१९२८
निरसन तथा संशोधन विधेयक––	
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा पटल पर रखा गया .	१९२८
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति . .	१९२९
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक––	
संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	१९२९
अधिमान-प्राप्त अंश (लाभांशों का विनियमन) विधेयक––	
प्रवर समति का प्रतिवेदन .	१९२९

विषय	पृष्ठ
मोटर परिवहन कर्मचारी विधेयक—	
संयुक्त समिति के समक्ष दिया गया साक्ष्य	१९२९
गुरुद्वारा रकाबगंज के निकट घटनाओं के बारे में वक्तव्य पाकिस्तान को बेरूबाड़ी के हस्तांतरण के बारे में केन्द्रीय सरकार और पश्चिम बंगाल की सरकारके बीच हुई चर्चा के बारे में वक्तव्य निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक विचार करने का प्रस्ताव . . .	१९२९—५१
खंड २ तथा १ .	१९५१—५५
पारित करने का प्रस्ताव	१९५५—५९
सभा का कार्य	१९६०
अनुदानों की अनुपूरक मांग (रेलवे) १९६०–६१	१९६०—६६
रेलवे अभिसमय समिति के प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	१९६६—७१
दैनिक संक्षेपिका .	१९७२—७९
अंक १७—मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९६०/१५ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७१९, ७२०, ७२२ से ७२८ और ७३० से ७३२	१९८१—२००५
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२९ तथा ७३३ से ७४३ .	२००५—११
अतारांकित प्रश्न संख्या १३३१ से १४०५ . .	२०११—४१
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२०४१–४२
विधेयक-पुरस्थापित—	
(१) विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक	२०४२
(२) प्रसूति लाभ विधेयक . . .	२०४२
रेलवे अभिसमय समिति प्रतिवेदन के बारे में संकल्प	२०४३—७२
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६०–६१ .	२०७३—७६
कृषि-जन्य पदार्थों के निम्नतम मूल्य के बारे में आधे घंटे की चर्चा .	२०७७—८४
दैनिक संक्षेपिका	२०८५—८९
अंक १८—बुधवार, ७ दिसम्बर, १९६०/१६ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७४४ से ७४७ और ७४९ से ७५२ . .	२०९१—२११०
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७४८ तथा ७५३ से ७७८ . .	२११०—२१

विषय सूची

	पृष्ठ
अतारांकित प्रश्न संख्या १४०६ से १४९६ . .	२१२१—६३
अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना —	
(१) एक भारतीय गांव पर कथित पाकिस्तानी हमला	२१६३–६४
(२) गैर सरकारी क्षेत्र में कच्चे लोहे के संयंत्र	२१६५—६७
सभा पटल पर रखे गये पत्र .	२१६४–६५
तारांकित प्रश्न संख्या १२३० के उत्तर की शुद्धि	२१६७–६८
विनियोग (रेलवे) संख्या ५ विधेयक-पुरस्थापित	२१६८–६९
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य) १९६०–६१ .	२१६९—९२
चीनी के उत्पादन, वितरण और निर्यात के बारे में प्रस्ताव . .	२१९२—२२१५
पश्चिमी बंगाल के लिये पी० एल० ४८० निधि के बारे में आधे घंटे की चर्चा	२२१५—१८
दैनिक संक्षेपिका	२२१९—२५
अंक १९—गुरुवार, ८ दिसम्बर १९६०/१७ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७७९ से ७८२, ७८४, ७८५, ७८७ और ७८९ से ७९२ । . . .	२२२७—४९
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ७८३, ७८६, ७८८ और ७९३ से ८०४ .	२२४९—५६
अतारांकित प्रश्न संख्या १४९७ से १५५८ . .	२२५६—८३
सभा पटल पर रखे गये पत्र . .	२२८४
राज्य सभा से सन्देश	२२८४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
राष्ट्रमंडल में गणराज्य बनने का दक्षिण अफ्रीका का निर्णय .	२२८४–८५
विनियोग (संख्या ५) विधेयक-पुरस्थापित . .	२२८५
भारतीय डाकघर (संशोधन) विधेयक के बारे में . .	२२८५–८६
वायदे के सौदे (विनियम) संशोधन विधेयक —	
विचार करने का प्रस्ताव . .	२२८१—२३००
भारतीय डाक घर (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव .	२३००–२३०१
खंड १ और २ . .	२३०१
पारित करने का प्रस्ताव . .	२३०१
भारत में खेल कूद के बारे में प्रस्ताव	२३०२—१७
दैनिक संक्षेपिका	२३१९—२३

विषय	पृष्ठ
अंक २०—शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९६०/१८ अग्रहायण, १८८२ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८०५ से ८०७, ८०९ से ८११, ८१३ से ८१५ और ८१७ से ८१९	२३२५—४९
अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . .	२३४९—५१
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८१२, ८१६ और ८२० से ८२९ . .	२३५१—५७
अतारांकित प्रश्न संख्या १५५९ से १६२० . .	२३५७—८३
स्थगन प्रस्ताव—	
कांगो में भारतीय सैनिक दल	२३८३—८४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२३८४—८५
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
भारत पाकिस्तान व्यापार वार्ता	२३८५—८६
सभा का कार्य . . .	२३८७
विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९६०—पारित .	२३८७—८८
वायदे के सौदे (विनियमन) संशोधन विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . . .	२३८८—२४०५
खंड २ से २२ और १ . .	२३९९—२४०५
पारित करने का प्रस्ताव .	२४०५
सदस्य की गिरफ्तारी	२४०५
दिल्ली किराया नियंत्रण (संशोधन) विधेयक (श्री तंगामणि का) पुरस्थापित .	२४०५
नैमित्तिक श्रमिकों की नियुक्ति का अन्त विधेयक—अस्वीकृत—	
विचार करने का प्रस्ताव	२४०६—११
भारतीय पुरातत्व संस्था विधेयक—	
परिचालित करने का प्रस्ताव	२४११—१६
दैनिक संक्षेपिका	२४१७—२२

नोट—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

GIPND—LS III—1623(Ai)LSD—30-12-60—115.

लोक-सभा

मंगलवार २९ नवम्बर, १९६०

८ अग्रहायण, १८८२ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

+

*५२७. श्री भक्त दर्शन :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री विश्वनाथ राव :
श्री राम शरण :

क्या शिक्षा मंत्री २४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम लागू करने में और क्या प्रगति हुई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : राज्य सरकार ने ६६१.९२ लाख रुपये का एक संशोधित प्राक्कलन भेजा है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ इस पर परामर्श किया जा रहा है और इसकी जांच हो रही है ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह आशा की जाती है कि अगले शिक्षा सत्र तक इस पर निर्णय हो कर यह चालू योजना चालू हो जायेगी ?

डा० केसकर : यह तो जाहिर बात है कि इसे जारी कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर है। यहां पर सवाल यह है कि जो प्रपोजल उन्होंने भेजा है, उस के लिये रुपया दिया जा सकता है या नहीं। इस पर विचार हो रहा है। इस पर अन्तिम राय यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमिशन

1477 (Ai) LSD—1

की होगी, और चूंकि उत्तर प्रदेश की सरकार ने तीसरी बार यह रिवाइज्ड प्रपोजल भेजा है, इस लिये इस में कुछ देर लगना अनिवार्य हो जायेगा ।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त** : अन्य राज्यों में क्या स्थिति है ?

†**डा० केसकर** : मुझे उसके लिए सूचना चाहिये ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या आगरा विश्वविद्यालय ने इस योजना को कार्यान्वित करने में कुछ कठिनाइयों की ओर संकेत किया है और यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने उन कठिनाइयों को जो राज्य सरकार ने भी बतायी हैं, दूर करने के लिए कोई कार्यवाही की है ?

†**डा० केसकर** : यह आगरा विश्वविद्यालय का प्रश्न नहीं है । यह उत्तर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों का प्रश्न है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : मैं आगरा विश्वविद्यालय के बारे में पूछ रहा हूं ।

†**डा० केसकर** : विभिन्न विश्वविद्यालयों की कठिनाइयों और योजनाओं के ब्यौरों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम लागू करने में जो खर्च किया जाता है उस में सभी राज्यों में भारत सरकार का कितना हिस्सा होता है, क्या वह प्रत्येक राज्य के लिए अलग अलग है या सभी राज्यों को एक ही अनुपात से खर्च दिया जाता है ?

†**डा० केसकर** : आज सामान्य सिद्धान्त यही है कि इस विशिष्ट योजना में केन्द्रीय सरकार ५० प्रतिशत खर्च करेगी और बाकी ५० प्रतिशत खर्च राज्य सरकार को करना होगा उत्तर प्रदेश के संबंध में कठिनाई यह रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार चाहती थी कि केन्द्रीय सरकार सौ प्रतिशत खर्च करे ।

श्री राम शरण : क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आर्थिक कठिनाई के अतिरिक्त क्या यू० पी० की सरकार चाहती है कि हायर सेकेन्डरी स्टेज को बजाय ११ वर्ष के १२ वर्ष का रक्खा जाय ।

डा० केसकर : उत्तर प्रदेश सरकार की ने यह बतलाया था कि जितने कालेज और यूनिवर्सिटीज उनके के यहां हैं, उन का पुनर्संगठन करने में उन को कुल मिला कर ८ करोड़ ५२ लाख रु० खर्च करने पड़ेंगे, और वह चाहते थे कि वह सारा खर्चा केन्द्रीय सरकार दे । यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमिशन के सामने यह पेश किया गया । यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमिशन ने इस को मानने से इन्कार किया और कहा कि वह इसे मंजूर नहीं करते हैं । मुमकिन है कि यह मामला मुल्तवी हो जाता लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार ने तीसरा प्रपोजल भेजा है जिस में साढ़ आठ करोड़ के बजाय ६ करोड़, ६१ लाख रु० खर्च होने की संभावना है ।

डा० राम सुभग सिंह : उन का सवाल यह था कि क्या यूनिवर्सिटी ग्रान्ट्स कमिशन ने सुझाव दिया है कि ११ वर्ष के बजाय १२ वर्ष का कोर्स हायर सेकेन्डरी का हो जाय क्योंकि यूनिवर्सिटीज का तीन वर्ष का ही डिगरी कोर्स है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० केसकर : इस के बारे में इस वक्त मेरे पास जानकारी नहीं है। यह सवाल यूनिवर्सिटी कोर्स को तीन वर्ष का करने के बारे में है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या यह सत्य है कि भारत के और विश्वविद्यालयों ने जो तीन वर्ष का डिग्री कोर्स स्वीकार किया है उस के साथ हायर सेकेन्डरी का कोर्स भी जुड़ा हुआ है? पर यह उत्तर प्रदेश की ही विशेषता है कि वहां १२ वर्ष का कोर्स गवर्नमेंट रखना चाहती है। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के लिये अलग तरह की स्कीम क्यों मंजूर की जा रही है और सारे देश के पैटर्न को वहां भी क्यों नहीं लागू किया जा रहा है?

डा० केसकर : मोटे तौर पर वहां भी स्कीम वही है जो कि दूसरे प्रदेशों में है। सवाल यह है कि इस प्रकार की स्कीम को चलाने के लिये और अपनी वर्तमान प्रणाली को बदलने के लिये वह कहते हैं कि जितना खर्च उन को करना पड़ेगा उसे हमें मंजूर करना पड़ेगा, तभी वह इस को करेंगे, नहीं तो पुरानी प्रथा ही जारी रक्खेंगे।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि उत्तर प्रदेश में ही बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने तथा एक दो और विश्वविद्यालयों ने जो नई व्यवस्था है उसे स्वीकार कर के लागू भी कर दिया है, और सिर्फ आगरा यूनिवर्सिटी और उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन कुछ इंटरमीडिएट कालेज हैं जो कि उसी पुराने ढंग पर चल रहे हैं? क्या इस की वजह से वहां एक असाधारण परिस्थिति नहीं पैदा हो गई है और शिक्षा के क्षेत्र में एक प्रकार की अराजकता नहीं फैल गई है?

डा० केसकर : ऐसी परिस्थिति हो सकती है, लेकिन चूंकि बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी केन्द्रीय यूनिवर्सिटी है और जिन यूनिवर्सिटीज ने इसे शुरू किया है उस से कुछ फर्क तो जरूर आ जाता है, लेकिन अधिकांश कालेजेज और यूनिवर्सिटीज में अभी तक पुरानी प्रथा जारी है।

श्री भा० कृ० गायकवाड़ : क्या केन्द्रीय सरकार यह आग्रह कर सकती है कि संपूर्ण भारत में इसी प्रकार के विश्वविद्यालय डिग्री पाठ्यक्रम हों; यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं?

†**डा० केसकर :** मैं यहां आग्रह का कोई प्रश्न नहीं समझता। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इस योजना पर विचार किया है और उसे आवश्यक समझा और एकरूपता लाने के लिए यह सुझाव दिया गया था कि सभी विश्वविद्यालय उसे मान लें ताकि छात्रों को संपूर्ण देश में एक ही प्रकार का अधिकार प्राप्त हो।

†**पं० ज्वा० प्र० ज्योतिषी :** देश के जिन दूसरे विश्वविद्यालयों ने यह योजना स्वीकार की है उन पर भी बहुत अधिक खर्च का बोझ पड़ा है। क्या उन्होंने भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरह इस प्रकार की सहायता मांगी है?

†**डा० केसकर :** जैसा कि मैंने बताया, सभी ने खर्च के लिए कुछ मदद मांगी है और सामान्य निर्णय यह हुआ है कि केन्द्रीय सरकार ५० प्रतिशत खर्च देगी। केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने ही खास तौर से यह मांग की है कि उसे सारा का सारा खर्च दिया जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में

नये विश्वविद्यालय

†*५२८. { श्री कालिका सिंह :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह सुझाव दिया है कि एक ऐसी परम्परा स्थापित की जाए कि विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी सब मामले राज्यों द्वारा शिक्षा मंत्रालय को भेजे जाने चाहियें और मंत्रालय उस विषय में आयोग का परामर्श ले ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में राज्यों की प्रतिक्रिया मालूम की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)**: (क) से (ग). विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया है किन्तु इस मंत्रालय ने राज्य सरकारों को अभी हाल में सुझाव दिया है कि यदि उन्हें कोई आपत्ति न हों, तो नये विश्वविद्यालयों की स्थापना संबंधी सभी मामलों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की राय ली जाये और उसके लिए समय पर ही केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय से प्रार्थना की जाये। इस संबंध में अभी तक किसी भी राज्य सरकार ने अपनी राय नहीं भेजी है ।

†**श्री कालिका सिंह** : क्या इस सम्बन्ध में कई मामलों पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और केन्द्रीय मंत्रालय के बीच कोई मतभेद है ?

†**डा० केसकर** : माननीय सदस्य ने मेरा उत्तर नहीं सुना है । वह यह है कि आयोग ने ऐसा कोई सुझाव नहीं रखा है बल्कि इस मंत्रालय ने ही यह सुझाव रखा है । व्यावहारिक दृष्टि से तो इससे आगे चल कर होने वाली ऐसी बहुत सी चर्चा दूर हो जायगी जिससे यह धारणा उत्पन्न हो कि राज्य सरकार द्वारा एक बार योजनायें अन्तिम रूप से बना लेने और राज्य में उनकी कार्यान्विति प्रारम्भ होने के बाद आयोग या केन्द्रीय मंत्रालय उन योजनाओं को अस्वीकार कर रहा है ।

†**श्री राधा रमण** : निर्णय करने से पहले सभी प्रश्नों को शिक्षा मंत्रालय के पास भेजने का निश्चय सरकार ने किन कारणों से किया है ?

†**डा० केसकर** : मंत्रालय ही उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास भेजता है ।

सेठ गोविन्द दास : जहां तक मध्य प्रदेश का सम्बन्ध है, क्योंकि वह प्रान्त अब बहुत बड़ा प्रान्त बन गया है, क्या मध्य प्रदेश की सरकार ने एक विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में भी स्थापित करने की कोई सिफारिश की है, और अगर की है तो इस सम्बन्ध में क्या विचार किया जा रहा है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता । प्रश्न केवल इतना है कि किसी राज्य [illegible]विद्यालय खोले जाने से पहले केन्द्रीय सरकार की राय ली जानी चाहिये या नहीं क्योंकि [illegible] को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के जरिये अनुदान देना होता है । विश्व-[illegible]न आयोग ने मंत्रालय को सलाह दी है कि राज्यों को यह मामला मंत्रालय के पास [illegible] चाहिये और फिर मंत्रालय आयोग की राय लेगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री ब्रजराज सिंह : चूंकि भारत सरकार विभिन्न विश्वविद्यालय चलाने के लिये उन्हें राज्य सहायता देती है, क्या सरकार की यह नीति है कि जब कभी भारत सरकार की सहमति के बिना कोई विश्वविद्यालय स्थापित किया जायगा, वह उसके लिये रुपया नहीं देगी ?

†अध्यक्ष महोदय : ऐसी बात नहीं है। जब हम किसी से रुपया चाहते हैं तो हम उसे सूचित करते हैं। क्या यह गलत है ? मुझे वास्तव में इस पर आश्चर्य है कि विश्वविद्यालय खोलते चले जायें और आखिर में रुपये के लिये सरकार से झगड़ा करें।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मुझे यह कहना है कि इसमें सिद्धान्त का एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। इससे राज्यों की स्वायत्तशासिता पर असर पड़ता है। केवल इतनी ही बात नहीं है कि आयोग विश्वविद्यालयों को कुछ सहायता देता है। प्राथमिक शिक्षा के लिये भी हमें केन्द्रीय सरकार से इतना अनुदान मिलता है लेकिन वहां ऐसी बात नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय : यहां इतनी ही बात है कि वह राय मांगना उचित है या अनुचित। माननीय सदस्य यह प्रश्न किसी और समय उठायें।

जनरल तिमय्या की जीवनी

\+
†*५२६. { श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि : }

क्या प्रतिरक्षा मंत्री २६ अगस्त, १६६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री एच० ईवंज द्वारा लिखित पुस्तक "तिमय्या आफ इण्डिया—ए सोल्जर्स लाइफ" का विधि की दृष्टि से परीक्षण किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी हां।

(ख) सेना नियम के नियम २० के अनुसार कोई पदाधिकारी किसी राजनैतिक प्रश्न अथवा सेवा सम्बन्धी किसी विषय पर कोई लेख प्रकाशित या उसके प्रकाशित करने में कारण नहीं हो सकता। चूंकि जनरल तिमय्या इस पुस्तक के प्रकाशन के लिये जिम्मेदार नहीं है, इसलिये यह नियम लागू नहीं होता।

राजकीय रहस्य अधिनियम, १६५४ की धारा ५(१) के अधीन, किसी व्यक्ति द्वारा जिसने सरकार के अधीन अपने पद के कारण कोई गुप्त जानकारी प्राप्त की हुई हो, उस जानकारी का जान बूझ कर प्रसार एक अपराध है। हमें यह सलाह दी गयी है कि यह धारा इस मामले में लागू हो सकती है। जनरल तिमय्या से पूछने पर उन्होंने यह बताया है कि लेखक द्वारा प्रस्तुत अनेक उद्धरण मेरे निजी शब्द नहीं हैं और मैंने लेखक को ऐसी कोई बात नहीं बतायी है जिससे सुरक्षा भंग हो सकती हो।

†श्री राम कृष्ण गुप्त : पहले के एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री ने बताया था कि यह निष्कर्ष अनिवार्य है कि इस पुस्तक में जो बातें हैं वे जनरल तिमय्या से प्राप्त हुई हैं। इस बात को देखते हुए क्या यह राजकीय सुरक्षा अधिनियम, १६५४ के अधीन अपराध है या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैंने उसका उत्तर दे दिया है । जनरल तिमय्या ने इस बात से इंकार नहीं किया है कि उन्होंने लेखक महोदय से बातचीत की थी किन्तु ये शब्द उनके नहीं हैं और इस सम्बन्ध में कोई विधि लागू करना तथ्यों पर निर्भर होगा । अभी सरकार इतने से ही सन्तुष्ट रहेगी कि यह मामला इसी तरह छोड़ दिया जाय ।

†**श्री अ० मु० तारिक** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री को मालूम है कि वित्त मन्त्रालय के राजस्व विभाग में एक नियम है कि कोई ऐसी पुस्तक, पुस्तिका या पत्रिका जिसमें भारत का कोई भू-भाग इस प्रकार दिखाया गया हो कि वह भारत का नहीं है, भारत में नहीं आ सकती ? क्या प्रतिरक्षा मन्त्री यह बतायें कि इस पुस्तक को भारत में लाये जाने की अनुमति देने से पहले सीमा शुल्क विभाग को कोई प्रमाण पत्र दिया गया था ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह प्रश्न जनरल तिमय्या के उत्तरदायित्व का है । अन्य अधिकारियों पर नियन्त्रण रखने का मुझे अधिकार नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने पहले भी यही प्रश्न पूछा था और यही उत्तर दिया गया था । माननीय मन्त्री ने बताया था कि उसके लिये वे उत्तरदायी नहीं बल्कि और कोई है । इसलिये यह प्रश्न इसमें से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : माननीय मन्त्री के उत्तर से स्पष्ट है कि जनरल तिमय्या ने यह बात कही है कि पुस्तक में प्रकाशित कुछ भाग उन्होंने नहीं दिये थे । क्या सरकार यह मालूम कर सकेगी कि जनरल तिमय्या ने कौनसा भाग दिया था और कौनसा भाग उनकी सहमति के बिना ही लिखा गया था और दूसरे भाग के सम्बन्ध में जनरल तिमय्या ने अथवा भारत सरकार ने प्रकाशक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जी नहीं, मैंने इस तरह की कोई बात नहीं कही । जनरल तिमय्या ने मुझे आश्वासन दिया है और मैं इसे मान लेने के लिये तैयार हूं कि इवान्स ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है वे उनके अपने नहीं हैं । उन्होंने यह कभी नहीं कहा कि उन्होंने उनसे बातचीत नहीं की, अन्यथा मूलभूत बातें वहां नहीं होतीं । लेकिन जब आप राजकीय रहस्य अधिनियम के अन्तर्गत इस विषय पर विचार करते हैं तो फिर शब्दों की बनावट का और वर्णन का प्रश्न आता है । मैंने सभा को स्पष्ट बता दिया है कि स्थिति क्या है और जहां तक सरकार का सम्बन्ध है वह इस बात के लिये तैयार हैं कि मामला जहां के तहां ही पड़े रहने दिया जाये ।

†**श्री तंगामणि** : क्या जनरल तिमय्या द्वारा रिपोर्ट दिये जाने के बाद विधि मंत्रालय की इस बारे में कोई राय ली गयी थी कि क्या किन्हीं शब्दों से राजकीय रहस्य अधिनियम की धारा ५१ का उल्लंघन हुआ है; और यदि हां, तो उसके क्या निर्णय हैं ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं समझता हूं कि मैंने अच्छी तरह उसका जवाब दे दिया है । और अधिक समझाने की क्षमता मुझमें नहीं है । मैं जो कुछ कह चुका हूं केवल उसी को दोहरा सकता हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

†**श्री नाथ पाई** : यह एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न बार बार पहले तीन बार आ चुका है ।

---

†मूल अंग्रजी में

†**श्री हेम बरुआ** : औचित्य प्रश्न के हेतु श्रीमन् । माननीय प्रतिरक्षा मन्त्री कहते हैं कि उसमें जनरल तिमय्या के शब्दों के उद्धरण नहीं दिये गये हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह औचित्य प्रश्न नहीं है । अगला प्रश्न ।

कालेजों और विश्वविद्यालयों में भीड़-भाड़

†*५३०. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामजी वर्मा :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री हेमराज :

क्या **शिक्षा** मन्त्री ११ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ३४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि कालेजों और विश्वविद्यालयों में भीड़-भाड़ को कम करने की दृष्टि से विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये उपयुक्त परीक्षा जारी करने के प्रस्ताव के बारे में और क्या प्रगति हुई है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभी इस विषय पर विचार कर रहा है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : पिछली बार यही उत्तर दिया गया था और आज भी वही उत्तर दिया जा रहा है । क्या यह समस्या सुलझाने की दिशा में कोई प्रगति थोड़ी या बहुत हुई है ?

†**डा० केसकर** : मैंने बताया है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग इस पर विचार कर रहा है । आयोग का यह कहना है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिसमें सारी प्रक्रिया को जो अभी सब जगह लागू है, बदलना होगा और वह काफी सोच विचार के बाद ही बदली जानी चाहिये ।

शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में भी इस पर चर्चा हुई थी और उस समय सभी राज्य सरकारों से उनकी राय मांगी गयी थी । कुछ राज्यों ने अपनी राय दी है और कुछ ने नहीं दी है । ये सारे दृष्टिकोण आयोग के सामने रखे गये हैं । अब नवीनतम स्थिति यह है कि आयोग की यह धारणा है कि नयी राष्ट्रीय सेवा योजना से इस विषय पर कुछ प्रभाव पड़ेगा और इसलिये तब तक प्रतीक्षा करना अधिक अच्छा होगा जब तक कि इस योजना का कोई ठोस रूप प्रकट न हो । उसके बाद ही वह उसका अध्ययन करेगा और अपना अंतिम निर्णय देगा ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्या इस बारे में भारतीय विश्वविद्यालयों के उप-कुलपतियों से भी परामर्श किया गया था और यदि हां, तो इस प्रस्ताव पर उनकी क्या राय थी कि विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिये परीक्षा होनी चाहिये ?

†**डा० केसकर** : उप-कुलपतियों की राय मेरे पास नहीं है किन्तु मुझे विश्वास है कि अन्त में आयोग इस जैसी महत्वपूर्ण योजना में उप-कुलपतियों से अवश्य परामर्श करेगी यदि उसने अभी तक वैसा न किया हो ।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** : इस विषय के महत्व को देखते हुये क्या ऐसी किसी योजना पर विचार हो रहा है कि यह विषय एक विशेषज्ञ समिति को सौंप दिया जाये और उसे अपनी योजनाय प्रस्तुत करने के लिये कहा जाय ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० केसकर :** यही अभी किया जा रहा है। एक समिति नियुक्त की गई है और वह निश्चित योजनायें तैयार कर रही है किन्तु जैसा कि मैंने बताया कि राष्ट्रीय सेवा योजना से इस पर कुछ प्रभाव पड़ेगा और इस लिये वह दोनों चीजों पर साथ-साथ विचार करना चाहती है।

†**श्री अजित सिंह सरहदी :** इस समिति के कौन-कौन सदस्य हैं ?

†**डा० केसकर :** वह जानकारी यहां मेरे पास नहीं है। वह शिक्षाविज्ञों, प्रशासकों, प्रतिरक्षा विशेषज्ञों और अन्य व्यक्तियों का एक कार्यकारी दल है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मंत्री महोदय को यह पता है कि स्वतंत्रता के पश्चात् से विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, स्कूलों और पाठशालाओं में भीड़ बढ़ती चली जा रही है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या कारण है कि दस साल के पश्चात् अब भी सरकार पूरी तौर से विचार नहीं कर सकी और अब कमेटी को यह मामला सिपुर्द किया गया है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

डा० केसकर : भीड़ बढ़ रही है इसी लिये इस मामले पर विचार हो रहा है.....

श्री म० ला० द्विवेदी : विचार तो दस साल से चल रहा है.....

डा० केसकर : विचार दस साल से नहीं हो रहा है। यह मामला अभी साल दो साल हुये इस पर विचार हो रहा है। लेकिन यह आसान मामला नहीं है, एक दम लड़कों को रोक देना कि अब नहीं जा सकते बिला कोई स्टैन्डर्ड्स तय किये हुये यह ठीक नहीं होगा और यह उचित भी नहीं होगा और इस लिये कमीशन भी इस पर कोई निश्चय बिला सोचे लेना नहीं चाहता।

†**श्री कालिका सिंह :** विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की इस रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुये कि विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या ९ लाख हो गई है और भारत में २०० विश्वविद्यालयों की जरुरत होगी, क्या भारत सरकार २०० या उसके लगभग विश्वविद्यालय खोलने के सवाल पर विचार कर रही है ?

†**डा० केसकर :** यह स्पष्ट है कि परीक्षा लेने और विश्वविद्यालयों में छात्रों की संख्या सीमित करने की योजना पर सक्रिय विचार हो रहा है किन्तु किसी बेढंगे पर इसका फैसला नहीं किया जा सकता। और यही कारण है कि आयोग निश्चित और समुचित योजनायें तैयार कर रहा है जिस से कि जो छात्र सबसे अधिक योग्य हों, उन्हें विश्वविद्यालयों में प्रवेश मिल सके।

†**श्री हेम बरुआ:** इस बात को देखते हुये कि विश्वविद्यालयों में छात्रों की भर्ती के लिये परीक्षा लेने के बारे में सक्रिय विचार हो रहा है क्या सरकार इस बात के लिये कि अतिरिक्त छात्रों को मैट्रिक के बाद के प्रक्रम में ही काम में लगा दिया जाये, किसी कार्यवाही पर विचार कर रही है ?

†**डा० केसकर :** जो छात्र अन्य प्रकार की किसी लाभदायक शिक्षा के लिये विश्वविद्यालयों में प्रवेश चाहते हैं उनका उपयोग करने के प्रश्न पर अलग से विचार किया जा सकता है।

श्री ब्रजराज सिंह : श्रीमन्, इस बात को देखते हुए कि यह प्रश्न सारे भारत के महत्व का है और भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिये उसका बड़ा महत्व होगा, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार का यह विचार है कि इसके पहले कि विश्वविद्यालयों में किसी भरती को बन्द किया जाय इस विषय पर विभिन्न राजनैतिक पार्टियों और देश के सम्माननीय व्यक्तियों के विचार पहले जान लिये जायं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

डा० केसकर : इसका राजनैतिक पार्टियों से कोई सम्बन्ध तो मेरी राय में आता नहीं है। अलबत्ता कोई अन्तिम निर्णय करने के पहले एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन्स वगैरह की राय इसमें जरूर ले ली जायगी। इसीलिये कमीशन इसमें जल्दबाजी करना नहीं चाहता है और सब रायों के मिलने के बाद ही वह इस पर निश्चय करेगा।

भूत-पूर्व प्रतिरक्षा उत्पादन नियंत्रक

†*५३१. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक मेजर जनरल ने जो प्रतिरक्षा उत्पादन के नियन्त्रक थे अपना पदत्यांग करके एक गैर-सरकारी सार्थ में नौकरी कर ली है;

(ख) क्या उन्हें आवश्यक अनुमति दे दी गई थी; और

(ग) १५ अगस्त, १९४७ से १ अगस्त, १९६० तक की अवधि में कितने सैनिक अधिकारी सेवा निवृत्ति के पश्चात् गैर-सरकारी फर्मों में गये हैं ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) और (ख) जी हां।

(ग) अधिकतर सेना पदाधिकारियों को सेवा निवृत्ति के बाद गैर-सरकारी नौकरी करने से पहले इजाजत नहीं लेनी पड़ती। केवल कर्नल और उससे ऊपर के पदाधिकारियों को पहले सरकारी मंजूरी लेनी पड़ती है।

पहले सरकारी मंजूरी के आदेश ४ मई, १९५५ से लागू हुए। जिन सेवा निवृत्त सेना पदाधिकारियों ने इन आदेशों के अधीन आवेदन किया और जिन्हें गैर-सरकारी फर्मों में नौकरी मंजूर करने की इजाजत १ अगस्त, १९६० तक दी गयी, उनकी संख्या २६ थी।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि इस मेजर-जनरल ने अर्थात् प्रतिरक्षा उत्पादन के भूतपूर्व महा नियन्त्रक ने रूरकेला में एक जर्मन फर्म में गैर-सरकारी तौर पर नौकरी कर ली है और यदि हां तो क्या उसने अनुमति ली थी ? क्या उसके त्याग पत्र देने का यह भी एक कारण था और बाद में उसकी वहां नियुक्ति हुई ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जी हां, इस पदाधिकारी ने, जिसका नाम बताया गया है, अनुमति के लिये आवदन दिया था। वर्तमान नियमों के अधीन उस आवेदन पत्र का परीक्षण किया गया कि क्या उसके भावी मालिक का इस मन्त्रालय के साथ या उससे सम्बन्धित किसी खरीद में सम्बन्ध है। हमें यह समाधान था कि उसे इजाजत देने में कोई आपत्ति नहीं है। इजाजत दी गयी है।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : जब यह मेजर-जनरल सरकारी नौकरी में था तब उसका वेतन क्या था और अब गैर-सरकारी नौकरी में उसका क्या वेतन है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : उसने अपना वेतन हमें नहीं बताया है और न ही हमें पूछने का अधिकार है किन्तु सरकारी नौकरी में वह मेजर-जनरल की तनख्वाह लेते थे, मैं समझता हूं वह २२०० रुपये थी।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : जिस पदाधिकारी को कोई सेवा निवृत्ति वेतन मिलता है क्या उसका वह सेवा निवृत्ति वेतन भी गैर-सरकारी नौकरी या दूसरी नौकरी में उसका वेतन निश्चित करते समय शामिल किया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें गैर-सरकारी नौकरी में वेतन का कुछ पता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†एक माननीय सदस्य : वह ४००० रुपये है ।

†श्री तंगामणि : क्या उसके त्यागपत्र देने से पहले उसके ऊपर कोई आरोप थे और यदि हां, तो क्या इन आरोपों से बचने के लिये ही उसने त्याग पत्र दिया ?

†श्री कृष्ण मेनन : जी नहीं ।

समुद्रीय प्राणि शास्त्र संबंधी अनुसंधान के लिये केन्द्र

+

†*५३२. { श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या वैज्ञानिक अनु संधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्रीय प्राणिशास्त्र सम्बन्धी अनुसन्धान के लिये केन्द्र स्थापित कर दिया गया है;

(ख) क्या इस विषय में केन्द्रीय मत्स्य पालन विभाग के साथ निकट सम्पर्क बनाये रखने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) क्या यह सच है कि भारत के प्राणिशास्त्र सर्वेक्षण विभाग के पास ऐसे केन्द्र को चलाने के लिये उपयुक्त अर्हता और अनुभव वाले अफसर नहीं हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं । समुद्रीय सर्वेक्षण यूनिट चलाने के लिये सर्वेक्षण विभाग के पास काफी योग्यता प्राप्त तथा अनुभवी पदाधिकारी हैं ।

†श्री स० चं० सामन्त : भारत में कितने विश्वविद्यालयों में समुद्रीय प्राणिशास्त्र सम्बन्धी अपनी प्रयोगशालायें हैं और क्या इन विश्वविद्यालयों तथा भारतीय प्राणिशास्त्र सम्बन्धी सर्वेक्षण विभाग के बीच कोई सहयोग होता है ?

†डा० म० मो० दास : एकाएक मेरे लिये यह बताना कठिन है कि इस देश में किन-किन विश्वविद्यालयों ने अपनी शरीर विज्ञान सम्बन्धी अथवा प्राणिशास्त्र सम्बन्धी अनुसन्धान प्रयोगशालायें स्थापित की हैं । जहां तक मुझे मालूम है, अन्नमलाई, मद्रास और केरल, इन तीन विश्वविद्यालयों ने प्रयोगशालाएं स्थापित की हैं । भारतीय प्राणिशास्त्र सम्बन्धी सर्वेक्षण विभाग इन सभी विश्वविद्यालयों से पूर्ण सहयोग करता है ।

†श्री स० चं० सामन्त : यह समुद्रीय सर्वेक्षण यूनिट कब स्थापित किया गया था और उसमें अभी कितने कर्मचारी है ?

†डा० म० मो० दास : समुद्रीय सर्वेक्षण यनिट करीब ढाई साल पहले स्थापित किया गया था और अभी इसमें वर्ग १ का एक पदाधिकारी और कई अन्य पदाधिकारी तथा वर्ग ४ के पदाधिकारी हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गार्डन रीच वर्कशाप

+

†*५३४. श्री राजेश्वर पटेल :
श्री मुरारका :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन शर्तों और निबन्धनों पर मेसर्स गार्डन रीच वर्कशाप (प्राइवेट) लिमिटेड, कलकत्ता, के अंश खरीदे गये हैं;

(ख) क्या कुछ विदेशी मुद्रा दी गई है;

(ग) यदि हां, तो कितनी; और

(घ) उसका मूल्य निर्धारण करने का क्या तरीका है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) कलकत्ता की गार्डन रीच वर्कशाप और बम्बई का मजगांव नावांगन और इन दोनों वर्कशापों से सम्बन्ध जमीन, इमारतें और सूती गोदियों को सरकार ने यूनाइटेड किंगडम की पेनिन्सुलर एण्ड ओरियन्ट ग्रुप आफ कम्पनीज से ले लिया है। दूसरे पक्ष की अनुमति के बिना इस सौदे का ब्यौरा बताना जन-हित में नहीं है। किन्तु इनका क्रय मूल्य इन दोनों कम्पनियों की आस्तियों से काफी कम है। इस बात का मूल्यांकन एक स्वतन्त्र मूल्यांकन-कर्ता और हमारे प्रविधिक विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। पेनिन्सुलर एण्ड ओरियन्ट ग्रुप को १० वार्षिक किश्तों में पौंडों में अदायगी की जानी है।

(ख) जी हां। किन्तु अदा की जाने वाली विदेशी मुद्रा में कमी हो जायेगी क्योंकि यह समझौता हो गया है कि पैनिन्सुलर एण्ड ओरियन्ट ग्रुप के जहाजों की इन नावांगनों में की जाने वाली मरम्मत पर आने वाले व्यय को विक्रय-मूल्य में से घटा दिया जायेगा।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

†**श्री राजेश्वर पटेल** : अनुपूरक प्रश्न पूछने से पहले, क्या मैं एक औचित्य प्रश्न उठा सकता हूं ? माननीय प्रतिरक्षा मन्त्री ने कहा है कि दूसरे पक्ष की अनुमति लिये बिना यह प्रकट करना जन-हित में नहीं है कि विक्रेताओं को कितनी रकम की अदायगी की गयी है। सरकार बहुत सी वस्तुओं के खरीदने पर धन व्यय करती है। क्या इस बात की जानकारी विक्रेताओं की अनुमति के साथ बंधी हुई है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : जब कोई ऐसा सौदा हो, जिसमें दो पक्ष हों तो हमारे लिये यह सम्भव नहीं है—मैं समझता हूं कि प्रथा भी यही है—कि उनकी अनुमति के बिना ब्यौरा बताया जाये।

†**श्री राजेश्वर पटेल** : मैं भी ठीक इसी बात की ओर इशारा कर रहा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस सभा को यह बात जानने का अधिकार है कि कितनी रकम अदा की गई और यह बात कहने का कोई अर्थ नहीं कि यह सौदा दों पक्षों के बीच हुआ है। कोई भी सौदा दो पक्षों के बिना नहीं किया जा सकता। जहां तक इस सभा का सम्बन्ध है इसे यह देखने का अधिकार है कि क्या अधिक अदायगी तो नहीं की गयी अथवा यह सौदा ठीक है अथवा गलत। अतः मेरा विचार है कि इसमें ऐसी कोई बात नहीं जिसे इस सभा से छिपाया जाना चाहिए। अगर यह मामला प्रतिरक्षा उद्योग, युद्ध-संचालन नीति से सम्बन्धित होता अथवा यह पूछा

---

†मूल अंग्रेजी में

जाता कि किस जगह पर कितने सैनिक तैनात किये गये है तो मैं निश्चित से इस बात की अनुमति दे देता कि इसे गुप्त रखा जाये ।

किन्तु जहां तक इन बातों का सम्बन्ध है, हम एक संविधान के अनुसार कार्य कर रहे हैं । संविधान के अनुसार, इस सभा की अनुमति के बिना भारत की समेकित निधि में से एक पाई भी खर्च नहीं की जा सकती । इस सभा को समय समय पर यह जानने का अधिकार है कि जिन शर्तों के साथ कोई सौदा किया गया है क्या वे कठिन हैं, क्या जो धन व्यय किया गया है, वह बहुत अधिक तो नहीं । यदि दूसरा पक्ष इस बात को प्रकट करने के लिये सहमत नहीं है, तो अच्छा है कि ऐसे पक्ष के साथ कोई सौदा न किया जाये ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : आप की अनुमति से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि हम दूसरे पक्ष से पूछेंगे और यदि वे मान गये तो हम यह जानकारी सभा के सामने रखेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय**: माननीय मंत्री का कहना है कि वह दूसरे पक्ष से पूछेंगे और तद्पश्चात् सभा को जानकारी देंगे । यदि दूसरा पक्ष इस बात से असहमत हो, तो भी उन्हें यह जानकारी सभा को देनी चाहिये ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : जी ।

†**श्री राजेश्वर पटेल** : यह कहा गया है कि यह सौदा एक लाभ का सौदा रहा है । मैं जानना चाहता हूं कि यह सौदा किस आधार पर किया गया, अर्थात् क्या यह सौदा संयंत्र के अवमूल्यित मल्य के आधार पर किया गया, अथवा पूरी चीज़ों की कीमत का निर्धारण करते समय प्रतिस्थापन मल्य के आधार पर किया गया है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह मूल्यांकन हमारे प्रविधिक विशेषज्ञों द्वारा किया गया था और स्वतंत्र चार्टर्ड इंजीनियरों द्वारा किये गये मूल्यांकन से इस की पुष्टि हुई थी । सम्भवत: जब यह सभा के समक्ष रखी जायेगी तो हम अधिक जानकारी देंगे ।

†**श्री राजेश्वर पटेल** : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि वह इसे सभा-पटल पर रख देंगे । जो कुछ मैंने कहा है, उसे देखते हुए उन्होंने मान लिया है कि वह दूसरे पक्ष को यह सूचित कर देंगे कि वह सारी जानकारी सभा के सामने रख देंगे । इस के पश्चात् यदि कोई महत्वपूर्ण मामला हुआ, तो मैं निश्चित रूप से प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान करूंगा ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** : मूल्यांकन का आधार क्या था ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

†**श्री हेम बरुआ** : श्री राजेश्वर पटेल ने यह पूछा है कि मूल्यांकन का आधार क्या था ? क्या यह मूल्यांकन प्रतिस्थापन मूल्य के आधार पर किया गया था अथवा किसी अन्य बात के आधार पर ? यह एक बिल्कुल सीधा सा प्रश्न है ?

†**श्री राजेश्वर पटेल** : माननीय प्रतिरक्षा मंत्री महोदय ने बताया है कि विशेषज्ञों के संयंत्र की कुल कीमत का मूल्यांकन किया है । मेरा प्रश्न यह था कि क्या उन विशेषज्ञों ने संयंत्र की कीमत का

---

†मूल अंग्रेजी में

निर्धारण करते समय इस के अवमूल्यित मूल्य को आधार माना था अथवा उस के प्रतिस्थापन मूल्य को ? इस बात का उत्तर नहीं दिया गया ।

†**श्री कृष्ण मेनन** : दोनों कम्पनियों का मूल्यांकन उनके शुद्ध चालू परिसम्पद, अर्थात् उनकी चालू लेनदारियों और चालू देनदारियों के अन्तर और किताबों में दर्ज मशीनों और संयंत्र की अवमूल्यित कीमत के आधार पर किया गया था । इस रकम में, कम्पनी की आस्तियों के आधार पर किये जाने वाले ऐसे ही मूल्यांकन के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है । जब विवरण सभा-पटल पर रखा जायेगा, तो मैं सभी प्रश्नों के उत्तर दूंगा ।

†**श्री राजेश्वर पटेल** : यदि मूल्यांकन प्रतिस्थापन मूल्य के आधार पर किया गया . . .

†**अध्यक्ष महोदय** : अवमूल्यित मूल्य ।

†**श्री राजेश्वर पटेल** : जी नहीं, प्रतिस्थापन मूल्य, जो इस की वर्तमान कीमत है । यदि यह प्रतिस्थापन मूल्य के आधार पर किया गया है, तो सरकार को बिल्कुल नये संयंत्र आदि लेने में क्या कठिनाई थी ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं कह चुका हूं कि यह मूल्यांकन प्रतिस्थापन मूल्य के आधार पर नहीं था ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : हमारे विशेषज्ञों ने कितना मूल्य आंका है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : मैं यह जानकारी सभा-पटल पर रख दूंगा ।

†**श्री जयपाल सिंह** : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । मेरा विचार है कि आपके विनिश्चय के पश्चात् इस बारे में कोई विवाद नहीं रहा कि जो जानकारी हम मांग रहे हैं, वह दूसरी पार्टी की अनुमति मिलने अथवा न मिलने के बावजूद हमें दे दी जायेगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, हां । किन्तु मंत्री महोदय दूसरे पक्ष को इस बात की सूचना देना चाहते हैं ।

†**श्री अ० चं० गुह** : यह बात दूसरे पक्ष की इच्छा पर निर्भर नहीं होनी चाहिये ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : जहां तक मूल्यांकन का सम्बन्ध है, उस को प्रकट करने के लिये दूसरे पक्ष की सहमति प्राप्त करने की कोई आवश्यकता नहीं । रकम की अदायगी तो हम कर ही चुके हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कई बार प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से यह करार हो जाता है कि इस प्रकट नहीं किया जाना चाहिये । माननीय मंत्री महोदय का कहना ठीक है कि वह पहले इस बात की सूचना दूसरे पक्ष को दे दें, तद्पश्चात् वह इसे प्रकट कर देंगे ।

†**श्री त्यागी** : सरकार यह बात कैसे कह सकती है ? रकम की अदायगी सरकारी कोष से की गई है और सरकार इसे प्रकट करने के लिये बाध्य है । क्या आप कृपा करके सरकार को यह सलाह देंगे कि जब वित्तीय प्रश्न उठें तो उसे ऐसे मामलों के महत्व को कम नहीं करना चाहिये ?

†**एक माननीय सदस्य** : इस में कोई गुप्त बात नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : मेरा ख्याल है कि इस बारे में कुछ गलतफहमी पैदा हो गई है । इस सभा से कोई बात छिपा कर रखने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । किन्तु सब से पहली बात यह है कि जब इस प्रकार की बातचीत चल रही हो, तो इन मामलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा करना मुश्किल और अलाभदायक होता है । दूसरे, एक और कठिनाई है । कई बार, जब हमें दूसरे पक्ष से काफी सहूलतें मिल रही हों, तो दूसरे पक्ष को यह भय होता है कि यदि इस बात का प्रचार हो जायेगा, तो इस से दूसरे व्यक्तियों के साथ, जिनसे उनका व्यवहार हो, उन के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

इस में कोई शक नहीं, इन सब बातों की जानकारी सभा को देनी पड़ती है । प्रश्न यह है कि यह जानकारी किस प्रक्रम पर दी जाये । इस बात का कोई प्रश्न नहीं कि इन बातों को प्रकट करने के लिये दूसरे पक्ष की अनुमति प्राप्त करनी होगी । किन्तु सामान्य शिष्टाचार का तकाजा है कि हम उन्हें यह बता दें कि हम क्या कर रहे हैं ताकि यदि उनके कोई हित अन्तर्ग्रस्त होते हों, तो उन्हें इसका पता लग जाये ।

†**श्री त्यागी** : जब प्रधान मंत्री यह कहते हैं कि इस मामले पर अभी बातचीत चल रही है, तो बात समझ में आती है । किन्तु सौदा तय हो जाने और अदायगी हो जाने के पश्चात् सरकार के पास इस बात का कोई कारण नहीं कि वह सभा को जानकारी न दे ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सभा से कुछ छिपाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है । मैं तो केवल उचित समय की बात कह रहा था । फिर शिष्टाचार को भी निबाहना पड़ता है । मैं इस विशिष्ट मामले की बात नहीं कर रहा, किन्तु सामान्य रूप से कह रहा हूं ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस मामले में तो खरीद की जा चुकी है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : हो सकता है । मैं तो सामान्य बात कह रहा था । मुझे इस विशेष मामले के बारे में पता नहीं । इन मामलों में, कई बार समझौते में कई बातें ऐसी होती हैं, जो हमारे लाभ की होती हैं किन्तु दूसरा पक्ष ये सुविधायें किसी और को नहीं देना चाहता । इसलिये कई बार कुछ समय के लिये इन बातों को प्रकट नहीं किया जाता । अन्ततः, सारी बात का समय पर पता लग ही जाता है ।

जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, क्योंकि इसे अभी अभी तय किया गया है, हम दूसरे पक्ष को सूचित कर देंगे—उन से अनुमति नहीं मांगेंगे—कि हम इस का ब्यौरा सभा में रख रहे हैं ।

†**श्री जयपाल सिंह** : प्रधान मंत्री के कथन को देखते हुए, क्या प्रतिरक्षा मंत्री अब यह बता सकेंगे कि हमें क्या लाभ प्राप्त हुए हैं ? क्या वह अभी बतायेंगे अथवा बाद में ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : सब से पहली बात तो यह है कि मैं इस विशिष्ट मामले का उल्लेख नहीं कर रहा था, बल्कि सामान्य रूप से बात कर रहा था । यह मामला तो अलग है । किन्तु इस मामले की पूरी जानकारी सभा को दी जायेगी और सभा इस की जांच कर सकती है ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : इस वर्कशाप पर अब किस की मिल्कीयत है ?

†**श्री कृष्ण मेनन** : यह पेनिन्सुलर एण्ड ओरियंटल ग्रुप आफ कम्पनीज़ की सम्पत्ति थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय भाषाओं के द्विभाषी शब्द-कोष

†*५३५. **श्री वारियर** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय भाषाओं के द्विभाषी शब्द-कोष संकलित करने के लिये कोई योजना बनाई गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी नहीं। किन्तु ऐसे शब्द-कोषों का निर्माण करने के आवेदन-पत्रों पर उन के गुणदोषों के आधार पर विचार किया जाता है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इस के साथ, मैं यह कहना चाहता हूं कि वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्रालय की f भाषी शब्द-कोषों का निर्माण करने की कोई योजना नहीं है। किन्तु आधुनिक भाषाओं के विकास की योजना के अन्तर्गत मंत्रालय इस प्रकार के शब्द-कोषों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।

†**श्री वारियर** : क्या साहित्य अकादमी अथवा किसी अन्य संस्था ने इस प्रकार के द्विभाषी शब्द-कोषों के निर्माण के लिए सरकार से सहायता देने का अनुरोध किया है ?

†**डा० म० मो० दास**: मैं माननीय सदस्य महोदय का आशय अच्छी तरह से नहीं समझ सका। किन्तु मैं उन्हें यह सूचना देना चाहता हूं कि राज्य सरकारों अथवा विश्वविद्यालयों सहित १३ संगठनों को द्विभाषी शब्द-कोषों के निर्माण के लिए अनुदान दिये गये हैं।

†**श्री वारियर** : ये द्विभाषी शब्द-कोष किस प्रकार के होंगे ? इन में कौन कौन सी भाषाओं को इकट्ठा रखा जायगा ?

†**डा० म० मो० दास** : भारत की कोई भी दो भाषाएं ।

सेठ गोविंद दास : अभी मंत्री जी ने यह कहा कि कुछ राज्यों और कुछ संस्थाओं को इस सम्बन्ध में अनुदान दिये गये हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि किन संस्थाओं को और किन राज्यों को इस प्रकार के कोषों को बनाने के लिये अनुदान दिये गये हैं ?

†**डा० म० मो० दास** : श्रीमन्, यदि आप मुझे अनुमति दें तो मैं, जो कुल १३ संगठन हैं, उनके नाम पढ़ दूं । मैं माननीय सदस्य महोदय को यह सूचना देना चाहता हूं कि इस सूची में दो विश्वविद्यालय हैं, मद्रास और मैसूर विश्वविद्यालय ; दो राज्य सरकारें हैं, राजस्थान और पंजाब सरकार, तथा अन्य संस्थाएं भी हैं, क्या मैं उनके नाम पढ़ूं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इसकी आवश्यकता नहीं ।

सेठ गोविंद दास : चूंकि हम ने हिन्दी को इस देश की राज्य भाषा बनाया है इसलिये क्या यह प्रयत्न किया जा रहा है कि इस प्रकार के द्विभाषी-कोषों के सम्बन्ध में इस बात का खयाल रक्खा जाय कि हर भाषा के कोष हिन्दी के साथ साथ बनायें जायें ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० म० मो० दास** : जहां तक हिन्दी भाषा के विकास का प्रश्न है, इसका सम्बन्ध शिक्षा मंत्रालय से है। हमारे मंत्रालय का संबंध संस्कृत तथा हिन्दी के अतिरिक्त अन्य भाषाओं के विकास से है ।

सेठ गोविंद दास : मैं यह कह रहा था कि दूसरी भाषाओं का भी चूंकि हिन्दी से सम्बन्ध है इसलिये दूसरी भाषाओं के विकास के लिये क्या इस प्रकार की आवश्यकता नहीं है कि वे कोष हिन्दी के साथ बनाय जायें।

†**डा० म० मो० दास:** : बेशक, यह आवश्यक है । किन्तु यदि हमें किसी संगठन की ओर से किसी विशेष काय के लिए वित्तीय सहायता देने के वास्ते आवेदन-पत्र प्राप्त होते हैं, तो हम उन पर उनके गुणावगुणों के आधार पर विचार करते हैं।

भारत में लखपती लोग

†***५३६. श्री कालिका सिंह** : क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में लखपतियों या करोड़पतियों की आजकल कितनी संख्या है ; जिनके पास एक करोड़ रुपये से अधिक संपत्ति है ;

(ख) क्या लखपतियों या करोड़पतियों की संख्या बढ़ रही है या घट रही है ;

(ग) अब कितने रजवाड़ा शाही सामंत लखपति या करोड़पति हैं ;

(घ) क्या ऐसे लखपतियों के नाम उनकी सहमति के साथ या उसके बिना बताये जा सकते हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो लखपतियों के नाम और पद-नाम क्या हैं ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी)** : कम्पनियों के अतिरिक्त, धन-कर देने वाले ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिनके पास १ करोड़ रु० से अधिक की सम्पत्ति है , ३१–३–१९६० को २८ थी ।

(ख) ३१–३–१९६० को इनकी संख्या वही थी जो ३१–३–१९५९ को थी ।

(ग) १६ ।

(घ) जी नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री कालिका सिंह** : क्या मैं जान सकता हूं कि भोपाल के नवाब के उत्तराधिकार के मामले के सम्बन्ध में सरकार शाहजादों के प्रिवी पर्स की रकमों में कमी करने के बारे में सोच रही है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : इस प्रश्न का उत्तर वित्त मंत्रालय नहीं दे सकता ।

†**श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या मैं जान सकती हूं कि भारतीय राकफेलरों से धन-कर की कितनी रकम वसूल की जा चुकी है और कितनी बकाया रकम वसूल की जानी है ?

†**डा० बे० गोपाल रेड्डी** : राकफेलर ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रीमती मफीदा ग्रहमद : हां ; भारतीय राकफेलर,; मेरा मतलब है भारत के लखपति लोग ।

†अध्यक्ष महोदय : यहां कोई राकफेलर नहीं है ।

†श्री जयपाल सिंह : माननीय मंत्री महोदय हमें लखपतियों के आंकड़े दे रहे हैं। क्या वे हमें करोड़पतियों तथा अरबपतियों के आंकड़े दे सकते हैं ?

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : यदि धन-कर के बारे में प्रश्न पूछा जायेगा, तो हमें उसका उत्तर देना पड़ेगा ।

†श्री जयपाल सिंह : मैंने यह पूछा था कि क्या वह हमें इस बात की जानकारी दे सकते हैं कि देश में अरबपतियों की संख्या कितनी है ?

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : यदि अलग प्रश्न पूछा जायेगा तो हम उत्तर देने की कोशिश करेंगे । किन्तु जहां तक मुझे नजर आता है, यहां पर कोई अरबपति नहीं है ।

†श्री हेडा : प्रत्येक राज्य में कितने करोड़पति व्यक्ति हैं ?

†डा० बे० गोपाल रेड्डी : व्यक्तियों अथवा प्रदेशों के नाम बताना वांछनीय नहीं है (अन्तर्बाधाएं) । यदि मैं राज्यवार संख्या दूंगा तो उस से निश्चित ही अनुमान लगाये जायेंगे। इसलिए ब्योरा बताना उचित नहीं ।

†श्री कालिका सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि भारत का सब से अधिक धनाढ्य व्यक्ति कौन है ?

†अध्यक्ष महोदय : हम बहुत अधिक बारीकीं में जा रहे हैं। हमें व्यक्तिगत मामलों में नहीं जाना चाहिए ।

†श्री जयपाल सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इस सभा में कोई करोड़पति है ?

टैंकों का निर्माण

†*५३९. { डा० राम सुभग सिंह :
श्रीमती इला पाल चौधरी :
श्री जीन चन्द्रन :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुद्ध कारखानों में टैंक बनाने के लिये कोई योजना तैयार की गई और

(ख) यदि हां, तो यह योजना कब आरम्भ की जायगी ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) और (ख). टैंक बनाने का कारखाना स्थापित करने की परियोजना के बारे में सक्रिय रूप से योजना बनायी जा रही है । यद्यपि इस बात के लिए भरसक प्रयत्न किया जा रहा है कि किसी प्रकार की देर न हो, तथापि यह बताना सम्भव नहीं कि इस कारखाने में किस तिथि से काम शुरू होगा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

डा० राम सुभग सिंह : इस कार्य के लिए किस आयुध कारखाने को चुना गया है ? क्या यह कार्य एक आयुध कारखाने में किया जायेगा अथवा बहुत से आयुध कारखानों में ?

श्री कृष्ण मेनन : टैंकों के निर्माण के लिये एक कारखाने का होना आवश्यक है । किन्तु उसके अन्दर के पुर्जे निस्सन्देह रूप से इलेक्ट्रानिक्स कारखानों में बनाये जायेंगे ।

डा० राम सुभग सिंह : इस योजना को कार्यान्वित करने के लिये, क्या हमें अपने आयुध कारखानों का विस्तार करना पड़ेगा अथवा वर्तमान संयंत्रों से ही काम चल जायेगा ?

श्री कृष्ण मेनन : यह एक नया कारखाना है जिसके लिये नये संयंत्र की आवश्यकता पड़ेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या इन टैंकों का निर्माण हमारे आयुध कारखानों के संस्थान द्वारा स्वयं किया जायेगा अथवा किसी विदेशी फर्म का सहयोग लिया जायेगा ?

श्री कृष्ण मेनन : यह एक ऐसी परियोजना नहीं जिसे विभिन्न भागों में विभाजित न किया जा सके । इसका प्रथम भाग है, टैंकों का निर्माण । चाहे किसी भी किस्म के टैंक का निर्माण करना हो, उसके लिये कारखानों का होना आवश्यक है । मशीनें तो सामान्य ही होती हैं । इसके बाद प्रश्न उठता है कि कौन सी मशीनों अथवा टैंकों का निर्माण किया जा रहा है । यह एक ऐसा मामला है जिसके बारे में विदेशी सरकारों अथवा निर्माताओं से बात करना आवश्यक है । जब यह मामला इस प्रक्रम पर पहुंच जाये, तभी हम यह कह सकते हैं कि कुछ विशिष्ठ पुर्जे एक स्थान पर बनाये जायेंगे अथवा दूसरे स्थान पर । किन्तु टैंक कारखाना.....

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह सब कुछ जानना नहीं चाहते । वह तो केवल यह जानना चाहते हैं कि क्या यह काम विभागीय रूप से किया जायेगा अथवा किसी अन्य कम्पनी के सहयोग से ?

श्री कृष्ण मेनन : आयुध कारखानों में । किन्तु यह बात, कि क्या टैंक निर्माण का कार्य किसी के सहयोग से किया जायेगा अथवा नहीं, इस बात पर निर्भर करती है कि हम किस टाइप के टैंकों का निर्माण करना चाहते हैं । हो सकता है हम टैंकों के अपने ही डिजाइन तैयार करें । किन्तु अभी हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते । अभी हम इस प्रक्रम पर नहीं पहुंचे ।

श्रीमती इला पालचौधरी : इन टैंकों का निर्माण करने से हमें अनुमानतः कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी ?

अध्यक्ष महोदय : यह काम केवल विदेशी मुद्रा की बचत करने की दृष्टि से ही नहीं किया जा रहा ।

श्री अजित सिंह सरहदी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या आयोजन का कार्य केवल योजना बनाने तक ही सीमित है अथवा इस कारखाने के लिये कोई स्थान चुनने के लिये भी कोई प्रयत्न किया गया है ? आयोजन किस प्रक्रम पर है ?

श्री कृष्ण मेनन : यह कहा जा सकता है कि इस मामले में धन संबंधी आवश्यक मंजूरी ली जा चुकी है । जब तक उपयुक्त समय न आ जाये, तब तक यह बताना उचित नहीं होगा कि यह

मूल अंग्रेजी में

कारखाना कहां पर स्थापित किया जायेगा, क्योंकि इससे लागत में वृद्धि हो जाने की आशंका होती है ।

कोरबा कोयला क्षेत्र

†*५४१. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोरबा कोयला क्षेत्र के विकास के लिये रूसी विशेषज्ञों द्वारा पेश किये गये परियोजना प्रतिवेदन का इस बीच परीक्षण कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन पर कब कार्य आरम्भ किये जाने की संभावना है ; और

(ग) तीसरी योजना में इन कोयला खानों के विकास पर कितनी राशि खर्च की जाने की संभावना है ?

†**इस्पात, खान और इंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). निगम ने कोरबा में खुली खान (ओपन-कास्ट माइन), कोयला धोने का कारखाना (वाशरी) और कर्मशाला (वर्कशाप) के बारे में तीन परियोजना रिपोर्टों को स्वीकार कर लिया है । ओपन-कास्ट खान और वर्कशाप संबंधी परियोजना रिपोर्टों को कुछ शर्तों के साथ स्वीकार किया गया है । जहां तक 'वाशरी' का संबंध है, यद्यपि परियोजना रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है, तथापि यह निश्चय किया गया है कि इस परियोजना को क्रियान्वित न किया जाये, क्योंकि कोयले के 'वाश' होने के लक्षणों और अन्य संबंधित बातों को देखते हुये, ऐसा करना आर्थिक दृष्टि से लाभदायक नहीं होगा । भूमिगत खानों के बारे में परियोजना रिपोर्ट की अभी तक प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ग) तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में इन खानों के विकास पर अनुमानतः जितना धन व्यय किया जायेगा, इसका पता तभी लग सकता है जबकि रूसी विशेषज्ञ, ओपन-कास्ट खान और वर्कशाप परियोजनाओं की रिपोर्टों के निगम द्वारा स्वीकार की जाने की शर्तों के प्रकाश में, इन परियोजनाओं के बारे में अपनी संशोधित रिपोर्ट पेश कर देंगे ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या मैं जान सकता हूं कि परियोजना रिपोर्ट के अनुसार, जिसे निगम द्वारा अस्थायी रूप से स्वीकार किया जा चुका है, 'ओपन-कास्ट' खान का वार्षिक उत्पादन कितना होगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** परियोजना रिपोर्ट के अनुसार उत्पादन दस लाख टन होगा किन्तु सम्भाव्य उत्पादन क्षमता २० लाख टन होगी ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या मैं जान सकता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में कोरबा कोयला क्षेत्र के संबंध में लक्ष्य निर्धारित किये जा चुके हैं अथवा नहीं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** अभी तक लक्ष्यों को पूरी तरह से निर्धारित नहीं किया गया क्योंकि परियोजना-रिपोर्ट के एक भाग की प्रतीक्षा की जा रही है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या ओपन-कास्ट खान के बारे में काम तब तक शुरू नहीं किया जायेगा जब तक कि भूमिगत खानों की परियोजना-रिपोर्ट नहीं प्राप्त होती ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : जी नहीं । ये दोनों बातें परस्पर संबंधित नहीं हैं । ओपन-कास्ट खान का कार्य मध्य प्रदेश विद्युत् बोर्ड और राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के बीच मूल्यों के तय होने पर निर्भर करता है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : जब कोयले की कीमतों पर नियंत्रण है, तो राज्य सरकार और निगम के बीच कोई मतभेद क्यों है ? क्या कोरबा कोयला खानों के कोयले की लागत गैर-सरकारी क्षेत्र के कोयले के नियंत्रित मूल्य से अधिक है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : माननीय सदस्य को यह पता होना चाहिये कि कुछ किस्मों के बारे में, हमने कुछ उत्पादन-एककों को अवहार देने की अनुमति दी है और जब हम विद्युत् बोर्ड जैसी संस्था से, जिस पर राज्य सरकार का नियंत्रण है, व्यवहार कर रहे हैं, तो यह उचित है कि बातचीत द्वारा कीमतें तय की जायें, बजाये इसके कि हम उन्हें मजबूर करें कि वह हमें वह कीमत दें, जिसे वह अधिक समझते हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार और मंत्रालय के बीच बातचीत के पश्चात् कीमत तय की गयी थी । क्या मैं जान सकता हूं कि विद्युत् बोर्ड को अब किस कीमत पर कोयला दिया जा रहा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : यह ब्यौरे की बात है । किन्तु मेरा ख्याल है कि अस्थायी रूप से कीमतों को तय किया गया था किन्तु शर्त यह थी कि दोनों पक्षों की ओर से रखी जाने वाली सामग्री की आगे जांच की जायेगी ।

तेल शोधक कारखाने

\+

†५४२. { **श्रीमती इला पालचौधरी** :
श्री जगन्नाथ राव :
श्री हेम बरुआ :

क्या **इस्पात खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय गौहाटी (आसाम) और बरौनी (बिहार) में बनाये जा रहे तेल शोधक कारखानों के व्यापक विस्तार के प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) अभी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या नाहरकटिया तेल क्षेत्रों के तेल के सब निक्षेपों का, जिन पर ये दो तेल शोधक कारखाने बनाने का विचार है, अन्तिम रूप में अनुमान लगा लिया गया है, यदि हां, तो क्या इन दो तेल शोधक कारखानों की तेल शोधने की वर्तमान क्षमता उस अन्तिम अनुमान के आधार पर रखी गई है या किसी दूसरे आधार पर ?

†**श्री के० दे० मालवीय** : मोटे तौर पर, हमें जो तेल नाहरकटिया तेल क्षेत्रों से मिलेगा, वह गुनमती और बरौनी के दो तेल शोधक कारखानों में साफ किया जायेगा । ज्यों ज्यों अधिकाधिक

†मूल अंग्रेजी में

उत्पादन कूएं चलते हैं, अन्तिम अनुमानों में थोड़ा सा फर्क पड़ता रहता है। सरकार के मन में यह तथ्य है कि नाहरकाटया से निकलने वाला सब तेल दो तेल शोधक कारखानों या उस स्थान पर तेल साफ करने के लिये यदि और कोई कारखाना स्थापित किया जाये, तो उनमें साफ किया जाना चाहिये।

†श्री हेम बरुआ : मेरे प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इन दो कारखानों---गौहाटी और बरौनी का साफ करने का वर्तमान लक्ष्य किसी अनुमान पर निश्चित किया गया है अथवा यह बेतरतीब तरीके से निश्चित किया गया है ?

†श्री के० दे० मालवीय : बेतरीके से कुछ नहीं किया गया। इस समय हम जितने तेल का अनुमान लगाते हैं वह सब साफ किया जायेगा और दोनों कारखानों के वर्तमान अनुमान के अनुसार यह यहां लगभग ७½ लाख टन होगा और बरौनी में २० लाख टन।

†श्री जगन्नाथ राव : क्या सरकार तेल शोधक कारखानों के वास्तविक निर्माण से पूर्व बढ़ी हुई क्षमता के बारे में निर्णय करेगी ?

†श्री के० दे० मालवीय : बढ़ी हुई क्षमता का अभी तक विचार नहीं किया गया है, और केवल इस तथ्य को लिया गया है कि हम सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत दो तेल शोधक कारखानों के विस्तार के लिये प्रारम्भिक ढंग से उपबन्ध कर रहे हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक तेल के कुल उपभोग के बारे में उस का विचार किया जायेगा।

†श्री मणियंगाडन : क्या दक्षिण में एक नया तेल शोधक कारखाना आरम्भ करने का प्रस्ताव है, यदि हां, तो क्या उसके लिये स्थान का फैसला कर लिया गया है या नहीं ?

†श्री के० दे० मालवीय : जी, नहीं। इस समय या तो आयात किये गये अशोधित तेल पर या देशी अशोधित तेल के आधार पर दक्षिण में शोधन कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि अभी हमें वहां कोई नहीं मिला।

†श्री जगन्नाथ राव : जिन दो तेल शोधक कारखानों का निर्माण किया जा रहा है, उन की निर्माण लागत का क्या अन्तिम अनुमान है ?

†श्री के० दे० मालवीय : मैं नहीं कह सकता।

†अध्यक्ष महोदय : वह योजनाओं की लागत चाहते हैं---दो तेल शोधक कारखानों के लिये इमारतों, संयंत्र और मशीनरी आदि की लागत चाहते हैं।

†श्री के० दे० मालवीय : इन दोनों तेल शोधक कारखानों पर लगभग ४० करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान है।

†अध्यक्ष महोदय : दोनों के लिये ?

†श्री के० दे० मालवीय : जी, हां, दोनों के लिये।

†श्री हेम बरुआ : क्या सरकार का ध्यान बरौनी तेल शोधक कारखाने के अन्तिम स्थान के मामले में बिहार में पैदा हुई अशान्ति की ओर दिलाया गया था, यदि हां, तो क्या अन्तिम स्थान के बारे में फैसला कर लिया गया है और क्या स्थान के अन्तिम चुनाव के बारे में भारतीय और रूसी विशेषज्ञों में कोई मतभेद है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० दे० मालवीय :** स्थान का अन्तिम रूप से फैसला कर लिया गया है। प्रारम्भ में जो स्थान चुना गया था, उस में कोई परिवर्तन नहीं है। बुनियादों के बारे में जो कदम उठाये जायेंगे उनके बारे में इंजीनियरों में मतभेद थे। रूसी और भारतीय इंजीनियरों में मतभेद ... थे। मतभेद जो था वह राष्ट्रीयता के आधारा पर नहीं था।

†**श्री जगन्नाथ राव :** समाचार पत्रों में कहा गया था कि पहले चुना गया स्थान भूकम्पीय खंड में है। क्या स्थान को बदलने का कोई प्रस्ताव है?

†**श्री के० दे० मालवीय :** निस्संदेह यह स्थान भूकम्पीय खंड में है, परन्तु अब स्थान बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

†**श्रीमती इला पालचौधरी :** क्या यह सच है कि भारत में गैसोलीन अधिक है और मिट्टी का तेल तथा उच्च गति का डीजल तेल कम है, यदि हां, तो हम किस देश से इस कमी को पूरा करने के लिये ये चीज मंगवाना चाहते हैं?

†**श्री के० दे० मालवीय :** भारत में गैसोलीन बहुत है और मिट्टी के तेल तथा उच्च गति डीजल तेल की कमी है। उपभोक्ताओं के लाभार्थ हमें जहां कहीं से यह अधिक सस्ते मिलेंगे हम आयात करने का प्रयत्न करेंगे।

†**श्री राजेश्वर पटेल :** क्या रूसी इंजीनियरों ने सुझाव दिया है कि बरौनी में स्थान का स्तर कुछ फुट ऊंचा उठाना पड़ेगा, यदि हां, तो उस काम पर कितनी लागत आएगी?

†**श्री के० दे० मालवीय :** वहां स्तर कुछ फुट उठाना पड़ेगा। तो भी, यदि तेल शोधक कारखाना देश के किसी दूसरे भाग में भी स्थापित होता, कुछ सीमा तक स्तर ऊंचा उठाना ही पड़ता। प्रश्न केवल यह था कि यह कितने फुट उठाना था। इस के बारे में कुछ मतभेद था। फैसला, संभवतः यह विचार किया गया है कि लगभग ३ फुट ऊंचा उठाया जाएगा।

†**श्री राजेश्वर पटेल :** क्या उस काम पर कोई अधिक धन खर्च किया जाएगा, यदि हां, तो क्या उस समय उस राशि को ध्यान में रखा गया था जब हमने तेल शोधक कारखाने की लागत का अनुमान लगाया था?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी, हां। कुछ अधिक लागत भी होगी।

†**श्री जगन्नाथ राव :** उसे कौन देगा और वह राशि कितनी होगी?

†**श्री के० दे० मालवीय:** इस समय अनुमान की वृद्धि का संकेत देना कठिन है।

†**श्री रघुनाथ सिंह :** क्या सरकार ने इस फालतू माल का निर्यात करने के लिये उपभोक्ता बाजार के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है, यदि हां, तो वे किन देशों को भेजना चाहते हैं।

†**श्री के० दे० मालवीय :** इस प्रश्न पर पहले ही विचार किया जा रहा है और तेल शोधक कारखानों के मालिक विदेशी समवाय इसे कर रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री हेम बरुआ :** क्या प्रस्तावित बरौनी तेल शोधक कारखाने के उत्पादन ढाँचे पर अंतिम फैसला कर लिया गया है ?

†**श्री के० दे० मालवीय :** जी, हां। इस विषय में न्यूनाधिक तौर पर सब बातों पर विचार किया गया है। जब हमारे पास विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन आएगा तो कहीं कुछ सीमांत परिवर्तन करने होंगे ।

†**श्री हेम बरुआ :** आधार क्या है मिट्टी का तेल या डीजल।

†**श्री के० दे० मालवीय :** यह मिट्टी के तेल तथा डीजल तेल की अधिकतम मांग उत्पादन करने पर आधारित है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भिलाई में भूमि का अधिग्रहण

†*५३३. **श्री विद्याचरण शुक्ल :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७१२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भिलाई में भूमि अर्जन के कारण विस्थापित हुए कितने व्यक्तियों को भिलाई इस्पात कारखाने में नौकरी दी गई है ; और

(ख) ऐसे विस्थापित व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्हें स्टीलटाउनशिप क्षेत्र के अन्दर दुकानें दी गई हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** (क) और (ख). लगभग २०० विस्थापित लोगों को भिलाई इस्पात संयंत्र में नौकरी दी गई है। उनमें लगभग १४१ स्थायी पदों पर लगाये गये हैं। १६ लोगों को इस्पात टाउनशिप क्षेत्र के अन्दर दुकानें दी गई हैं और एक व्यक्ति को सब्जियां बोने के लिये भूमि दी गई है।

दिल्ली में एक और विश्वविद्यालय

५३७. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :**
श्री आसर :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिल्ली में एक और विश्वविद्यालय स्थापित करने का सुझाव दिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई निर्णय करने वाली है ; और

(ग) इस योजना पर अनुमानतः सरकार का कितना खर्च होगा ?

सूचना और प्रसरण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). सरकार को हाल ही में उस प्रस्ताव की एक प्रति मिली है जिसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी ९ सितम्बर,

---

†मूल अंग्रेजी में

१९६० की बैठक में पास किया था। इस प्रस्ताव में यह सुझाव दिया गया है कि नई दिल्ली में एक पृथक विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बनाना अत्यन्त वांछनीय है। यह सुझाव विचाराधीन है।

भारतीय टैनिस टीम द्वारा इंगलिस्तान का दौरा

†*५३८. { श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक जूनियर टैनिस टीम हाल में इंगलिस्तान भेजी गई थी ;

(ख) उस टीम में कितने खिलाड़ी और गैरखिलाड़ी थे ; और

(ग) टीम के दौरे पर कुल कितना व्यय हुआ है ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी हां।

(ख) चार खिलाड़ी और एक प्रबन्धक।

(ग) लगभग ३७ हजार रुपये।

अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां

†*५४० श्री बा० चं० कामले : क्या गृह-कार्य मंत्री ९ सितम्बर, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या २५१८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय संविधान के अनुच्छेद ३३५ के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों के लिये, योजना कार्य आरम्भ किये जाने से लेकर, सरकारी क्षेत्र की पहली, दूसरी और तीसरी श्रेणियों की सेवाओं में उपलब्ध स्थानों के बारे में, सेवाओं में कुछ प्रतिशत पद आरक्षित किये गये हैं ; और

(ख) सांविधानिक उपबन्ध के समाज्ञापक होने के बावजूद भी सेवाओं में इन रक्षित स्थानों पर अनुसूचित जातियों व अनुसूचित आदिम जातियों के व्यक्तियों के नियुक्त किये जाने के बारे में आकड़े क्यों नहीं रखे जाते ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये पदों या नियुक्तियों के रखने के लिये भारत सरकार द्वारा जारी किये गये आदेश सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में लागू नहीं होते।

(ख) उपरोक्त उत्तर की दृष्टि से प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। जिन पदों पर ये आदेश लागू होते हैं उन के बारे में आंकड़े रखे जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

माल-डिब्बों का आवंटन

†*५४३ श्री बांगशी ठाकुर : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) त्रिपुरा को कोयला ले जाने के लिये माल-डिब्बों का आवंटन किस आधार पर किया जाता है ; और

(ख) क्या सरकार के पास ऐसी कार्य-व्यवस्था है जो इस बात की ओर विशेष ध्यान देती है कि त्रिपुरा को कोयला ले जाने के लिये आवंटित माल-डिब्बों का पूर्ण तथा समय पर उपयोग हो ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जैसा कि अन्यत्र है, त्रिपुरा में भी उपभोक्ताओं के मामले में, माल-डिब्बे, उपभोक्ताओं की ओर से कोयला खानों द्वारा रेलवे आवंटन दफ्तर से की गई मांग के आधार पर आवंटित किये जाते हैं।

(ख) एक बार आवंटन हो जाने के पश्चात् सामान्यता यह आशा की जाती है कि माल उठाया जाएगा। जहां उपभोक्ता कोयला नियंत्रण को यह सूचना देते हैं कि किसी कारण से माल भेजा नहीं गया, कोयला नियंत्रण तदर्थ आवंटन करता है और प्राथमिकता के साथ माल भिजवाने का प्रयत्न करता है।

जीवन बीमा निगम द्वारा धन विनियोजन

†*५४४. श्री विश्वनाथ रेड्डी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जीवन बीमा निगम के धन को राज्य वित्त निगमों और औद्योगिक वित्त निगम में लगाने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस विनियोजन से सम्बन्धित मुख्य बातें क्या हैं ?

†वित्त उपमंत्री (श्री भगत) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

माल-डिब्बे

†*५४५. श्री आचार : क्या इस्पात, खान और धन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब के ईंट बनाने के उद्योग की, कोयला ढोने वाले माल-डिब्बों के समय पर अपने गंतव्य स्थान पर न पहुंचने के कारण बहुत क्षति हो रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि पाकिस्तान को कोयला भेजने के लिये तो २०० माल-डिब्बे प्रतिदिन दिये जा रहे हैं और हमारे अपने देश के ही ईंट बनाने के उद्योग को कोयला भेजने के लिये माल-डिब्बे नहीं दिये जा रहे हैं ; और

(ग) क्या सरकार इस स्थिति को सुधारने के लिये आवश्यक कार्रवाई करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): (क) सरकार को पता है कि पंजाब और उत्तर प्रदेश में ईंटों के भट्ठों को पर्याप्त मात्रा में कोयला नहीं भेजा गया।

(ख) पाकिस्तान को कोयले का निर्यात उस देश के साथ किये गये द्विपक्षीय व्यापार करार के अन्तर्गत है। निर्यात के लिये मानी गई मात्रा निर्धारित करते समय हमारी अपनी आन्तरिक आवश्यकता को ध्यान में रखा जाता है। इस करार के अन्तर्गत प्रतिदिन १९९ माल-डिब्बे जुलाई और नवम्बर के बीच पाकिस्तान जाते रहे हैं और वर्ष की अवशिष्ट अवधि में प्रतिदिन १५३ माल-डिब्बे। यह कहना सही नहीं है कि इस निर्यात के कारण ईंटों के भट्ठों को मिलने वाले संभरण पर बड़ी सीमा में बुरा प्रभाव पड़ा है।

(ग) उच्च प्राथमिकताओं वाले उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात् परिवहन की उपलब्धि के अनुसार माल भेजने का हर संभव प्रयत्न किया जाता है।

कोयला ढोने के लिये माल-डिब्बे

†*५४६. श्री अरबिन्द घोषाल : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर और अक्तूबर १९६० के महीनों में कोयला नियंत्रक को दिये गये माल-डिब्बों के पूरे कोटे का उपयोग नहीं किया जा सका ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी रही ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). सितम्बर तथा अक्तूबर १९६० में कोयले के परिवहन की उपलब्धि के मुकाबले में माल-डिब्बों के औसतन दैनिक आवंटन को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३०]। यद्यपि आवंटन पेशकश से कुछ कम था, जितने माल-डिब्बे वास्तव में ढोने के लिये दिये गये थे उनका पूर्ण उपयोग उठाया गया था।

पेट्रोलियम उत्पाद

†*५४७. श्री साधन गुप्त : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल समवायों ने रूस से सरकार द्वारा मंगवाये गये पैट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों की तुलना में कम मूल्य करने की नीति अपनाई है ;

(ख) यदि हां, तो किस मात्रा में कमी की है ;

(ग) इन में से कौन से समवाय, मूल्य की इस कटौती से होने वाले घाटे को उन को मिलने वाले शुल्क संक्षरण से पूरा कर रहे हैं ; और किस सीमा तक ;

(घ) इन में से प्रत्येक समवाय को प्रतिवर्ष कितना शुल्क संरक्षण दिया जाता है ;

(ङ) क्या इन समवायों को अपना शुल्क संरक्षण छोड़ देने के लिये कहा गया है ; और

(च) यदि हां, तो प्रत्येक से क्या उत्तर प्राप्त हुआ है ?

---

†मूल अंग्रजी में

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) यह कहना संभव नहीं है कि तेल समवायों ने इस प्रकार रूस से मंगवाये गये पैट्रोलियम उत्पादों की तुलना में मूल्य कम करने को कोई नीति अपनाई है । तथापि ऐसे कुछ उदाहरण हैं कि समवायों ने रूस से मंगवाये गये तेल की दरों से कम दरों पर तेल बेचने की पेशकश की थी ।

(ख) ग्राहकों को पेश किये मूल्यों में अन्तर था । हालांकि यह ठीक से नहीं कहा जा सकता कि किस उपभोक्ता से क्या भाव कहे गये थे, कुछ लोगों को पेश की गई दरें रूस से मंगवाये गये तेल की लागत से कम बताई गई थी ।

(ग) बर्मा शैल ने उसको मिलने वाली प्रशुल्क रियायत १-७-५९ से छोड़ दी थी । एस० वी० आर० सी ने भी १५-११-६० से रियायत छोड़ने को कह दिया है । सी० ओ० आर० आई० एल० ने अभी यह प्रशुल्क रक्षण नहीं छोड़ा । यह कहना संभव नहीं है कि समवायों ने किस सीमा तक प्रशुल्क रक्षण के कारण होने वाली बचत से मल्य कम करने के घाटे को पूरा किया है ।

(घ) तेल शोधक कारखाना करार के अनुसार प्रतिवर्ष प्रशुल्क रक्षण इस प्रकार दिया जाता है :

एस० वी० आर० सी० .	१४,३६०,५०० रुपये
सी० ओ० आर० आई० एल०	६,३४७,५९८ रुपये

(ङ) जी, हां ।

(च) इस प्रार्थना के परिणामस्वरूप, एस० वी० आर० सी० ने १५-११-६० से प्रशुल्क रक्षण पहले ही छोड़ दिया है । सी० ओ० आर० आई० एल० ने कहा है कि वह तुरन्त प्रशुल्क रक्षण छोड़ने की स्थिति में नहीं है परन्तु इसे लगातार ध्यान में रखेगी और समय समय पर इस स्थिति पर पुनर्विचार करेगी ।

नागार्जुनसागर परियोजना

†*५४८. **कुमारी मो० वेदकुमारी :**
श्री उस्मान अली खां :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात की कमी के कारण नागार्जुनसागर परियोजना के निर्माण कार्य में विलम्ब हो गया है ; और

(ख) समय पर पर्याप्त मात्रा में इस्पात दिया जाय इस के लिये अब तक क्या कार्रवाई की गई है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह): प्रश्न का उत्तर सिंचाई और विद्युत मंत्री बाद की किसी तारीख को देंगे ।

हिन्दू धार्मिक धर्मस्व आयोग का प्रतिवेदन

†*५४९. **श्री तंगामणि :** क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री सी० पी० रामस्वामी अय्यर की अध्यक्षता में स्थापित हिन्दू धार्मिक धर्मस्व आयोग ने अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो प्रतिवेदन के कब तक प्राप्त होने की आशा है ; और

(ग) आयोग किन किन राज्यों में गया था ?

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) आयोग १९६१ के उत्तरार्ध में सरकार को अपना प्रतिवेदन देगा, ऐसी आशा है ।

(ग) आयोग केरल तथा मैसूर राज्यों में जा चुका है और अब गुजरात राज्य का दौरा कर रहा है ।

कच्चा माल समिति

†*५५०. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रज्जु पथों और पाइपलाइनों के द्वारा इस्पात कारखानों के लिये कच्चा माल भेजने का प्रयोग करने के लिये कच्चा माल समिति की राय स्वीकार कर ली है ; और

(ख) क्या लागत का अनुमान लगा लिया गया है ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: (क) और (ख). जी, नहीं । यह भावी योजनाओं में विचारार्थ—केवल एक सुझाव था । तीसरी पंचवर्षीय योजना में इस्पात उद्योग के लिये कच्चा माल रेलवे द्वारा ढोया जायेगा ।

असैनिकों के लिये राइफलों और बन्दूकों का निर्माण

†*५५१. **श्री कर्णी सिंहजी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असैनिकों के लिये बड़े पैमाने पर बन्दूकों और शिकार की राइफलों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव सरकारी शस्त्रास्त्र कारखानों के विचाराधीन है और भारतीय कारतूसों के मूल्य गिरने की क्या संभावना है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : शस्त्रास्त्र कारखानों ने १२ बोर डी० बी० बी० एल० शौट गन और ·३१५" राइफलों का निर्माण बड़े पैमाने पर पहले ही आरम्भ कर दिया है ।

कारतूसों की कीमतें धीरे धीरे कम की जा रही हैं । ·३१५" कारतूसों की कीमतें १-११-६० से कम कर दी गई हैं और १०० के लिये ७५ रुपये से घटा कर ४५ रुपये कर दी गई हैं । १२ बोर की कीमतें भी कम की जा रही हैं ।

इस्पात कारखानों को कच्चे माल का संभरण

†*५५२. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मंत्रालय ने देश में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों के सभी इस्पात कारखानों को कच्चे माल के संभरण की देखभाल करने के लिये कोई समिति नियुक्त की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :(क) जी, हां ।

(ख) समिति स्थापित करने के संकल्प की प्रति सभा पटल पर रखी जाती है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३१]

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के लेखा का लेखा परीक्षण

†*५५३. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भिलाई, दुर्गापुर, रूरकेला, और बोकारो में मैसर्स हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के लेखा का लेखापरीक्षण करने के लिये लेखापरीक्षकों की केवल एक फर्म नियुक्त की गई है ;

(ख) क्या नेशनल आयल रिफाइनरीज के लेखा का लेखा परीक्षण करने के लिये लेखा-परीक्षकों की एक ही फर्म नियुक्त की गई है ;

(ग) क्या सरकार यह बतायेगी कि इन के लिये केवल एक ही फर्म क्यों नियुक्त की गई है ;

(घ) क्या सरकार का विचार शीघ्रतापूर्वक कार्य चलाने के लिये अधिक लेखापरीक्षक नियुक्त करने का है ; और

(ङ) इस समय काम करने वाले लेखापरीक्षकों की फीस क्या है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं । हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी के लिये १९६०-६१ के लिये लेखापरीक्षकों की दो फर्में नियुक्त की गई हैं। विभिन्न इस्पात परियोजनाओं के लिये पृथक लेखापरीक्षक नहीं हैं ।

(ख) जी, हां । भारतीय तेल शोधक कम्पनी के लिये १९५९–६० के लिये लेखापरीक्षकों की केवल एक फर्म नियुक्त की गई थी। १९६०-६१ के लिये अभी लेखापरीक्षक नियुक्त नहीं किये गये हैं ।

(ग) काम इतना अधिक नहीं था कि १९५९-६० में इंडियन रिफाइनरीज के लिये लेखा-परीक्षकों की एक से अधिक फर्में नियुक्त की जातीं ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) (१) १९६०-६१ के लिये हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी—लेखापरीक्षकों की दोनों फर्मों के लिये ।

(२) इंडियन रिफाइनरीज १९५९-६० के लिये ६००० रुपये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

गोला बारूद की खरीद

श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री विद्या चरण शुक्ल :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री २४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७४० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५२ में एक यूरोपीय फर्म से गोला बारूद आदि की खरीद की जांच करने के लिये नियुक्त की गई समिति ने अपना प्रतिवेदन तैयार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है ;

(ग) इस के मुख्य निष्कर्ष क्या हैं ; और

(घ) उस पर क्या कार्रवाई की गई है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी, नहीं । समिति का प्रतिवेदन तैयार करने का काम पूर्ण होने वाला है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

दक्षिण के लिये इस्पात कारखाना

†*५५५. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :
श्री मरारका :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री १७ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४४५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय तथा मद्रास राज्य के अफसरों की समिति ने दक्षिण में एक इस्पात कारखाना स्थापित किये जाने की संभावना के बारे में जांच करने और रिपोर्ट देने के विषय में अब तक कितनी प्रगति की है ; और

(ख) समिति कब तक अपना प्रतिवेदन देगी ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). समिति तभी प्रतिवेदन दे सकती है जब इसके द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार विस्तृत भूतत्वीय सर्वेक्षण पूरा हो जाये और कच्चे माल अर्थात् लिग्नाइट, लोह अयस्क तथा चूने का पत्थर की प्रतिनिधि मात्राओं के साथ बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक प्रयोग किये जायें । १९६१ के मध्य तक प्रयोग किये जाने के लिये लिग्नाइट पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन

†*५५६. श्री भक्त दर्शन :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री १७ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४७३ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन में अस्थायी वृद्धि करने के प्रश्न के बारे में और क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) इस मामले में अन्तिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन): (क) और (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

सशस्त्र सेनाओं के पेंशन प्राप्त लोगों के लिये पेंशन में अस्थायी वृद्धि की बढ़ी हुई दरें अनुमोदित कर दी गई हैं । इस निर्णय से लगभग ३ $^{1}/_{2}$ लाख पेंशन प्राप्त लोगों को लाभ होगा । यह सशस्त्र सेनाओं के उन पेंशन प्राप्त लोगों पर लागू नहीं होता जिन्हें १९५३ में लागू की गई नवीन पेंशन संहिता की पेंशन दरें मिलती हैं, क्योंकि इन पेंशन दरों के साथ कोई अस्थायी वृद्धि नहीं दी जा सकती इसमें भूतपूर्व राज्यों की सेनाओं के पेंशन प्राप्त लोग भी नहीं आते, जिन्हें संबद्ध राज्य सरकारों/प्रशासनों द्वारा राज्यों में असैनिक पेंशन प्राप्त लोगों के लिये समय समय पर निर्धारित दरों के अनुसार अस्थायी वृद्धि मिलती है ।

अब अनुमोदित की गयी पेंशन की अस्थायी वृद्धि की बढ़ी हुई दरें इस प्रकार बनाई गई हैं कि मूल पेंशन तथा नवीन अस्थायी वृद्धि समवर्ती नवीन पेंशन संहिता की पेंशन दरों से अधिक न हो । इस बात और सीमित करने वाले इस तथ्य के अन्दर रहते हुये कि एक ही दर्जे के पेंशन प्राप्त, एक ही प्रकार की तथा एक ही दर से मूल पेंशन लेने वालों को अस्थायी वृद्धि एक ही दर से मिलनी चाहिये, केन्द्रीय सरकार के असैनिक पेंशन प्राप्त लोगों को मिलने वाली पेंशन की अस्थायी वृद्धि की आधुनिकतम दरें सशस्त्र सेनाओं के पेंशन प्राप्त लोगों पर सामान्यतया लागू की गई हैं ।

इस निर्णय के परिणामस्वरूप, १०० रुपया मासिक तक पेंशन लेने वाले योग्य पेंशन प्राप्त लोगों को पेंशन की अस्थायी वृद्धि की बढ़ी हुई दरें मिलेंगी, जो सामान्यतया ७ रुपये प्रति मास से १२.५० रुपये प्रतिमास के बीच होंगी, जबकि केन्द्रीय सरकार के असैनिक पेंशन प्राप्त लोगों को दो निश्चित अस्थायी वृद्धि की दरें अर्थात् १० रुपये प्रति मास और १२.५० रुपये प्रति मास मिलती हैं । मूल पेंशन, दर्जे, पेंशन की किस्म और अन्य बातों के लिहाज के, उपरोक्त परिधि के अन्दर अस्थायी वृद्धि की वास्तव में बढ़ी हुई मासिक दरें ये हैं, ७ रुपये, ७.५० रुपये, ८ रुपये, ८.५० रुपये, ९ रुपये, ९.५० रुपये, १० रुपये, १०.५० रुपये, ११ रुपये, ११.५० रुपये, १२ रुपये और १२.५० रुपये ।

अस्थायी वृद्धि की बढ़ी हुई दरें १ अप्रैल १९५८ से लागू होंगी और पिर छली मासिक दरों अर्थात् ४ रुपये, ५ रुपये और ६ रुपये के स्थान पर होंगी, चाहे पिछली दरें मूल पेंशन में अलग से जोड़ी गई थीं या पेंशन की समेकित दरों में शामिल की गई थीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कोयले की कमी

†*५५७. श्री विद्या चरण शुक्ल :
श्री अनिरुद्ध सिंह :
डा० राम सुभग सिंह :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री आचार :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री विमल घोष :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे मंत्री ने हाल में इस्पात, खान और ईंधन मंत्री तथा संबद्ध मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों से कोयले की कमी को हल करने के बारे में परामर्श किया था ; और

(ख) ऊंचे पैमाने की इस वार्ता से क्या निष्कर्ष निकले हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) महत्वपूर्ण निष्कर्षों को दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(१) कोयला नियंत्रक, दिन प्रति दिन कोयले के लिये माल डिब्बे आवंटित करने के बजाये, एक समय पर दस दिन की अवधि के लिये आवंटन करेगा । ऐसा इसलिये किया जायेगा कि माल ढोने के काम के करने में रेलवे को कुछ कमी बेशी करने की सुविधा हो । अप्रत्याशित आकस्मिक स्थिति को संभालने के लिये १० दिन की अवधि के बीच की यदि कोयला नियंत्रक को कोई विशेष आवंटन करने की आवश्यकता होगी, तो रेलवे उसको पूरा करेगी ।

(२) कोयला का ढोना सप्ताह के सातों दिन होना चाहिये ।

(३) इस्पात संयंत्रों के लिये कोयला धोने के कारखानों की प्रगति बढ़ाई जानी चाहिये ।

(४) रेलवे को दिये गये कोयले की किस्म को बढ़ाने की दृष्टि से, कोकिंग से अतिरिक्त कोयले को धोने के कारखाने स्थापित करके घटिया किस्म के कोयले को बढ़िया बनाना आवश्यक था । इसके लिये किये जाने वाले अन्य उपायों का उच्च प्राथमिकता से परीक्षण किया जायेगा ।

(५) इस दौरान, इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय इसके लिये कार्रवाई करेगा कि उचित किस्म और आकार का कोयला रेलवे के इंजनों की जरूरत के लिये दिया जाये ।

(६) देश के विभिन्न स्थानों पर, तथा बड़ी कोयला खानों के ढुलाई स्थान पर कोयला जमा करने के स्थान खोलने की आवश्यकता स्वीकार की गई । इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय राज्य सरकारों और कोयला उद्योग के साथ इस मामले को जोर से उठायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(७) रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिये लोह अयस्क भेजने का बारसुआ लोह अयस्क खानों से यथा शीघ्र प्रबन्ध किया जाना चाहिये, जैसा कि रूरकेला इस्पात कारखाने को लोह अयस्क भेजने की मूल योजना में विचार किया गया था।

(८) इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय शीघ्रता पूर्वक माल उतारने तथा अन्दर भरे डिब्बों को वापिस करने के लिये विभिन्न इस्पात संयंत्रों में पर्याप्त व्यवस्था करने का काम करेगा।

(९) रेलवे शीघ्र ही आरम्भ होने वाली नई धमन भट्ठियों के लिये कोयला जमा करने की आवश्यकताओं समेत इस्पात संयंत्रों की पूरी आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त डिब्बों की व्यवस्था करेगी।

(१०) नवम्बर, १९६० से आरम्भ होने वाले व्यस्त मौसम में, रेलवे यह प्रयत्न करेगी कि पश्चिम बंगाल बिहार के कोयला क्षेत्र में कोयला ढोने के लिये प्रतिदिन ५००० माल डिब्बों का उपलब्धि कायम रखेगी, यदि उपरोक्त निर्णय पूरी तरह कार्यान्वित हुये।

पेट्रोलियम उत्पाद

†*५५८. **श्री कालिका सिंह :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज कल देश में कुल जितने पेट्रोलियम उत्पादों का उपयोग होता है उस में कितने प्रतिशत देशी पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं और १९५१ में यह प्रतिशतता क्या थी ;

(ख) वर्तमान तेल शोधक कारखानों द्वारा पूर्ण उत्पादन आरम्भ किये जाने के बाद देशी पैट्रोलियम उत्पादों की प्रतिशतता कितनी बढ़ जाएगी ; और

(ग) जो नये तेल क्षेत्र मालूम किये गये हैं उन सब से पैदा होने वाले पेट्रोलियम उत्पादों से देश की कुल कितनी मांग के कितने प्रतिशत भाग के पूरे हो जाने की आशा है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) अब लगभग ७५ प्रतिशत जब कि वर्ष १९५१ में यह लगभग ७ प्रतिशत थी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। देश में वर्तमान गैर-सरकारी क्षेत्र के शोधक कारखानों में पूरा उत्पादन हो रहा है।

(ग) जब नूनमती और बैरौनी के तेल शोधक कारखानों में पूरा उत्पादन होने लगेगा, तो पेट्रोलियम उत्पादों की भारत की आवश्यकता का ८२ प्रतिशत भाग देशी उत्पादन से पूरा हो जायेगा।

कोयले का उपभोग

†*५५९. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला नियंत्रक ने यह निदेश किया है कि छोटे पैमाने के उद्योग उपभोक्ताओं को उन की उपभोग आवश्यकता का केवल ७५ प्रतिशत मिलना चाहिये ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस निदेश के क्या कारण हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सेना के लिये क्षेप्यास्त्र

†*५६०. श्री ब० चं० कामले :
श्री कोरटकर :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सेना शीघ्र ही क्षेप्यास्त्र प्राप्त करने वाली है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा और उनकी लागत क्या है तथा वे किन शर्तों पर प्राप्त किये जायेंगे और किन देशों से ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) सेना को क्षेप्यास्त्र से लैस करने के बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

प्रामाणिक राष्ट्रीय मानचित्रावली

†*५६१. श्री तंगामणि : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७०५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रामाणिक राष्ट्रीय मानचित्रावली (स्टैंडर्ड नेशनल एटलस) अंग्रेजी में कब तैयार हो जाएगी ;

(ख) इनका परिचालन कब किया जायेगा ; और

(ग) क्या प्रादेशिक भाषाओं में भी मानचित्रावलियां तैयार की जाएंगी ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) राष्ट्रीय मानचित्रावली के अंग्रेजी संस्करण के तृतीय पंचवर्षीय योजना की अवधि के अन्त तक पूरे होने की संभावना है ।

(ख) क्योंकि पूरी मानचित्रावली के प्रकाशन में काफ़ी समय लगेगा, अत: अलग अलग नकशे जैसे जैसे छपेंगे पुस्तक के खण्डों के रूप में यह अलग अलग प्रकाशित कर दिये जायेंगे ।

(ग) इस समय सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

आयुध कारखानों में खंड कार्य आय[1]

†*५६२. श्री स० मो० बनर्जी :
श्री तंगामणि :
श्री एन्थनी पिल्ले :
श्री अरविंद घोषाल :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने देश भर में आयुध कारखानों के लगभग ३०,००० खंड कर्मचारियों की खंड कार्य आय पर ५० प्रतिशत लाभ की पाबंदी लगा दी है ;

(ख) क्या इस पाबंदी के परिणाम स्वरूप कर्मचारियों को नवम्बर १९६० में २० रुपये से से ७० रूपये तक वित्तीय हानि हुई है ;

(ग) क्या यह कटौती मजूरी भुगतान अधिनियम के उपबंधों के प्रतिकूल है ;

(घ) क्या इस कटौती के परिणामस्वरूप उत्पादन में कमी हुई है ; और

(ङ) यदि हां, तो पाबंदी को हटाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†प्रतिरक्षा उपमंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) से (ङ). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

आयुध कारखानों में खंड-कार्य दरों में वृद्धि के लिये संशोधन के बारे में सरकार आदेश जारी कर चुकी है । पहले खंड-कार्य दर पुराने मल वेतन-स्तर के आधार पर फैलाये जाते थे जिस में २५ प्रतिशत प्रेरक तत्व के रूप में दिया जाता था। नये आदेशों के अधीन, नवीन खंड-कार्य दरों को २५ प्रतिशत प्रेरक तत्व के साथ प्रतिरक्षा सेवाओं में असैनिक (पुनरीक्षित वेतन) नियम, १९६० के अधीन मंजूर वेतन-स्तरों के आधार पर मिला दिया गया है । क्योंकि पुराने महंगाई भत्ते का अधिकांश नये वेतन-स्तरों में मिला दिया गया है, अतः नये तरीके पर निकाली गयी खंड-कार्य दर पुरानी लागू दरों से काफ़ी अधिक थी क्योंकि अब २५ प्रतिशत प्रेरक तत्व मिले हुए महंगाई भत्ते पर भी दिया जाता है ।

२. जब आयुध कारखानों में खंड-कार्य दरों को वर्ष १९५३ में नये मासिक स्तरों से मिलाया गया था तो यह फैसला किया गया था कि उन सब दरों का पुनरीक्षण किया जाये जिन से पुराने मूल आय पर ७५ प्रतिशत से अधिक लाभ होता है । यद्यपि कई दरों का उचित रूप से संशोधन कर दिया गया है, तथापि यह कार्य पूरा नहीं हुआ है । खंड-कार्य दरों को नये स्तरों में मिलाने में विलम्ब को रोकने के लिये, जो कि अधिकांश श्रमिकों के लिए हितकर न होता, यह तय किया गया है कि मिलाने का कार्य तत्काल आरम्भ कर दिया जाये । परन्तु जब तक खुली दरों का संशोधन न हो जाय, प्रत्येक खंड श्रमिक के वेतन में ५० प्रतिशत से अधिक लाभ न हो । ५० प्रतिशत की यह सीमा नये मूल मजरी के आधार पर है, अर्थात् पुरानी मूल मजूरी जिस में वेतन में मिलाया गया महंगाई भत्ता शामिल है और वह अधिकांश मामलों में पहले स्वीकृत ७५ प्रतिशत के स्तर से अधिक है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Piece Work earnings

३. पुनरीक्षित दरें, जो अस्थायी हैं, १-९-१९६० से लागू हैं। नयी योजनाओं के फलस्वरूप, आयुद्ध कारखानों में अधिकांश खंड कर्मचारियों की आय में पर्याप्त वृद्धि हो गयी है । कुछ थोड़े मामलों में जिनकी दरें खुले तौर पर निर्धारित की गयी हैं, वर्तमान वेतन दर से ५० प्रतिशत अधिक तक रखी गयी हैं। इस सीमा से उन खंड कर्मचारियों पर कोई असर नहीं पड़ता जिनकी दरें खुले तौर पर निर्धारित नहीं की गयी हैं।

४. अधिकतम सीमा का निर्धारण नयी योजना के अधीन मजूरी तै करने का एक जरिया है और इस कारण जो समायोजन किया जायेगा वह मजरी भुगतान अधिनियम के उपबंधों के अनुसार श्रमिकों की मजूरी में से नहीं काटा जायेगा।

५. सरकार को नयी खंड दरों के लागू करने के कारण उत्पादन में किसी हानी के बारे में नहीं बताया गया है। दरों में संशोधन किये जाने के पश्चात् अधिकतम सीमा को हटाने के प्रश्न को तै किया जायेगा।

धातु मिश्रित तथा औजारी इस्पात संयंत्र

†*५६३. श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री प्र० गं० देव :
श्री विद्याचरण शक्ल :
श्री मुरारका :
श्री साधन गुप्त :
श्री अरविंद घोषाल :
श्री बि० दास गुप्त :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री गोरे :
श्री हेम बरूआ :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री २४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ७४४ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रस्ताविक धातु मिश्रित और औजारी इस्पात परियोजना के प्रतिवेदन का परीक्षण कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). सरकार ने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्ध में दुर्गापुर में धातुमिश्रित इस्पात संयंत्र के लिये जगह का अनुमोदन कर दिया है । रिपोर्ट की हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड और जांच कर रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिम जर्मनी से ऋण

†*५६४. श्री दी० चं शर्मा :
श्री इन्द्रजीत लाल मल्होत्रा :
श्री बहादुर सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम जर्मनी १९६०–६१ में भारत के विकास के लिये कोई ऋण दे रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी राशि और किस रूप में ।

†वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) प्रत्येक १२.५१ करोड़ डी.एम. (१४.१८ करोड़ रुपये) के दो ऋण करार किये गये हैं एक २७ मई, १९६० को और दूसरा १५ नवम्बर, १९६० को। ये करार, यद्यपि इन पर वर्ष १९६०–६१ में हस्ताक्षर हुए हैं, द्वितीय योजना काल के लिये जर्मन गणतंत्र द्वारा सहायता के भाग हैं। दोनों ऋणों को पश्चिम जर्मनी से आयात के लिये भुगतान पर खर्च किया जायेगा। प्रथम ऋण २० वर्ष के लिये है जिस पर ६ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत वार्षिक ब्याज है और दूसरा ऋण १५ वर्ष के लिये है जिस पर १९–१–६१ तक ६ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत वार्षिक ब्याज है और उसके बाद ५ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत वार्षिक व्याज है ।

तेल की खोज का कार्यक्रम

†*५६५. श्री विद्याचरण शुक्ल : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तैल और प्राकृतिक गैस आयोग के विशेषज्ञों ने तेल की खोज के कार्यक्रम को पूर्णतया बदलने का सुझाव दिया है ; और

(ख) उनकी सुझाव की मुख्य बातें क्या हैं ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन का भाटकित विमान

†*५६६. श्री न्द्रजीत गुप्त :
श्री प्र० गं० देव :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयर लाइन्ज कारपोरेशन का एक भाटकित विमान सुरक्षा पुलिस द्वारा ७ नवम्बर, १९६० को बागडोगरा के हवाई अड्डे पर रोक लिया गया और सील कर दिया गया ; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्रवाई के क्या कारण थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त): (क) और (ख). जी, नहीं । एक गैर-सरकारी सार्थ का विमान, जिसको सरकार ने भाड़े पर लिया था, ६ नवम्बर, १९६० को हवाई अड्डा अधिकारी द्वारा वागडोगरा हवाई अड्डे पर कुछ प्रविधिक कारणों से उतारा गया था ।

लघु बचत योजनायें

†९३५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब के पटियाला जिले में १ अक्तूबर, १९५९ से ३१ मार्च, १९६० तक लघु बचत योजनाओं के अधीन कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गयी ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : लगभग ६.९० लाख रुपये (शुद्ध) ।

विज्ञान मन्दिर

†९३५. श्री दी० चं० शर्मा : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री २० अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ११२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की करेंगे कि :

(क) विज्ञान मंदिरों के कार्य की जांच करने वाली समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ख) सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (श्री डा० म० मो० दास) : (क) एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३२]

(ख) समिति की सिफारिशों के अनुसरण में यह तै किया गया है कि विज्ञान मन्दिरों में एक सांस्कृतिक शाखा न जोड़ी जाये । समिति की अन्य सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं ।

अनुसूचित जातियों के लिये पद

†९३७. श्री दी० चं० शर्मा : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में अब तक संघ लोक सेवा आयोग ने अनुसूचित जातियों के लिये कितने पदों का विज्ञापन दिया ;

(ख) क्या विज्ञापित रिक्त स्थान अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों से भरे गये हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) १ जनवरी, १९६० से ३० सितम्बर, १९६० तक संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों में से केवल अनुसूचित जातियों के लिये ३१६ पद रक्षित थे और अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये २२१ पद रक्षित थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

विदेशियों का भारत में अधिक समय तक ठहरना

†९३८. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री पांगरकर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मई, १९६० के बाद भारत सरकार को ऐसे कितने मामले बतलाये गये हैं जहां कुछ विदेशी अपने पारपत्रों की अवधि समाप्त हो जाने के बाद भी भारत में ठहरे ; और

(ख) वे व्यक्ति किन देशों के थे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

राजस्व की वसूली

†९३९. **श्री पांगरकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५९–६० में मध्य प्रदेश में करों और अन्य राजस्व उपायों से भारत सरकार ने कितनी धनराशि एकत्र की है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : वर्ष १९५९–६० में मध्य प्रदेश में प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष करों से १६,१८,७६,००० रुपये की धनराशि एकत्र की गयी ।

"असैनिक प्रशासन, करेंसी, टकसाल, असैनिक कार्य आदि" विभिन्न मदों के अधीन आय किसी किये गये राजस्व उपाय के कारण आय नहीं है परन्तु वे की गई सेवाओं और संभरण के लिये है, अतः यह रकम उपरोक्त आंकड़ों में शामिल नहीं की गई है ।

शिष्टमंडलों पर विदेशी मुद्रा

†९४०. **श्री पांगरकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ सितम्बर, १९६० से १ नवम्बर १९६० तक की अवधि में विदेशों को गये शिष्टमंडलों अथवा मंत्रियों के दौरों पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : अपेक्षित जानकारी विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से एकत्र की जा रही है और तैयार होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

मध्य प्रदेश में आय-कर की बकाया

†९४१. **श्री पांगरकर** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्य प्रदेश रीजन में १ जनवरी, १९६० को आय-कर की कितनी रकम बकाया थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासम्भव शीघ्र एक विवरण सभा पटल पर रखा जायेगा जिसमें अपेक्षित जानकारी दी होगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

लखनऊ की छतर मंजिल

†९४२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष १९६०–६१ में लखनऊ की छतर मंजिल की मरम्मत अथवा संधारण के लिये कोई आवंटन किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये कितनी रकम आवंटित की गयी है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) और (ख). क्योंकि इस इमारत के संरक्षण को समाप्त करने का फैसला किया गया है, पुरातत्व विभाग द्वारा इस इमारत के संधारण अथवा मरम्मत के लिये कोई आवंटन नहीं किया गया है।

पंजाबी भाषा का विकास

†९४३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने वर्ष १९६०–६१ में अब तक पंजाबी भाषा के विकास के लिये अनुदान मांगा है ;

(ख) यदि हां, तो उनको कितना अनुदान दिया गया ; और

(ग) यह अनुदान अब तक किस प्रकार खर्च किया गया है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) जी, हां।

(ख) पंजाब सरकार को निम्नलिखित प्रकाशनों के लिये ४९५०० रुपये की धनराशि आवंटित की गयी है :

(१) उर्दू-पंजाबी शब्दकोश ।

(२) ग्रियरसन्स लिन्ग्विस्टिक सर्वे आफ इण्डिया, खंड ८ और ९ का पुनः छापना।

(३) दुर्लभ शब्द कोशों का प्रकाशन ।

(४) पंजाबी लिपि की सूची ।

(५) पंजाबी हस्तलिपि का सम्पादन ।

(६) पंजाबी लिपि में हिन्दी पुस्तकें ।

(७) पंजाबी लिपि में उर्दू पुस्तकें ।

(८) देवनागरी लिपि में पंजाबी पुस्तकें ।

(९) आरांम्भक पंजाबी व्याकरण ।

(ग) अभी तक कोई प्रगति प्रतिवेदन नहीं मिला है क्योंकि यह आवंटन हाल ही में किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब में स्कूल छात्रावास

†९४४. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री ११ मार्च, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १०३१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने वर्ष १९५९–६० में और १९६०–६१ में अब तक पंजाब सरकार को स्कूल छात्रावास बनाने के लिये कोई और ऋण मंजूर किया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक संस्था के लिये कुल कितनी धन राशि मंजूर की गयी है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). स्कूल छात्रावास बनाने के लिये पंजाब सरकार को कोई ऋण मंजूर नहीं किया गया । तथापि पंजाब में निम्नलिखित दो शिक्षक प्रशिक्षण कालिजों को छात्रावास बनाने के लिये वर्ष १९५९–६० में ६८,००० रुपये का ऋण मंजूर किया गया ;

१. छोटू राम बेसिक ट्रेनिंग कालिज, रोहतक . .	३५,००० रुपये
२. खालसा बेसिक ट्रेनिंग कालिज, सिधवान खुर्द, लुधियाना .	३३,००० रुपये
कुल	६८,००० रुपये

हिमाचल प्रदेश के लिये लोहे की चादरें

†९४५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६० में हिमाचल प्रदेश को लोहे की कितनी चादरों की मांग हैं ;

(ख) यह मांग कहां तक पूरी की गयी ;

(ग) विभिन्न विकास योजनाओं को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश को अधिक लोहे की चादरें देने के लिये सरकार ने क्या व्यवस्था की है ; और

(घ) यदि कोई व्यवस्था नहीं की गयी है, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : (क) से (घ). चादरों का आवंटन वित्तीय वर्ष के अनुसार किया जाता है । चालू वर्ष की पहली छमाही में अर्थात् अप्रैल से सितम्बर, १९६० तक हिमाचल प्रदेश की चादरों की मांग १७४३ टन थी । इसके विरुद्ध ६४५ टनों का आवंटन किया गया और लगभग १०० टन माल भेजा गया। अक्तूबर, १९६० से मार्च, १९६१ तक दूसरी छमाही में मांग २८८६ टन थी परन्तु छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये आवंटन को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

चादरों का संभरण देश भर में बहुत कम है परन्तु यथासम्भव विकास योजनाओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये भरसक प्रत्यत्न किये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक समारोह

†९४६. **श्री बी० चं० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब विश्वविद्यालय को सांस्कृतिक समारोहों का आयोजन करने के लिये अनुदान दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिये पंजाब विश्वविद्यालय को वर्ष १९५६–५७, १९५७–५८ १९५८–५९ और १९५९–६० के दौरान पृथक पृथक कितनी धनराशि के अनुदान दिये गये ; और

(ग) विश्वविद्यालय ने इसका किस प्रकार इस्तेमाल किया ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** (क) जी, हां ।

(ख) पंजाब विश्वविद्यालय को निम्नलिखित अनुदान दिये गये :

१९५६–५७ . . .	५,००० रुपये
१९५७–५८ . . .	शून्य
१९५८–५९ .	शून्य
१९५९–६०	६,६३७ रुपये

(ग) यह समझा जाता है कि विश्वविद्यालय ने इस अनुदान का इस्तेमाल उसी कार्य के लिये किया जिसके लिये यह मंजर किया गया था ।

"जिला गजेटियर्स"

९४७. **श्री भक्त दर्शन** : क्या वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री ११ अप्रैल, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १९७७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य में "जिला गजेटियर्स" के संशोधन और प्रकाशन में और क्या प्रगति हुई है ;

(ख) प्रत्येक राज्य सरकार ने अब तक कितनी वित्तीय सहायता मांगी है और उनमें से प्रत्येक को कितना धन दिया गया है ; और

(ग) प्रत्येक राज्य को यह कार्य पूरा करने में अधिक से अधिक कितना समय लगेगा ?

वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : (क) लोक सभा की मेज पर एक विवरण रखा है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३३]

(ख) जिला गजेटियरों के संकलन पर राज्य सरकारें जो खर्च करेंगी उसके ४० प्रतिशत सहायता अनुदान के लिये वे हकदार होंगी लेकिन यह रकम एक जिल्द के लिये ६२११ रुपये से ज्यादा न होगी । इसके अलावा राज्य सरकारों को जिला गजेटियरों की छपाई के लिये ४० प्रतिशत अनुदान दिया जायेगा । अब तक नीचे लिखे सहायता अनुदान दिये गये हैं :—

	रुपये
(१) बिहार	४५,३७६.३७
(२) बम्बई	१८,०००.००

†मूल अंग्रेजी में

	रुपये
(३) मद्रास .	२५,२३२.००
(४) मैसूर . .	१२,०००.००
(५) राजस्थान . .	६,०००.००
(६) उत्तर प्रदेश	१५,६८९.००

(ग) जिला गजेटियरों के पुनरीक्षण का काम राज्य सरकारों की सीधी जिम्मेदारी है। केन्द्रीय सरकार केवल समन्वय और देखभाल के लिये है ताकि काम में एकरूपता आ सके। यह बताना मुमकिन नहीं है कि सारा काम कब पूरा होगा। लेकिन उम्मीद है कि तीसरी पंच वर्षीय योजना के अन्त तक काम पूरा हो जायेगा।

उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का खनिज सर्वेक्षण

†१४८. **श्री भक्त दर्शन** : क्या इस्पात, खान और इंधन मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि :

(क) वर्ष १९५८–५९ और १९५९–६० में उत्तर प्रदेश के आठ पहाड़ी जिलों, अर्थात्, देहरादून, टिहरी, उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी-गढ़वाल, पिथौरागढ़, नैनीताल और अल्मोड़ा में किन-किन स्थानों का भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग ने सर्वेक्षण किया ;

(ख) उन स्थानों में खनिज निक्षेपों के बारे में उनके प्रतिवेदनों का सारांश क्या है ;

(ग) उन खनिज निक्षेपों के खनन के संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(घ) वर्ष १९६०–६१ के लिये क्या कार्यक्रम बनाया गया है ?

खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) आठ पहाड़ी जिलों में जिन स्थानों पर सन् १९५८–५९ और १९५९–६० में भारतीय भूगर्भीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सर्वेक्षण किये गये, तथा जहां जांच का कार्य किया गया, वह निम्नलिखित हैं :—

(१) रानीखेत-ग्वालडाम, डोगड़ा-सतपुली, धौलीगंगा (जोशीमठ और नीती) और अलकनन्दा घाटियों के साथ साथ हिमालय पर्वत में संरचनात्मक अध्ययन ;

(२) नैनीताल (तराई उपनिवेशन क्षेत्र) तथा चुने हुये देहरादून जिले के भागों में पृथ्वी के नीचे वाले पानी की जांच।

(३) अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ तथा चामौली जिलों में तांबा, सीसा तथा मैगनेसाइट की जांच ।

(४) रामगंगा परियोजना में डैम वाले स्थान की जांच।

(५) जमुना हाइडल परियोजना तथा सड़कों के पंक्तिबन्धन के लिये जांच।

(ख) सन् १९५८–५९ में जो विस्तृत मानचित्रण व समन्वेषण हुये थे, उनसे तांबा मिले हुये धातु का बालादेव पहाड़ी पर; मूल कार्बोनेट्स का अगर तथा गनाई स्थानों में; कैल्कोपाइराइट और पाइराइट का देवल थल और धनपुर-दोबरी क्षेत्र में कुछ संरचनात्मक तलों के साथ साथ छोटी पट्टिकाओं और छिन्नांशों में पाया जाना प्रकट हुआ। शीशाखानी तथा बालादेव पहाड़ियों से, संरचनात्मक तलों के साथ साथ कुछ मात्रा में सीसे के सलफाइड के पाये जाने का पता चला। मैग-नीशियम के कार्बोनेट अर्थात् मैगनेसाइट के छिन्नांश इन उपरिलिखित सभी प्रदेशों में विद्यमान हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सन् १९६० में हुए समधिक काम से यह पता चला कि शीशाखानी व बालादेव भागों के अतिरिक्त इस भाग का खनिजायन कम तथा असामूहिक है। इस भाग की भू-रसायनिक जांच की गई है तथा पूर्ण जानकारी के लिये आगामी कार्य किया जा रहा है। चामौली जिले के धनपुर-दोबरी क्षेत्र में तांबे के लिये विस्तृत जांच जारी है।

(ग) अभी हम जांच की ही अवस्था तक पहुंचे हैं, अतः खनन का प्रस्ताव समयपूर्व है।

(घ) सन् १९६०-६१ के लिये निर्धारित कार्यक्रम इस प्रकार है :—

(१) अल्मोड़ा जिले के शीशाखानी-बालादेव और गनी-गंगोली भागों में तांबा, सीसा तथा मैगनेसाइट की जांच जारी रखना।

(२) गढ़वाल जिले के पनाई मगरासू इत्यादि भागों के निकट आचूर्ण तथा पट्टी लोभा में पता चले ग्राफाइट की जांच।

(३) गढ़वाल की धातुपूर्ण मेखला में धनपुर, पोखरी तथा दूसरे क्षेत्रों का भूमीक्षण तथा विस्तृत मानचित्रण।

(४) अल्मोड़ा तथा नैनीताल जिलों के मानचित्रण कार्य का चालू रखना।

(५) मसूरी क्षेत्र के रौक फासफेट्स की जांच।

(६) नैनीताल जिले व समीपवर्ती क्षेत्र में जिन मार्गों के अन्तर्गत समन्वेषी व्यधन हो चुका है, उन के नियमानुसार भू-जलवैज्ञानिक जांच का चालू रखना।

(७) देहरादून जिले के जिन भागों में समन्वेषी व्यधन हो चुका है, उनके नियमानुसार भू-जलवैज्ञानिक जांच का चालू रखना।

(८) पूर्णागिरी (वनबाट) डैम परियोजना के लिये प्राथमिक भूगर्भीय जांचों का चालू रखना।

(९) रामगंगा डैम परियोजना के लिये, निर्माण से पूर्व भूगर्भीय जांचों का चालू रखना।

(१०) यमुना हाइडल योजना के लिये भूगर्भीय जांचों का चालू रखना।

(११) तपोबन गुलाबकोटी हाइडल योजना की भूमीक्षण भूगर्भीय जांच।

(१२) अल्मोड़ा जिले की पिथौरागढ़ तहसील में देवलपट्टी महार गांव में भूमि के अपक्षरण व नीचे बैठने के संबंध में जांच।

(१३) हरिद्वार में एक स्थायी पुल लगाने के विषय में जांच।

(१४) मील-पत्थर २/२ और २/४ के मध्य में लैन्सडाउन (गढ़वाल) में उपालदाह नहर के स्थायित्व के विषय में जांच।

(१५) अल्मोड़ा-गढ़वाल में तांबे की मेखला की भभौतिकीय जांच।

मेक्सिको में कृषि विकास सम्बन्धी रिपोर्ट

†१४९. श्री श्रीनारायण दास :
श्री राधा रमण :

क्या वित्त मंत्री ३ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १७६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि विकास के संबंध में अध्ययन करने के लिये मेक्सिको को भेजे गये रिजर्व बैंक के पदाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट तैयार कर ली है ;

(ख) क्या रिजर्व बैंक ने उस रिपोर्ट पर विचार कर लिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) से (ग). कृषि विकास के संबंध में अध्ययन करने के लिय मेक्सिको को भेज गये पदाधिकारी की रिपोर्ट अभी तैयार की जा रही है।

विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम

†१५०. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या शिक्षा मंत्री १ सितम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १००७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शेष विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा संबंधी पाठ्यक्रम लागू करने के संबंध में अभी तक क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ख) उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा पाठ्यक्रम लागू करने के प्रश्न पर विचार करने के लिये एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त की है। उस समिति की रिपोर्ट आने पर ही और कोई कार्यवाही की जा सकेगी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश

†१५१. श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री सुबिमन घोष :

क्या गृह-कार्य मंत्री ३ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिये उपयुक्त व्यक्तियों की अखिल भारतीय तालिका (पेनल) बनाने के संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : ३ अगस्त, १९६० (जब प्रश्न का उत्तर दिया गया था) के बाद और कोई प्रगति नहीं हुई है ।

रेलवे बुकिंग एजेन्सी, दिल्ली, में हत्या

†९५२. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या गृह-कार्य मंत्री २९ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १६५० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल बुकिंग एजेंसी, दिल्ली में मरे हुये पाये गये दो पहरेदारों की हत्या के बारे में जांच कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) और (ख). पुलिस इस मामले की खोज नहीं कर सकी है । इस मामले के संबंध में अन्तिम रिपोर्ट १० अक्तूबर, १९६० को मजिस्ट्रेट को पेश कर दी गयी थी ।

बैंकों का फेल होना

९५३. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में कौन कौन से बैंक फेल हुए हैं;

(ख) इन बैंकों में कुल कितनी पूंजी लगी हुई थी; और

(ग) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिये कोई प्रयास किया है कि इन बैंकों के फेल होने के फलस्वरूप इनमें रुपया जमा करने वालों की कितनी वित्तीय हानि हुई ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) एक विवरण इसी के साथ रख दिया गया है जिस में उन ५१ बैंकों के नाम दिये गये हैं जिन का १ जनवरी, १९५७ से लेकर अब तक दिवाला निकल चुका है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३४].

(ख) दिवाला निकलने की तारीख को इन बैंकों की चुकता पूंजी (पेड अप कैपिटल) लगभग १०९.७६ लाख रुपया थी ।

(ग) इन ५१ बैंकों में से, दिवाला निकलने की तारीखों को उन ३३ बैंकों की कुल जमा रकम लगभग ३७९.२१ लाख रुपया थी जिन के बारे में रिजर्व बैंक को ब्यौरा मिल गया है । चूंकि इन बैंकों में से ज्यादातर बैंकों का कारबार समेटा जा रहा है और ज्यों ज्यों और जब जब पावना वसूल होता जा रहा है या होता जायेगा त्यों त्यों और तब तब जमा कर्ताओं को अदायगियां की जा रही हैं या की जाती रहेंगी, इसलिये जब तक ये बैंक अन्तिम रूप से तोड़ न दिये जायें तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि जमाकर्ताओं को कितना माली नुकसान हुआ ।

कर सम्बन्धी बकाया राशियां

†९५४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अक्तूबर, १९६० को उत्तर प्रदेश में कर दाताओं से आय कर,उपहार कर और धनकर की कितनी राशि बकाया थी;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) वह राशि कितनी अवधि से बकाया है; और

(ग) इस रकम की वसूली के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) कुल ५,६६,७३,००० रुपयों की राशि बकाया थी ।

(ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और प्राप्त होते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) सभा-पटल पर एक विवरण जाता है ।

विवरण

करदाताओं से बकाया राशियों की वसूली के लिये आयकर अधियनियम के अधीन आवश्यकतानुसार निम्नलिखित एक या अधिक कार्यवाहियां की जा रही हैं :—

(१) धारा ४६(१) के अधीन दण्ड लगाना ।

(२) आयकर अधिनियम की धारा ४६(२) के अधीन कलेक्टर को एक प्रमाण पत्र जारी करना, जिसके प्राप्त होते ही वह कर की बकाया राशि की वसूली इस प्रकार से करता है मानो वह भूमि राजस्व की बकाया राशियां हों ।

(३) इस संबंध में नगरपालिका करों की वसूली के लिये जिन बड़े शहरों में व्यवस्था होती है वहां कुर्की का वारन्ट जारी कर के कर न देने वालों की चल सम्पत्ति की कुर्की करना ।

(४) धारा ४६(३) के अधीन लिखित रूप से एक नोटिस जारी करना जिस के अधीन भगतान अधिकारी से यह कहा जाता है कि वह वेतन प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की बकाया राशियों को उनके वेतन में से काट लें; और

(५) धारा ४६(५क) के अधीन लिखित रूप में एक नोटिस जारी किया जा सकता है जिस में बकाया राशि की अदायगी के सम्बन्ध में किसी भी ऐसे व्यक्ति से कहा जा सकता है जिस की ओर राशि बकाया है ।

आयकर अधिनियम की धारा ४६(२) के अधीन प्रमाणपत्र जारी कर के बकाया करों की वसूली को सुकर बनाने के लिये केन्द्रीय राजस्व बोर्ड ने राज्य सरकारों के साथ विशेष राजस्व अधिकारी रखे जाने का प्रबन्ध किया है, जो केवल आयकर की वसूली का काम करेंगे ।

दान कर तथा धन कर अधिनियमों में भी इसी प्रकार की व्यवस्था है ।

बिहार में केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और आय कर की वसूली

†९५५. **श्री राजेन्द्र सिंह** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५९ और १९६० में बिहार राज्य से कितना केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा आयकर प्राप्त हुआ है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : जानकारी एकत्रित की जा रही है और शीघ्रातिशीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात के स्टाकिस्ट

†९५६. श्री राजेन्द्र सिंह : क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६० में प्रत्येक राज्य में कितने लोहे और इस्पात के स्टाकिस्ट नियुक्त किये गये ; और

(ख) उन के नाम क्या-क्या हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३४]

उड़ीसा की संस्कृत संस्थाओं को सहायता

†९५७. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५९-६० और १९६०-६१ में उड़ीसा की स्वयंसेवी संस्कृत संस्थाओं अथवा संगठनों को कोई अनुदान दिया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उन संस्थाओं के क्या-क्या नाम हैं; और प्रत्येक को कितनी राशि दी गई थी ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

उड़ीसा में लड़कियों की शिक्षा

†९५८. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में लड़कियों की शिक्षा के लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में अभी तक उस राज्य सरकार को वर्षवार कितनी राशि आवंटित की गई है ;

(ख) राज्य सरकार द्वारा उस कार्य पर प्रति वर्ष कितनी राशि खर्च की गयी है; और

(ग) क्या उड़ीसा में लड़कियों की शिक्षा के विस्तार के लिये कोई नयी योजनायें बनायी गयी हैं ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

लड़कियों की शिक्षा तथा आरम्भिक प्रक्रम पर अध्यापिकाओं के प्रशिक्षण के विस्तार की योजना १९५७-५८ में प्रारम्भ की गयी थी और उस वर्ष से ले कर अब तक की जानकारी नीचे दी जाती है :—

	रुपये
(क) १९५७-५८	१,११,९६०
१९५८-५९	३,६१,०००

†मूल अंग्रजी में

रुपये

	१९५९-६० . . .	४,००,०००
	१९६०-६१ . .	३,६१,०००
(ख)	१९५७-५८	५१,१७०
	१९५८-५९	३,८६,९५६
	१९५९-६०	३,१७,३६८
	१९६०-६१	मार्च, १९६१ के बाद ज्ञात हो सकेगी ।

(ग) जी, हां । लड़कियों के लिये शिक्षा तथा अध्यापिकाओं का प्रशिक्षण सम्बन्धी योजना के अधीन लड़कियों की मिडल तथा माध्यमिक स्कलों के सम्बन्ध में छात्रावास सम्बन्धी सुविधाओं की व्यवस्था के लिये एक नयी उपयोजना मंजूर की गयी है और राज्य सरकार ने इस के लिये पांच संस्थाओं के आवेदन पत्र भेजे हैं । वे अभी विचाराधीन हैं ।

उड़ीसा में भूतत्वीय खुदाई

†९५९. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६०-६१ और १९६१–६२ में उड़ीसा में भूतत्वीय खुदाई करने के सम्बन्ध में कोई नये सुझाव हैं; और

(ख) यदि हां, तो वह खुदाई किस-किस स्थान पर की जायेगी ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) १९६०-६१ में उड़ीसा में खुदाई करने के सम्बन्ध में कोई प्रस्थापना नहीं है। १९६१-६२ के लिये अभी तक कार्यक्रम नहीं बनाया गया है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

कृत्रिम वर्षा

†९६०. **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री विश्वनाथ राय :
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री पु० र० पटेल :
श्री मा० म० गांधी :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने ध्वनि लहरियों से कृत्रिम वर्षा करने की प्रक्रिया के सम्बन्ध में ब्यौरे भेजने के लिये रूसी सरकार से प्रार्थना की है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में ब्यौरे प्राप्त हो गये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रयोग किये गये हैं; और

(घ) यदि हां, तो कहां पर और उस के क्या परिणाम निकले हैं ?

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास): (क) जी, हां ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

केरल राज्य के ग्रामों में सामाजिक तथा आर्थिक जीवन के सम्बन्ध में अध्ययन

†१९६१. **श्री वारियर :**
श्री वासुदेवन् नायर :

क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१ की जनगणना के दौरान ग्राम्य क्षेत्रों के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन के विशेष अध्ययन के लिये केरल राज्य के किन-किन ग्रामों को चुना गया है ?

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : इस सम्बन्ध में एक विवरण संलग्न है । [देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३६]

'कृत्रिम समुद्री युद्ध'

†१९६२. **श्री सुबिमन घोष :** क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, १९६० में भारतीय नौ सेना द्वारा एक बड़ा 'कृत्रिम समुद्री युद्ध' किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उस में कितने जहाजों ने भाग लिया था और यह युद्ध किस समुद्र में किया गया था;

(ग) उस का उद्देश्य क्या था;

(घ) क्या उसे देखने के लिये सभी संसद् सदस्यों को आमन्त्रित किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो उन्हें निमन्त्रण पत्र कब भेजे गये थे; और

(च) कितने सदस्य उपस्थित थे ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) जी, हां । सितम्बर, १९६० में कोचीन से बम्बई आते हुए नौ सेना के बेड़े ने ये अभ्यास (कृत्रिम समुद्री युद्ध) किये थे ।

(ख) भारतीय नौ सेना के १५ जहाजों ने इस में भाग लिया था और यह अभ्यास अरब सागर में किया गया था ।

(ग) ये अभ्यास नौ सेना की कार्यदक्षता का मूल्यांकन करने के लिये प्रतिवर्ष किये जाते हैं ।

(घ) जी, नहीं । संसद्-कार्य विभाग के परामर्श से 'अभ्यास ' को देखने के लिये केवल १२ संसद्-सदस्यों को आमन्त्रित किया गया था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) सितम्बर, १९६० के प्रारम्भ में ।

(च) केवल ६ सदस्यों ने इन अभ्यासों को देखा था ।

दुर्गापुर में ट्रामवे

†९६३. श्री प्र० के० देव :
श्री सुबिमन घोष :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर में एक 'ट्रामवे' बनाने के सम्बन्ध में कोई सुझाव है;

(ख) इस पर लगभग कितना खर्च आयेगा;

(ग) क्या रूरकेला और भिलाई में भी इसी प्रकार की ट्रामवे बनाई जायेंगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

†इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

भारतीय सेना के अफसर

९६४. श्री पद्म देव : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय सेना के कितने अफसर विदेशों में नियुक्त हैं, उन देशों में वे किन-किन पदों पर हैं और उन देशों के नाम क्या हैं ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

इस समय विदेश में विभिन्न देशों में नियुक्त २०१ भारतीय सैनिक अधिकारी हैं । विदेशों में उन की नियुक्तियों का स्तरीकरण स्थूल रूप से इस प्रकार किया जा सकता है :—

(१) मिलिट्री अटैची/एडवाइजर, असिस्टेंट मिलिट्री अटैची, रिकार्ड आफिसर और मिलिट्री मिशिनों की स्टाफ नियुक्तियां ।

(२) विदेश में अन्तर्राष्ट्रीय नियोजनों के अधीन सेवा कार्य, जैसे कि, हिन्द चीनी में नियंत्रण तथा संरक्षण के निमित्त अन्तर्राष्ट्रीय आयोग, गाजा में अन्तर्राष्ट्रीय आपतकालीन दल और कांगों में अन्तर्राष्ट्रीय सेनाओं के अधीन ।

(३) विदेश में प्रशिक्षण नियोजनों के साथ , उदाहरण के तौर पर इथोपिया में हरार के हेल सेलासी सैनिक अकादमी के साथ ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जिस-जिस देश में भारतीय सैनिक अधिकारी इस समय सेवा कार्य कर रहे हैं, उन के नाम यह हैं :—

१. अफगानिस्तान
२. बर्मा
३. चीन
४. कांगो
५. इथोपिया
६. फ्रांस
७. इण्डोनेशिया
८. ईराक
९. ईरान
१०. हिन्द चीनी
११. जापान
१२. नेपाल
१३. पाकिस्तान
१४. तुर्की
१५. यू० के०
१६. यू० एस० ए०
१७. यू० एस० एस० आर०
१८. यू० ए० आर०
१९. पश्चिमी जर्मनी

सीमान्त क्षेत्रों में अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा

†१९६५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस प्रकार का कोई सुझाव है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना काल में सीमान्त क्षेत्रों जैसे कि नेफा आदि में अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा जारी न की गयी;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्थापना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या उस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है; यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) जी, हां ।

(ख) नेफा नागा पहाड़ी तथा त्वेनसांग क्षेत्र में सामान्यतः अर्ध विकसित स्थिति होने के कारण यह सुझाव दिया गया है कि इन क्षेत्रों को तृतीय पंच वर्षीय योजना की अनिवार्य प्रशासकीय शिक्षा योजना से पृथक ही रखा जाये ।

(ग) इस सम्बन्ध में यह निर्णय किया गया है कि जब तक वहां के लोग अनिवार्य शिक्षा के लिये तैयार नहीं होते, तब तक उन क्षेत्रों में स्वैच्छिक आधार पर प्राथमिक शिक्षा का विकास किया जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में विदेशी राष्ट्रजन

†१६६. **श्री कालिका सिंह** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशी राष्ट्रजन (संशोधन) आदेश, १९६० और भारतीय पारपत्र (संशोधन) नियम, १९६० लागू करने के कारण और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) मंत्रालय की कौन सी ऐजेन्सी अथवा अन्य प्राधिकारी इस बात का पता लगाते हैं कि पंजीयन अधिकारी द्वारा विदेशियों को जिन क्षेत्रों के लिये परमिट दिये गये हैं; वे उन के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में तो नहीं जाते;

(ग) क्या यह तरीका दोषरहित है; और

(घ) अभी तक भारत में कितने विदेशी जाली पारपत्रों के अपराध में पकड़े गये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: (क) पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की भारत की यात्रा को वीसा में बताये गये क्षेत्रों तक ही सीमित रखने और जाली पारपत्रों या वीसा पर भारत में दाखिले पर नियंत्रण रखने के लिये ।

(ख) अपने-अपने क्षेत्र में पुलिस अधिकारी ।

(ग) यह सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रहा है ।

(घ) आसाम, गुजरात, मद्रास, राजस्थान और अन्दमान तथा निकोबार के संघ राज्य क्षेत्रों से अभी तक जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। उन के अतिरिक्त शेष प्राप्त जानकारी के अनुसार १ जनवरी, १९६० से ३० सितम्बर, १९६० तक १२१ व्यक्ति पकड़े गये हैं ।

दिल्ली प्रशासन में पंजाबी का प्रयोग

†१६७. **श्री अजित सिंह सरहदी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को ध्यान में रखते हुए कि दिल्ली में पंजाबी बोलने वालों की संख्या काफी ज्यादा है, क्या दिल्ली प्रशासन में याचिकायें तथा आवेदन पत्र पंजाबी में भेजने की अनुमति दी जायेगी ?

†**गृहकार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)**: कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायतें जाहिर करने के लिये दिल्ली प्रशासन के किसी भी पदाधिकारी या प्राधिकारी को पंजाबी में आवेदन पत्र भेज सकता है ।

त्यागी समिति की सिफ़ारिशों की कार्यान्विति

†१६८. **श्री अजित सिंह सरहदी** :
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) प्रत्यक्ष कर प्रशासन सम्बन्धी त्यागी समिति द्वारा की गयी इस सिफारिश की कार्यान्विति के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है कि अल्प आय वर्ग के व्यक्तियों की परेशानी को दूर करने की दृष्टि से अल्प आय के आंकड़ों को प्राथमिक जांच के बाद ही सामान्य रूप से स्वीकार कर लिया जाये; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस सम्बन्ध में आयकर पदाधिकारियों को क्या क्या हिदायतें जारी की गयी हैं ?

†वित्तमंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति द्वारा अल्प आय मामलों में कर निर्धारण के सम्ब ध में की गयी सिफारिशों को सिद्धा त रूप में स्वीकार कर लिया गया है और एक सरल प्रक्रिया तैयार कर ली गयी है । यह योजना उन सभी करदाताओं पर लागू होगी जिन का आय का साधन पूर्णत: या अंशत: व्यापार या व्यवसाय है और जिन के गत रिकार्डों से यह ज्ञात होता है :

(१) कि उन की आय पर कम से कम तीन वर्षों के लिये कर निर्धारित किया जा चुका है;

(२) कि गत तीन पूर्ण निर्धारणों में उन पर आय कर अधिनियम की धारा २८(१)(ग) के अधीन कोई भी दण्ड नहीं लगाया गया है;

(३) कि उक्त तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष में उन की कुल निर्धारित आय ७,५०० रुपयों से अधिक नहीं रही है ;

(४) कि उक्त तीन वर्षों में से किसी भी वर्ष में उन की कुल कार्य पूंजी १ लाख रुपये से अधिक नहीं रही है ;

(५) कि उक्त तीन वर्षों में करदाता ने सट्टे बाजारी से जरा भी आय प्राप्त नहीं की है ।

यह योजना उन करदाताओं पर लागू नहीं होगी जिन्होंने अपनी आय में हानि दिखायी है ।

२. इस सरल प्रक्रिया का मूल उद्दे य यही है कि अल्प आय वाले करदाताओं के मामलों में आयकर कार्यालयों में बही-खातों की जांच न की जाये। आयकर अधिकारी इस प्रकार के करदाताओं को पत्र लिखेंगे जिसमें इस सरल प्रक्रिया को समझायेंगे और उनसे उनके सन्तुलन पत्र, लाभ और हानि के लेखे, व्यापार सम्बन्धी खाते और उनके आयकर सम्बन्धी आंकड़े मागेंगे। यदि उनके द्वारा दिखायी गयी आय के आंकड़े स्वीकार करने योग्य हुए तो उन्हें स्वीकार कर लिया जायेगा और घोषित की गयी आय के आधार पर उन्हें सीधे ही 'डिमान्ड नोटिस' जारी कर दिया जायेग । यदि घोषित की गयी आय बिना संशोधन के स्वीकार करने योग्य न भी हुई तो भी करदाताओं को अपने बही-ख तों सहित आयकर कार्यालय में आने की जरूरत न होगी । उस स्थिति में सभी सम्बद्ध परिस्थितियों तथा गत निर्धारण के परिणामों को ध्यान में रखते हुए आय के सम्बन्ध में एक उपयुक्त अनुमान लगा लिया जायेगा। यह प्राक्कलन करदाता के पास भेज दिया जायेगा और यदि वह करदाता द्वारा स्वीकार कर लिया गया तो उस प्राक्कलित आय के आधार पर 'डिमान्ड नोटिस' जारी कर दिया जायेगा। यदि करदाता को वह प्राक्कलित आय और निर्धारित आयकर स्वीकार्य न हुआ, तो उस समय वह करदाता अपने खाते दिखाकर यह सिद्ध कर सकता है कि उसकी वास्तविक आय क्या है।

३. यह योजना १ नवम्बर, १९६० से लागू कर दी गयी है और उस तिथि से पहले जिन्होंने अपने आंकड़े भेजे थे अथवा जिनका निर्धारण किया जा रहा है, वे सभी इसके अन्तर्गत आ जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

जनगणना विभाग

९६९. **श्री हेमराज** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनगणना विभाग की स्थापना केवल १९६१ की जनगणना के लिये की गई है या यह विभाग आगे की जनगणनाओं के लिये गवेषणा करने के हेतु स्थायी बना दिया जायेगा ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : जनगणना संस्था, १९६१ की जनगणना के बाद भी, जनसंख्या के परिमाण और वृद्धि के आंकड़ों को इकट्ठा करने (जिसमें जन्म तथा मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े शामिल हैं) और देश में जनगणना कार्य में सुधार करने के विषय में नियमित अध्ययन और गवेषणा करने के लिये चलती रहेगी।

मंत्रियों के दौरे

†९७०. **श्री सुबिमल घोष** : क्या गृह-कार्य मंत्री २४ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४३७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मई और जून, १९६० में मंत्रियों द्वारा किये गये दौरों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त हो गयी है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : जी, हां। एक विवरण संलग्न है। [देखिये परिशिष्ट २ अनुबंध संख्या ३७]

अल्प बचत संसाधन

†९७१. **श्री टी० रा० मुनिस्वामी** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्प बचत के रूप में धन एकत्र करने के तरीके में क्या सुधार किये गये हैं ;

(ख) नये तरीके से अल्प बचत के अन्तर्गत कितना अधिक धन एकत्र हुआ है ;

(ग) क्या यह सच नहीं है कि १९६० की प्रथम छमाही में अल्प बचत के अन्तर्गत कम धन इकट्ठा हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) अल्प बचत आन्दोलन की प्रगति की तरफ बराबर ध्यान रखा जाता है और जहां कहीं संभव होता है, सुधार लाने का प्रत्येक प्रयत्न किया जाता है। अभी हाल ही में जो उपाय किये गये हैं, वे इस प्रकार हैं :

१. संचयी सावधिक जमा राशि, वेतन पत्र बचत और इनामी बांड योजनायें चालू की गई हैं।

२. कोषागार बचत निक्षेप प्रमाणपत्रों की प्राधिकृत अभिकर्त्ताओं के जरिये कमीशन पर बिक्री।

३. कुछ विशेष किस्म की संस्थाओं द्वारा लगायी जाने वाली पूंजी की अधिकतम सीमा में वृद्धि।

४. शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में और साथ ही सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों में गहन प्रचार।

---

†मूल अंग्रेजी में

५. अल्प बचत कार्य के लिये नमूने के जिलों तथा बचत ग्रामों का चुनाव।

६. प्रमाण पत्र रखने वाले तथा धन जमा करने वालों की मृत्यु होने पर बिना कोई कानूनी सबूत के नामनिर्देशित व्यक्ति को भुगतान की सुविधा प्रदान की गई है।

७. प्राधिकृत अभिकर्त्ताओं के लिये प्रमापीकृत अभिकरण योजना चालू की गई है।

८. प्राधिकृत अभिकर्त्ताओं को डाक घरों द्वारा कमीशन का भुगतान।

(ख) बचत आन्दोलन को बढ़ाने के लिये जो उपाय किये गये हैं उनमें से किन उपायों द्वारा धन अधिक एकत्र हुआ है, यह बताना कठिन है। अप्रैल से अक्तूबर, १९५९ की अवधि में जितना धन एकत्र हुआ उसके मुकाबले में इस वर्ष इसी अवधि में लगभग १४ करोड़ रुपये अधिक एकत्र हुये।

(ग) नहीं, श्रीमान्।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

विकास ऋण निधि के नये ऋण

†९७२. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या वित्त मंत्री २० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५७९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमेरिका की विकास ऋण निधि से नये ऋणों के लिये अग्रेतर बातचीत अब तक हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो समझौते का क्या विवरण है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई):** (क) और (ख). २० अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ५७९ के उत्तर में दी गई जानकारी के बाद संयुक्त राज्य विकास ऋण निधि ने निम्नलिखित ऋण देने के लिये कहा है :—

ऋण का नाम	ऋण की राशि डालर में	ब्याज की दर तथा भुगतान की अवधि	ऋण का उद्देश्य
१. औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम	५० लाख	५% प्रथम किस्त के दिये जाने के १५ वर्ष बाद	गैर-सरकारी उद्योगों को मध्यम तथा दीर्घावधि ऋण के लिये विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने में सहायता देना।
२. ट्राम्बे उर्वरक कारखाना	३०० लाख	५¾% प्रथम किस्त के दिये जाने के १० वर्ष बाद	हिन्दुस्तान केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा ट्राम्बे में एक उर्वरक कारखाना बनाने के लिये विदेशी मुद्रा की व्यवस्था करने में सहायता देना।

†मूल अंग्रेजी में

ऋण का नाम	ऋण की राशि डालर में	ब्याज की दर तथा भुगतान की अवधि	ऋण का का उद्देश्य
३. गैर सरकारी क्षेत्रों पूंजी उपकरण	२५७ लाख	५¾% प्रथम किस्त के दिये जाने के १० वर्ष बाद	भारत में गैर-सरकारी औद्योगिक फर्मों द्वारा पूंजीगत मशीनरी तथा उपकरण प्राप्त करने तथा मंगाने के लिये वित्तीय सहायता देना।
४. औद्योगिक उपक्रमों को इस्पात का आयात	२५० लाख	५¾% प्रथम किस्त के दिये जाने के १० वर्ष बाद	भारत में गैर-सरकारी तथा सरकारी उपक्रमों के लिये इस्पात की वस्तुयें प्राप्त करने तथा मंगाने के लिये वित्तीय सहायता देना।

अभी ऋण संबंधी करारों पर हस्ताक्षर नहीं हुये हैं।

लन्दन में जीवन बीमा निगम का कार्यालय

†९७३. **श्री राम कृष्ण गुप्त** : क्या वित्त मंत्री २९ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ८६६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि लन्दन में जीवन बीमा निगम का कार्यालय खोलने के लिये अभी तक क्या प्रबन्ध किये गये हैं?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : लन्दन के प्रस्तावित कार्यालय का प्रभार लेने के लिये चुना गया अफसर लन्दन पहुंच गया है। आर्यालय के लिये स्थान प्राप्त करने तथा ठीक तरह से काम चलने के लिये आवश्यक सभी अन्य मामलों को तय करने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं।

अखिल भारतीय विज्ञान सेवा

†९७४. **श्री राम कृष्ण गुप्त** :
श्रीमती रेणुका राय :
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** ६ सितम्बर १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में अखिल भारतीय विज्ञान सेवा बनाने के लिये वैज्ञानिक कर्मचारी समिति का प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया है तथा उस पर विचार कर लिया है; और

(ख) उसका ब्यौरा क्या है?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य-उपमंत्री (डा० म० मो० दास)** : (क) समिति ने वैज्ञानिक कर्मचारियों से संबंधित अनेक समस्याओं पर विचार किया था और विज्ञान सेवा बनाने

†मूल अंग्रेजी में

का प्रश्न भी उनमें से एक था। इस प्रश्न पर समिति एक अस्थायी निष्कर्ष पर पहुँची है और वह यह है कि शुरू में प्रतियोगिता संबंधी परीक्षाओं के आधार पर नौकरी देने तथा स्थानों के रिक्त होने पर पदोन्नति करने की पद्धति वैज्ञानिक कर्मचारियों के लिये उपयुक्त नहीं है। समिति के एक सदस्य से कहा गया है कि वह इस बात का अध्ययन करे कि वैज्ञानिकों का पूल बनाने की पद्धति कहां तक ठीक साबित हो सकती है। समिति के अन्य सदस्यों में से प्रत्येक से वैज्ञानिक कर्मचारियों से संबंधित अन्य प्रश्नों का अध्ययन करने के लिये कहा गया है। साथ ही उन सभी समस्यायों के संबंध में जिन पर अस्थायी रूप से निर्णय किये जा चुके हैं, वैज्ञानिकों के विचार जानने के लिये उन्हें उनके पास भेज दिया गया है। जब सुझाव और विचार प्राप्त हो जायेंगे तथा किये जाने वाले अध्ययनों के परिणाम उपलब्ध हो जायेंगे, समिति इस जटिला समस्या के विभिन्न पहलुओं पर आगे विचार करेगी। समिति का काम बहुत लम्बा है जिस पर बराबर अध्ययन करते रहने की आवश्यकता है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

भोपाल के नवाब का उत्तराधिकारी

९७५ { **श्री डामर :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार ने भोपाल के स्वर्गीय नवाब के उत्तराधिकारी के रूप में किसे मान्यता दी है ; और

(ख) भोपाल के नवाब की मृत्यु के पश्चात् कितने व्यक्तियों ने भारत सरकार के समक्ष अपने आप को उनके उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया था ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) अभी तक किसी को मान्यता नहीं दी गई है।
(ख) तीन।

मृत्यु शुल्क की वसूली

९७६. **श्री डामर:** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भोपाल के नवाब की मृत्यु पर भारत सरकार को कितना मृत्यु शुल्क प्राप्त हुआ ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मृत-सम्पत्ति शुल्क अधिनियम (इस्टेट ड्यटी ऐक्ट) १९५३ की धारा ८० के उपबन्धों के अनुसार मृत-सम्पति शुल्क के कागजात में दी गयी सूचना को जाहिर करना सम्भव नहीं है।

भोपाल के नवाब के नये उत्तराधिकारी की निजी थैली

९७७. **श्री डामर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने भोपाल के नवाब के नये उत्तराधिकारी की निजी थैली की राशि निर्धारित कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार उसे प्रति वर्ष कितना धन देगी ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारत द्वारा दिये गये ऋण

९७८. श्री डामर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ से मार्च १९६० तक भारत ने किस-किस देश को ऋण तथा सहायता दी है और उनकी अलग-अलग राशि क्या है ; और

(ख) इस वर्ष भारत ने नैपाल को विकास कार्यों के लिये ऋण के रूप में एक मुश्त कितनी राशि दी है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) भारत द्वारा कोलम्बो आयोजना के अंतर्गत १९५५-५६ से १९५९-६० तक दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों को सहकारिता आर्थिक विकास (कोआपरेटिव इकानामिक डेवलपमेंट) के लिए सहायता और ऋणों के रूप में दी गयी रकम के बारे में जो सूचना प्राप्त है वह इसी के साथ लगे विवरण में दी गयी है [**देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३८**]। कोलम्बो आयोजना से बाहर के देशों को दी गयी सहायता और ऋणों के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज पर रख दी जायगी।

(ख) भारत ने नेपाल को पहली अप्रैल १९६० से ३१ अक्टूबर १९६० तक उसके विकास कार्यों के लिए लगभग ५२, ८२, ९५२ रुपये की सहायता दी। सहायता की इस रकम का कोई हिस्सा कर्ज के तौर पर नहीं दिया गया।

पंजाब को शिक्षा संबंधी अनुदान

†**९७९. श्री दलजीत सिंह** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार ने १९६०-६१ के लिये शिक्षा संबंधी अपनी विकास योजनाओं की कार्यान्विति के लिये अतिरिक्त धन मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा केन्द्रीय सरकार द्वारा उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) सामान्य शिक्षा योजनाओं के लिये अतिरिक्त अनुदान मांगने के लिये कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सरकारी कर्मचारियों को बोनस

†**९८०. श्री न० रा० मुनिस्वामी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार एक विशिष्ट सीमा के बार राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्रों के रुप में कर्मचारियों को बोनस देने के प्रश्न पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कर्मचारियों के विचार मांगे गये हैं ; और

(ग) उनका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क) नहीं, श्रीमान् । मजूरी भुगतान अधिनियम, १९३६ के अन्तर्गत कर्मचारियों की अनुमति से अल्प बचत प्रतिभूतियों में धन लगाने के लिये मजूरी में से, जिसमें लाभांश भी सम्मिलित है जैसा कि अधिनियम में बताया गया है, कटौती की जा सकती है ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

विभिन्न करों की राशि

९८१. श्री डामर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ मार्च, १९५९ से ३० अगस्त, १९६० तक बिक्री कर, आय कर और मृत्यु शुल्क के रूप में कितनी राशि वसूल की गई ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में कथित करों से हुई आय पिछले वर्षों की आय की तुलना में कैसी है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) १ मार्च, १९५९ से ३१ अगस्त, १९६० तक आय कर से ३७३·९३ करोड़ रुपये और मृत सम्पत्ति-शुल्क (एस्टेट ड्यू ी) से ४·०९ करोड़ रुपये की रकम वसूल हुई ।

(ख) १मार्च, १९५७ से ३१ अगस्त, १९५८ तक और १ मार्च, १९५८ से ३१ अगस्त, १९५९ तक इकट्ठी हुई रकमों का ब्योरा यह है :—

	१ मार्च, १९५७ से ३१ अगस्त, १९५८ तक	१ मार्च, १९५८ से ३१ अगस्त, १९५९ तक
		(करोड़ रुपयों में)
आयकर	३२०·३३	३३१.३६
मृत सम्पत्ति-शुल्क	४.३३	३.३३

केन्द्रीय बिक्री कर के बारे में सूचना इकट्ठी की जा रही है और उसे सभा की मेज पर रख दिया जायगा ।

अफीम की खेती

९८२. श्री डामर : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत के किस प्रदेश में अफीम की खेती का क्षेत्रफल सबसे अधिक है ; और

(ख) किस प्रदेश में सब से अच्छी अफीम पैदा होती है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) मध्य प्रदेश में ।

(ख) तीनों ही क्षेत्रों—उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में, जहां पोस्त की खेती होती है, अच्छी किस्म की अफीम पैदा होती है ।

†मूल अंग्रेजी में

अफीम की खेती में वृद्धि

९८३. **श्री डामर :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले वर्षों की अपेक्षा अफीम की खेती के क्षेत्रफल में कोई वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो खेती के क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई): (क) जी हां ।

(ख) १९५७-५८ के मौसम से जितने रकबे में पोस्त की खेती के लिए लाइसेंस दिये गये उसका ब्योरा यह है :—

मौसम	पोस्त की खेती का रकबा
	(बीघे)
१९५७-५८	१,०४,२३६
१९५८-५९	१,२०,३३३
१९५९-६०	१,७३,५६२
१९६०-६१	१,९०,००० (अस्थायी)

अनुसूचित आदिम जातियां

९८४. **श्री डामर :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने राज्यों में अनुसूचित आदिम जातियों के लोगों को हरिजन वर्ग में शामिल किया गया है ; और

(ख) ऐसा करने के क्या विशेष कारण हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा): (क) भारतीय संविधान के ३४२ (१) अनुच्छेद के उपबन्धों के अन्तर्गत जब राष्ट्रपति द्वारा किसी आदिम जाति को अनुसूचित आदिम जाति घोषित कर दिया जाता है, तो उस आदिम जाति को अनुसूचित जाति के वर्ग में सम्मिलित करने का प्रश्न नहीं उठता है। "हरिजन" नाम का कोई मान्यता प्राप्त वर्ग नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

केरल में लिग्नाइट के निक्षेप

†९८५. **श्री अ० क० गोपालन :**
श्री ईश्वर अय्यर :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कन्नूर जिले के वेनगावा में लिग्नाइट ने कोई निक्षेप पाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितने निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ग) क्या निक्षेपों से लिग्नाइट निकालने की कोई योजना है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय)** : (क) भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण को कन्ननूर में वेनगावा में लिग्नाइट के कोई निक्षेप नहीं मिले हैं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल

†**९८६. कुमारी मो० वेदकुमारी** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९५९-६० तथा १९६०-६१ में अब तक अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल भेजे गये हैं ;

(ख) उपरोक्त अवधि में किस-किस राज्य से कितने-कितने प्रतिनिधि मंडल भेजे गये हैं ; और

(ग) इस कार्य के लिये कितनी रकम नियत की गई है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: (क) हां श्रीमान् । सांस्कृतिक दलों के अन्तर्राज्यीय आदान प्रदान की इस मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत ।

(ख) १९५९–६० में एक दल मनीपुर से भेजा गया था और एक जम्मू और काश्मीर से तथा १९६०–६१ में आज तक एक दल आंध्र से भेजा गया था ।

(ग) १९६०–६१ के लिये इस मंत्रालय के बजट में इस योजना के लिये १·५ लाख रुपयों की व्यवस्था की गई है ।

त्रिपुरा में आदिम जाति संगठन

†**९८७. श्री दशरथ देव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि आदिकांगसा समिति नामक एक आदिम जाति संगठन त्रिपुरा के अमरपुर, सबरूम तथा बेलोनिया सब डिवीजनों की आदिम जातियों के प्रत्येक व्यक्ति से यह कहकर ११ रुपये इकट्ठे कर रहा है कि प्रत्येक को सरकार से ऋण के रूप में १,००० रुपये दिये जायेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो इन समाज विरोधी तत्वों से आदिम जातियों के अज्ञानी लोगों को बचाने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पंत)** : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

सिद्धपुर (गुजरात) में रुद्रमहल

†**९८८. श्री पु० र० पटेल** : क्या **वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सिद्धपुर (गुजरात) में रुद्रमहल राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारक के रूप में केन्द्रीय पुरातत्व विभाग की देख रेख में है ?

†**वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास)**: हां, श्रीमान् ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली नगर निगम के सदस्य

†९८९. **श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ गृह मंत्रालय ने इस बात पर आपत्ति की है कि दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों में निःशुल्क यात्रा के लिये दिल्ली नगर निगम के सदस्यों को पास दिये गये हैं और आयुक्त से इस रियायत को वापस लेने के लिये कहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त) :** (क) और (ख) निगम के मुख्य लेखा परीक्षक द्वारा आपत्ति उठाये जाने पर महा प्रबन्धक ने भारत सरकार से सलाह ली कि निगम के सदस्यों को निशुल्क यात्रा के पास देना वैध है अथवा नहीं । इस पर विचार किया गया तथा महाप्रबन्धक को बताया गया कि दिल्ली नगर निगम, अधिनियम, १९५७ के उपबन्धों के अनुसार ऐसे पास जारी नहीं किये जा सकते ।

पंजाब की तेल की मांग

†९९०. { **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री सै० अ० मेहदी :

क्या **इस्पात, खान और ईंधन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पंजाब सरकार से यह कहा था कि वह अपने परिवहन निगम के लिये आयातित तेल खरीद ले ; और

(ख) यदि हां, तो कब ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** (क) और (ख) जी हां । अक्तूबर, १९६० के मध्य में कभी भारतीय तेल समवाय ने पंजाब सरकार से इस बारे में निवेदन किया था ।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कानूनी सहायता

†९९१. **श्री बं० च० मलिक :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री ११ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ६२५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बीच इस बारे में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो गई है कि वर्ष १९५९-६० में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये उड़ीसा राज्य को जो कानूनी सहायता दी गई थी, उसका कहां तक उपयोग किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक जाति के कुल कितने व्यक्तियों को सहायता दी गई ;

(ग) इन अनुदानों के रूप में कितनी रकम दी गई ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो पूरी जानकारी प्राप्त करने में देरी के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

(घ) उड़ीसा सरकार ने बताया है कि उन्हें अभी जिलों से पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है ।

दिल्ली में बाल भवन

†९९२. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री २९ फरवरी, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या ५२७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने बाल भवन के निर्माण में अब तक क्या प्रगति की है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : जो काम पूरे हो चुके हैं, उनके अलावा इस बीच निम्नलिखित कार्य पूरे हो चुके हैं :—

(१) शौक की वस्तुओं का कमरा, पुस्तकालय तथा प्रशासनिक कक्ष ।

(२) सड़कें (जिनके ऊपर कोलतार नहीं किया गया है) ।

(३) अहाते की दीवार ।

(४) बिना छने पानी की सप्लाई ।

ट्रांसमिटरों का निर्माण

†९९३. **श्रीमती मफीदा अहमद :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :

क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत इलेक्ट्रानिक्स में ट्रांसमिटरों के निर्माण के लिये एक जापानी फर्म के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो करार का ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां ।

(ख) करार का ब्योरा बताना लोक हित में नहीं होगा ।

ग्वालियर में भूमि

९९४. **श्री रामजी वर्मा** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में ग्वालियर (भूतपूर्व ग्वालियर रियासत) में सेना के प्रयोग के लिए कितने एकड़ भूमि सरकार के अधिकार में है ;

(ख) क्या यह सच है कि कथित भूमि के अधिकतर भाग की अब सेना के प्रयोग के लिए आवश्यकता नहीं है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) यदि हां, तो क्या इस भूमि को खेती के लिए किसानों को देने का विचार है ; और

(घ) यदि उपरोक्त भाग (ग) का उत्तर स्वीकारात्मक हो तो इस विषय में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) लगभग ८२,००० एकड़ ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) तथा (घ) प्रश्न नहीं उठते ।

दिल्ली में चुंगी का लिया जाना

†९९५. { **श्री पु० र० पटेल :**
श्री मा० म० गांधी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जो माल नई दिल्ली नगरपालिका, दिल्ली नगर निगम तथा दिल्ली छावनी की सीमाओं के बाहर के क्षेत्रों से उन तीनों संस्थाओं की सीमाओं के बाहर के क्षेत्रों को भेजा जाता है किन्तु जो केवल भेजे जाने के लिये दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर लाया जाता है, उस पर सरकार चुंगी लेती है ; और

(ख) १९५९–६० में इस प्रकार कितनी चुंगी वसूल की गई ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पन्त)** : (क) दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ की धारा १७८(१) के अन्तर्गत उस सभी माल पर चुंगी ली जाती है जो बाहर के किसी स्थान से रेलवे या सड़का द्वारा दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में लाया जाता है। तथापि दिल्ली के संघ राज्य क्षेत्र में लाये गये उस माल पर चुंगी नहीं ली जाती जिसे तुरन्त बाहर भेजना हो। इससे संबंधित प्रक्रिया दिल्ली सीमा मार्ग शुल्क नियम, १९५८ में निर्धारित की गई है (उसमें से उद्धृत अंश संलग्न हैं)। **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ३९]**

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि रेल द्वारा तुरन्त भेजे जाने वाले माल पर या तो चुंगी ली नहीं जाती है या दिल्ली सीमा मार्ग शुल्क नियम, १९५८ के उपबन्धों के अनुसार वापस कर दी जाती है ।

अध्यापक

†९९६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को ऐसे कई मामलों का पता चला है जिनमें मुख्यतः संघ राज्य क्षेत्रों के प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों ने आर्थिक लाभ की दृष्टि से चपरासियों की जगह के लिये प्रार्थनापत्र दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे कितने मामले हैं ; और

(ग) ऐसी स्थिति को समाप्त करने के लिये सरकार क्या प्रयत्न कर रही है अथवा करना चाहती है ?

†मूल अंग्रेजी में

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) और (ख). जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का संबंध है सरकार को ऐसे किसी मामले का पता नहीं चला है क्योंकि इन संघ राज्य क्षेत्रों में अध्यापकों का निम्न वेतन क्रम चपरासियों के वेतन क्रम से अधिक है।

तथापि यह खबर मिली है कि कुछ राज्यों के प्राथमिक स्कूलों के अध्यापकों ने ऐसा किया था।

(ग) इस बात की कोशिश की जा रही है कि संबंधित राज्यों में वेतन तथा मंहगाई भत्ते के रूप में जो कुल पारिश्रमिक दिया जाता है उसको बढ़ा दिया जाये।

समाज कल्याण केन्द्र

९९७. श्री खुशवक्त राय : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आगामी वर्ष से समाज कल्याण केन्द्रों के कल्याण कार्यक्रम के वर्तमान स्वरूप में कुछ विशेष परिवर्तन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या होगा ;

(ग) क्या विभिन्न राज्यों के समाज कल्याण मंत्रणा बोर्डों से इस बारे में परामर्श किया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी क्या राय है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, हां। सामुदायिक विकास खण्डों के बाहर प्रायोजनाओं के मूल स्वरूप में।

(ख) इन प्रायोजना केन्द्रों के कार्यकलाप जो अब तक प्रायोजना कार्यान्वयन समितियों द्वारा राज्य समाज कल्याण सलाहकारी बोर्डों के पथ प्रदर्शन में किये जाते थे, अगले वित्त वर्ष से स्वयंसेवी संगठनों द्वारा केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड के सहायक-अनुदान कार्यक्रम की मद्द से उपयुक्त अनुदान लेकर किये जायेंगे।

(ग) जी हां।

(घ) प्रस्तावित परिवर्तनों को वे सामान्यत: अपनाने के लिए सहमत हो गये हैं।

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कार्य के बारे में प्रतिवेदन

†९९८. श्री राम कृष्ण गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कार्य की व्यापक जांच करने तथा उसके पुनर्गठन के लिये सिफारिश करने के लिये गठित की गई सात सदस्यीय समिति ने अब तक अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) नहीं, श्रीमान्। समिति २-११-१९६० को गठित की गई थी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

वेतन की बकाया राशि

†९९९. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या प्रतिरक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गये नये वेतनक्रम लागू करने के परिणाम-स्वरूप मिलने वाली बकाया राशि आयुध कारखानों में औद्योगिक और गैर-औद्योगिक कर्मचारियों को दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी वर्गों के कर्मचारियों को लाभ हुआ है ;

(ग) यदि नहीं, तो कितना लाभ हुआ है ; और

(घ) यदि नहीं, तो किन-किन वर्गों के कर्मचारियों को लाभ नहीं हुआ है ?

†प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रखी जायेगी।

रूस से तेल

†१०००. **श्री सैं० अ० मेहदी :**
श्री प्र० गं० देव :
श्री उस्मान अली खां :

क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस से जहाज द्वारा कोई तेल कोचीन भेजा गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) : (क) और (ख). इंडियन आयल कम्पनी लिमिटेड को अगस्त, १९६० के अन्त में सोवियत रूस से हाई स्पीड डीजल तेल का अपना प्रथम टैंकर प्राप्त हुआ। यह तेल बम्बई में उन दो टंकियों में कर दिया गया जिन्हें कम्पनी ने सेना से प्राप्त किया था। सोवियत रूस से भेजे गये मिट्टी के तेल की दूसरी टंकी ७-११-६० को बम्बई पहुंची। बम्बई में आने वाले मिट्टी के तेल को स्थान बनाने के लिये कम्पनी ने लगभग ३,६६३ टन हाई स्पीड आयल का बम्बई की एक टंकी से कोचीन में नौसेना की टंकी में जिसे उसने इस काम के लिये इस बीच प्राप्त कर लिया था भेजने का निश्चय किया। यह हाई स्पीड डीजल आयल बम्बई से कोचीन दूसरी टंकी में भेजा गया, जो केरल राज्य तथा आस पास के क्षेत्रों का पेट्रोलियम उत्पादों का संभरण करने के लिये मुख्य बन्दरगाह है।

जाली पारपत्र का मामला

†१००१. **श्री राम गरीब** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन पत्तन से जारी हुए जाली पारपत्रों के मामले में अन्तर्ग्रस्त सभी अभियुक्त पकड़ लिये गये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उन पर मुकदमा चलाया गया है ; और यदि हां, तो इसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पंत)** : (क) कोचीन पत्तन से जारी किये जाली पारपत्रों का कोई मामला नहीं है। परन्तु, ऐसे दो मामले हैं जिनमें यात्रा अभिकर्ताओं की सहायता से और पत्तन पंजीकरण अधिकारी की कनोखी से पारपत्र और वीसा के आवेदन पत्रों पर जाली पृष्ठांकन किया गया बताया जाता है। इससे सम्बन्धित सभी अभियुक्तों को पकड़ लिया गया है। केवल एक रहा है उसे फरार घोषित कर दिया गया है।

(ख) सभी के विरुद्ध मुकदमे दायर कर दिये गये हैं और उनके विरुद्ध मामले अन्वीक्षा (ट्रायल) के लिये लम्बित हैं।

विमान दुर्घटनायें

†**१००२. श्री आसर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ८ नवम्बर, १९६० को जयपुर के पास एक विमान दुर्घटना हो गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का ब्योरा क्या है ?

†**प्रतिरक्षा मंत्री (श्री कृष्ण मेनन)** : (क) जी हां।

(ख) विमान प्रशिक्षण उड़ान कर रहा था और उसमें केवल विमान चालक ही था जो कि मारा गया और विमान नष्ट हो गया। एक जांच अदालत दुर्घटना की जांच कर रही है।

केन्द्रीय राजस्व बोर्ड में अपर डिवीज़न क्लर्क

†**१००३. श्री अ० मु० तारिक** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय राजस्व बोर्ड के दो निदेशालयों, अर्थात्, निरीक्षण निदेशालय (आय-कर) तथा निरीक्षण निदेशालय (जांच) में १९५७, १९५८ और १९५९ में इंस्पैक्टर की ग्रैड में पदोन्नति के लिये की गई विभागीय परीक्षा में कितने यू० डी० सी० बैठे थे ;

(ख) उपरोक्त वर्षों में प्रत्येक वर्ष कितने उम्मीदवार परीक्षा में सफल घोषित किये गये;

(ग) इस बीच कितने सफल उम्मीदवारों को, वर्षवार, पदोन्नत किया गया ;

(घ) क्या यह सच है कि पदोन्नति के लिये की जाने वाली विभागीय परीक्षाएं अब बन्द कर दी गई हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो पदोन्नति की कसौटी क्या है ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई)** : (क)

निरीक्षण निदेशालय (आय-कर)	१९५७	१९५८	१९५९
	७	८	१

†मूल अंग्रेज़ी में

	१९५७	१९५८	१९५९
निरीक्षण निदेशालय (जांच)	७	६	१
(ख) निरीक्षण निदेशालय (आय-कर)	१	७	१
निरीक्षण निदेशालय (जांच)	२	६	०
(ग) निरीक्षण निदेशालय (आय-कर)	—	१	—
निरीक्षण निदेशालय (जांच)	—	—	१

(घ) और (ङ) इंस्पैक्टरों की ग्रेड में पदोन्नति के लिये परीक्षा, जिसके सम्बन्ध में उपरोक्त प्रश्न पूछे गये हैं, आयकर आयुक्तों के अधीन कर्मचारियों के लिये की जाती है । । ये निदेशालय पृथक विभाग हैं । निदेशालयों के कुछ कर्मचारियों को उपरोक्त परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी गई थी ; परन्तु अब यह प्रथा समाप्त कर दी गई है, क्योंकि उनके लिये आय-कर विभाग में स्थान प्राप्त करना बड़ा कठिन था ।

गुजरात के कोयले के निक्षेप

†१००४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि भारत के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के एक दल ने ३६० फुट की गहराई पर कोयले के निक्षेपों का पता लगाया है ?

†**खान और तेल मंत्री (श्री के० दे० मालवीय) :** जी नहीं ।

मंत्रालय के निर्धारित फार्म

१००५. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री :** क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय में प्रयोग होने वाले विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी में छपे लेखन-सामग्री सम्बन्धी फार्मों को हिन्दी में भी उपलब्ध करने का विचार है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस बारे में कब तक निर्णय किये जाने की संभावना है ?

इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) और (ख). इस्पात, खान व ईंधन मंत्रालय में प्रयोग किये जाने वाले लेखन-सामग्री सम्बन्धी फार्मों का दोनों भाषाओं (अंग्रेजी व हिन्दी) में, जहां तक संभव व आवश्यक समझा गया, छापे जाने का विचार है ।

कुछ फार्म पहले से ही हिन्दी में उपलब्ध कर दिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सामान्य निर्वाचन के लिये हिन्दी के फार्म

१००६. **श्री प्रकाश वीर शास्त्री** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्वाचन आयोग आगामी सामान्य निर्वाचन में प्रयोग होने वाले प्रपत्रों (फार्मों) को हिन्दी में छपवाने की कोई व्यवस्था कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) और (ख). निर्वाचनों में प्रयोग होने वाले प्रपत्र (फार्म), चाहे अंग्रेजी में हों या हिन्दी में हों अथवा किसी अन्य प्रादेशिक भाषा में हों उन्हें राज्य सरकारें छपवाती हैं और जनता में वितरित करती हैं।

निर्वाचन आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों को इस आशय के निदेश जारी किये थे कि वे साधारण जनता को यथास्थिति हिन्दी या प्रादेशिक भाषाओं में ये प्रपत्र उपलब्ध करने के लिये कार्यवाही करें। और इन हिदायतों के अनुसार कार्यवाही भी हो गई है। हिन्दी प्रपत्रों का प्रयोग बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और कुछ हद तक पंजाब और दिल्ली में होता है।

असिस्टेंटों के वेतन क्रम

†१००७. **श्री राम गरीब** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को द्वितीय वेतन आयोग द्वारा जिस वेतन क्रम की सिफारिश की गई है और जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है, के बारे में असिस्टेंटों अथवा उनके संघ की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो यह अभ्यावेदन विस्तार से क्या है, और इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) जी हां।

(ख) इस अभ्यावेदन का सार यह है कि वेतन आयोग ने जिस वेतन-क्रम की सिफारिश की है और जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया है, उसमें न्यूनतम वेतन में इतना परिवर्तन कर दिया जाय कि ३०-६-१९५७ को मिलने वाला सम्पूर्ण महंगाई भत्ता वेतन में मिला दिया जाय। अभ्यावेदन में आगे कहा गया है कि यद्यपि पुनरीक्षित वेतन-क्रम के शुरू में कुल उपलब्धि में कोई कमी नहीं होती, तथापि आगे चल कर कुछ प्रक्रमों पर अधिकारियों को उससे कम वेतन मिलेगा जो कि साधारणत: उन्हें वर्तमान वेतन-क्रम के चालू रहने में मिलता। सरकार इस अभ्यावेदन पर बड़ी सावधानी से विचार कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

देर तक काम करने का भत्ता

†१००८. श्री राम गरीब :
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या वित्त मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) देर तक काम करने के लिये सरकारी कर्मचारियों को दिये जाने वाले भत्ते के सम्बन्ध में वेतन आयोग ने जो सिफारिशें की हैं, क्या सरकार ने उसके बारे में अपना कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह क्या है और उसे कब से कार्यान्वित किया जायेगा ?

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है।

अवैध शराब का निर्माण

†१००९. श्री राम गरीब : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत छः मास में दिल्ली में अवैध शराब के निर्माण के कितने मामले सरकार ने पकड़े हैं ; और

(ख) ऐसे कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया और सजा प्राप्त करने वाले लोगों की संख्या क्या है ?

†गृह-कार्य मंत्री (श्री गो० ब० पंत) : (क) १६ मई, १९६० से १५ नवम्बर, १९६० तक की अवधि में ६२ मामले पकड़े गये हैं।

(ख) ४३ मामलों को अदालत में भेजा गया है और १७ की जांच अभी चल रही है। ४३ मामलों में से तीन मामलों में सजा दे दी गई है और ४० मामलों में अभी मुकदमा चल रहा है।

सेक्शन आफिसरों की नियुक्ति के लिये संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा

†१०१०. श्री राम गरीब : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ग्रेड २ और ग्रेड ३ के सेक्शन आफिसरों की ग्रेडों के मिला दिये जाने के परिणाम स्वरूप केन्द्रीय सचिवालयों में सेक्शन आफिसरों की भरती करने के लिये संघ लोक सेवा आयोग की मार्फत दूसरी परीक्षा ली जाने की प्रस्थापना पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो यह परीक्षा कब होगी ; और

(ग) इसका पाठ्यक्रम क्या होगा ?

†गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख). आई० ए० एस० आदि प्रतियोगी परीक्षा जिसके आधार पर कि केन्द्रीय सचिवालय सेवा की सेक्शन आफिसर ग्रेट में नियुक्तियां की जाती हैं, यथावत् १९६१ में होगी। पदोन्नति कोटा में इस ग्रेड में नियुक्तियां करने के लिये एक दूसरी प्रतियोगी परीक्षा करने का प्रश्न विचाराधीन है।

(ग) इन सभी परीक्षाओं का पाठ्यक्रम इन परीक्षाओं सम्बन्धी नियमों में उल्ललिखित कर दिया जायेगा ये नियम संघ लोक सेवा आयोग के नोटिस के साथ प्रकाशित कर दिये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रौढ़ अन्ध प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून

१०११. **श्री पद्म देव :** क्या शिक्षा मंत्री २४ अगस्त, १९६० के अतारांकित प्रश्न संख्या १४१३ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में सरकार ने प्रौढ़ अन्ध प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून में प्रशिक्षित कितने व्यक्तियों को रोजगार दिया है ; और

(ख) क्या सरकार ने इस केन्द्र के प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार देने और बसाने के लिये कोई स्थायी प्रबन्ध किया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): (क) चालीस ।

(ख) समस्त राज्य रोजगार-निदेशकों को यह आदेश दे दिया गया है कि वे प्रौढ़ अन्ध प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षित व्यक्तियों को रोजगार दिलाने में विशेष सहायता दें। जिन क्षेत्रों में अक्षम व्यक्तियों के लिये विशेष रोजगार दफ्तर स्थापित हैं, उनमें इन प्रशिक्षित व्यक्तियों को इन दफ्तरों द्वारा भी सहायता प्रदान की जायंगी ।

दिल्ली में बुनियादी शिक्षा

†१०१२. **श्री राम शरण :** क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा का पुनर्नवीकरण करने के लिये दिल्ली प्रशासन ने कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ख) क्या दिल्ली शिक्षा निदेशालय द्वारा राजधानी में चल रहे बेसिक स्कूलों की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिये कोई मूल्यांकन समिति स्थापित की है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) और (ख). जी हां।

खांड सारी पर उत्पादन शुल्क

†१०१३. **श्री बि० चं० सेठ :**
श्री राम शरण :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५९–६० में (१) खांडसारी चीनी पर उत्पादन-शुल्क ; (२) खांड सारी चीनी पर कम्पाउन्ड लेवी ; और (३) खांडसारी चीनी की 'सल्फाइटेशन' प्रक्रिया से शुल्क के रूप में कितनी राशि वसूल की गई ; और

(ख) १९५९-६० में प्रत्येक राज्य में कितनी खांडसारी चीनी का निर्माण हुआ ?

†**वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) :** (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी का विवरण सभापटल पर रख दिया गया है । **[देखिये परिशिष्ट २, अनुबन्ध संख्या ४०]**

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रमण्डल प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में वक्तव्य

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : कुछ सप्ताह पहले ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री मैकमिलन ने राष्ट्र मंडल प्रधान मंत्रियों का अगला सम्मेलन शुरू मार्च में करने के बारे में मेरी सलाह मांगी थी। उनका विचार था कि संसार की हाल की हलचल घटनाओं के कारण और अन्य कई कठिन समस्याओं को देखते हुये सम्मेलन की जो तिथि पहले निश्चय की गयी थी उसको बदल कर सम्मेलन पहले ही बुलाना ज्यादा अच्छा होगा।

मैंने इस विचार का स्वागत किया परन्तु उन्हे बताया कि बजट सत्र के कारण मेरा उस समय भारत से बाहर जाना मुश्किल होगा। मैंने उसके कुछ बाद की तारीख का उन्हें सुझाव दिया, परन्तु साथ यह भी कहा कि यदि यह तारीख ठीक न जंचे तो मैं मार्च की वही तारीखें मानने को तैयार हूं।

उसके बाद राष्ट्रसंघ मंडल के अन्य प्रधान मंत्रियों में आपस में सलाह हुई और अब यह तय हुआ है कि सम्मेलन ८ मार्च, १९६१ को लन्दन में शुरू होगा। मेरा विचार इस सम्मेलन में जाने का है।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेकनोलोजी, खड़गपुर के लेखे तथा लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

†वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक-कार्य उपमंत्री (डा० म० मो० दास) : श्री हुमायूं कबिर की ओर से मैं इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेकनोलोजी (खड़गपुर) अधिनियम, १९५६ की धारा २३ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेकनोलोजी, खड़गपुर के वर्ष १९५८-५९ के प्रमाणित लेखे की एक प्रति, तत्संबंधी लेखा-परीक्षित लेखे सहित, सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी--२४७३/६०]

नागरिकता (संशोधन) नियम

†गृह-कार्य उपमंत्री (श्रीमती आल्वा) : मैं नागरिकता अधिनियम, १९५५ की धारा १८ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २४, सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २२९० में प्रकाशित नागरिकता (संशोधन) नियम, १९६० की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल टी--२४७४/६०]

अनुदानों की अनुपूरक मांगों (सामान्य) १९६०-६१ के बारे में विवरण

†वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) : मैं वर्ष १९६०-६१ के लिये आय-व्ययक (सामान्य) के बारे में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण उपस्थापित करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

तारांकित प्रश्न संख्या ६९२ के उत्तर की शुद्धि

†सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर): श्रीमान्, हिन्दी साहित्य सम्मेलन, इलाहाबाद की हिन्दी साहित्य रत्न परीक्षा को मान्यता देने के बारे में २४ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६९२ पर सर्वश्री गोविन्द दास, मुनीश्वर दत्त उपाध्याय, च० कृ० भट्टाचार्य और रघुनाथ सिंह द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में डा० श्रीमाली ने बताया था कि देश की विभिन्न हिन्दी संस्थाओं द्वारा संचालित विभिन्न हिन्दी परीक्षाओं का स्तर मैट्रिक, इंटरमीडियेट और बी० ए० परीक्षाओं आदि के स्तर के बराबर माना गया है। स्थिति यह है कि इन संस्थाओं द्वारा संचालित विभिन्न हिन्दी परीक्षाओं को केवल इनकी बराबर वाली परीक्षाओं में निर्धारित हिन्दी के स्तर के संबंध में ही मान्यता दी गयी है ।

समवाय (संशोधन विधेयक)—जारी

†अध्यक्ष महोदय : सभा अब समवाय अधिनियम, १९५६ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक पर संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में खंडवार विचार करेगी। खंड १८१ पर विचार होगा। श्री त० ब० विट्ठलराव अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

†श्री त० ब० विट्ठलराव (खम्मम) : मैंने कल नौशीर भरूचा, श्री तंगामणि और श्री राम सिंह भाई वर्मा के संशोधनों पर बोलते हुये यह कहा था कि किस प्रकार विभिन्न श्रमिकों संबंधी विधानों में अधिमान्य भुगतान की राशि बढ़ाई जा रही है। अतः यदि यह राशि १००० रु० से बढ़ा कर २००० रु० कर दी जाय तो इससे अंशधारियों या किसी अन्य व्यक्ति के हितों की किसी प्रकार की हानि नहीं होगी ।

†श्री मुरारका (झुझूनूं) : खण्ड १८१ का उद्देश्य खण्ड ५३० में संशोधन करना है । यह खण्ड अधिमान्य भुगतान से सम्बन्ध रखता है। इसका तात्पर्य यह है कि जब किसी समवाय का काम ठप्प हो जाय तो उसकी आस्तियों का वितरण किस प्रकार किया जाय, और इस वितरण में किसे अधिमान्यता दी जाय। इस खण्ड के द्वारा हमने मजदूरों को अधिमान्यता प्रदान की है। अंशधारियों तथा निदेशकों को तब तक कोई राशि प्राप्त नहीं हो सकती है जब तक कि मजदूरों का भुगतान न कर दिया जाये तब यह कहना कि केवल १००० रु० देने से अंशधारियों और निदेशकों को मजदूरों से अधिक अच्छी रकम मिल जायेगी गलत है।

इस खंड का केवल यह आशय है कि समवाय के अन्य लेनदारों में से मजदूरों के दावों को पूर्ववर्तिता दी जानी चाहिये, यह उन्हे दी जा रही है । ब्रिटेन में मजदूरों को २०० पौंड का अधिमान्य भुगतान देने की व्यवस्था है। वहां के स्तर को देखते हुये भारत में १००० रु० की सीमा निर्धारित करना उचित है ।

श्री वर्मा ने कल यह तर्क रखा था कि यदि १००० रु० की इस सीमा को नहीं बढ़ाया जा सकता है तो इस प्रकार की व्यवस्था करने से लाभ ही क्या है, मेरे विचार से इस प्रकार भी मजदूरों को अधिक लाभ होने की गुंजायश है, क्योंकि सामान्य अवस्थाओं में यदि समवाय द्वारा मजदूरों को चुकाई जाने वाली बकाया राशि कम भी होगी तो भी उन्हें १००० रु० की रकम देनी होगी। वस्तुतः यह रकम ऐसे समय दी जा रही है जबकि समवाय बन्द हो रहा है । अतः इस सम्बन्ध में कई

---

†मूल अंग्रेजी में

व्यावहारिक कठिनाइयां पैदा हो जाती हैं। इस सम्बन्ध में बैंक्स एसोशियेसन के अध्यक्ष ने संयुक्त समिति के सामने साक्ष्य देते हुये कहा था कि अधिमान्य भुगतान की राशि में वृद्धि करने से समवाय की सुरक्षा पर धक्का पहुंचेगा। इसका फल यह होगा कि बैंक उनको वर्तमान शर्तों पर ऋण नहीं दे सकेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस धारा का विधि में समावेश हो जाने से उन्हे अग्रिम धन या ऋणों का मिलना कठिन हो जायेगा। मैंने इस सम्बन्ध में समिति को राय दी थी कि वे रक्षित बैंक और राज्य बैंक से परामर्श कर लेवें। वस्तुतः संयुक्त समिति इस मामले में बहुत दिलचस्पी रखती थी अतः उन्होंने बहुत सोच विचार कर इस रकम की सीमा को १००० रु० रखा। इसका तात्पर्य यह है कि समवाय को बन्द होते समय मजदूर को १००० रु० अधिमान्य भुगतान के रूप में प्राप्त हो जायेगा। यदि उसे कुछ और रकम मिलनी बाकी है तो वह रकम उसे अन्य लेनदारों के साथ ही प्राप्त होगी। अब यदि आप इस राशि की सीमा बढ़ा देवें तो इसका यह परिणाम होगा कि अन्य लोग समवाय से लेन-देन करना पसन्द नहीं करेंगे। इसमें संदेह नहीं कि सरकार श्रमिकों को अन्य सामाजिक सुविधायें भी देना चाहती है। हम सब भी यही चाहते हैं। तथापि हमें इन बातों का उपबंध इस प्रकार करना चाहिये कि जिससे हमारा मुख्य प्रयोजन ही असफल न हो जाय।

†श्री काशीनाथ पांडे (हाता): मैं श्री मुरारका से सहमत नहीं हूं क्योंकि १००० रु० की जो राशि रखी गई है, उसमें मजरी, भविष्य-निधि, उपदान इत्यादि के अलावा एक नई मद छंटनी प्रतिकर भी शामिल है, तथापि अधिकतम रकम की सीमा नहीं बढ़ाई गई है, अतः मेरा निवेदन है कि इस राशि में वृद्धि की जाये।

श्री रामसिंह भाई वर्मा (निमाड़): मेरा निवेदन ऐसा नहीं है कि रिट्रेंचमेंट कम्पेन्सेशन की पूरी रकम मिले। मेरा तो निवेदन यह है कि अभी भी कानून के अनुसार रिट्रेंचमेंट कम्पेन्सेशन के सम्बन्ध में औसत २०, २५ साल की सर्विस सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। अगर आप ऐवरेज के हिसाब से टक्स्टाइल में ११० रु० प्रति माह भी गिनें तो औसत १२०० रु० रिट्रेंचमेंट कम्पेन्सेशन वैसे ही हो जाता है। किन्तु मैंने रिट्रेंचमेंट कम्पेन्सेशन की यह पूरी रकम नहीं मांगी है और जो पहिले ही वेजेज और महंगाई भत्ता प्राविडेंट फंड के १००० ० ठहराये गये थे उस के बाद भी वेज बोर्ड के फैसले के अनुसार वेतन बढ़े हैं। अगर पूरी रकम न मिले, उस का कुछ अंश ही मिले तो भी वह २,००० रु० तो होने ही चाहियें। इसलिये मैं एक अंश की बात कहता हूं, पूरे की बात नहीं कहता हूं।

†श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी (केन्द्रपाड़ा): मैं श्री तंगामणि द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। उन के संशोधन का आशय यह है कि इस अधिकतम सीमा की राशि बढ़ा कर २५०० रु० कर दिया जाय, यदि यह राशि नहीं बढ़ाई गई तो इस नये खंड का कोई लाभ नहीं है क्योंकि १००० रु० की सीमा तो मूल अधिनियम में भी मौजूद है। इस संशोधन विधेयक के द्वारा छंटनी प्रतिकर भी इसी राशि में शामिल कर दिया गया है। जहां तक इस बात की आशंका है कि समवायों को ऋण इत्यादि नहीं मिलेगा यह सब निराधार है जब भी श्रमिकों का प्रश्न उत्पन्न होता है इस प्रकार के प्रश्न उठाये जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि सरकार इस संशोधन को स्वीकार करें।

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो): इस खंड का उद्देश्य धारा ५३० का संशोधन करना है जोकि परिसमापन की कार्यवाही से सम्बन्ध रखती है। इस का सम्बन्ध किसी अन्य स्थिति से नहीं है, यह केवल उन दावों का प्रश्न है जोकि परिसमापन के पश्चात् पैदा होते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

सामान्यतः यदि अधिमान्य दावे नहीं होते हैं तो यह होता है कि परिसमापक समवाय की सारी आस्तियों को एकत्र करता है, और उन्हें सभी संरक्षित तथा असंरक्षित ऋणदाताओं को समान रूप से वितरित करता है। इस में संरक्षित ऋणदाता पहिले और असंरक्षित ऋणदाता बाद में आते हैं। इस विधेयक में कुछ ऋणदाताओं को अधिमान्य ऋणदाता का दर्जा दिया गया है। इन्हें उपखंड (क) से (छ) तक उल्लिखित किया गया है। सूची में सर्वप्रथम राज्य के दावों का स्थान है। तत्पश्चात् कर्मचारियों और श्रमिकों की मजूरी आती है। इस के अतिरिक्त जो दावे आते हैं उन में बैंकरों या अन्य विनियोजन समवायों द्वारा लगाया गया अग्रिम धन, बेचे गये माल तथा अन्य स्रोतों द्वारा किये गये भुगतान के दावे आते हैं। यदि अधिमान्य ऋणदाताओं की संख्या या उन की मात्रा में वृद्धि की जायेगी तो इस का यह परिणाम होगा कि ऋण की राशि समाप्त हो जायेगी। ऋणदाता समवायों ने भी यही बात कही थी। अतः यह आवश्यक है कि हम इन की संख्या सीमित करें। इस मामले में यह कहना कि मजूरी और दावों की स्पष्ट राशि उल्लिखित न की जाय इस खंड पर बहुत खींचतान करना है। इसलिये मजूरी के सम्बन्ध में इस में चार महीने की मजूरी रखी गई है।

किसी समवाय के बन्द होने और परिसमापन में अन्तर है। कोई भी समवाय कुछ वर्षों के लिये बन्द हो सकता है तथापि फिर भी उस का दिवालिया नहीं हो सकता है। यह बात दूसरी विधि के अधीन आती है। यह धारा तभी प्रभावी होती है जबकि किसी समवाय का दिवाला निकलता है और उस से सभी ऋणदाताओं के दावे चुकाने होते हैं। यदि सभी ऋणदाताओं को पूरी राशि चुकाई जा सके तो वह समवाय दिवालिया नहीं कहा जायेगा। इसलिये यह स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कम ले कर ही संतोष करना होगा। इसलिये यह आवश्यक नहीं है कि अधिमान्य दावेदारों को दावों की पूरी राशि दी जाये। यदि समवाय की आस्तियां अपर्याप्त हैं तो ऐसे ऋणदाता जिन्हें संरक्षण प्राप्त नहीं हैं या जिन्हें कोई अधिमान्यता प्राप्त नहीं है उन्हें कोई राशि नहीं मिलेगी। संभव है अधिमान्यता प्राप्त दावेदारों को भी पूरी राशि प्राप्त न हो, इसी कारण १००० रु० की सीमा रखी गई है।

यह तर्क दिया गया है कि छंटनी प्रतिकर को अधिमान्य दावों के अधीन ला कर कोई लाभ नहीं हुआ है क्योंकि दावों की राशि में वृद्धि नहीं की गई है। वस्तुतः छंटनी प्रतिकर को अधिमान्य दावों के अधीन रखना ही स्थिति में सुधार करना है, क्योंकि अन्यथा छंटनी प्रतिकर संबंधी दावे सामान्य दावों के अधीन आयेंगे तथा अधिमान्य दावेदारों का भुगतान होने के पश्चात् उन का भुगतान किया जायेगा। कर्मचारी राज्य बीमा निगम और भविष्य निधि सम्बन्धी दावों को भी अधिमान्य सूची में रख कर वस्तुतः श्रमिकों के सारे दावों को अधिमान्यता प्रदान की गई है। इस सीमा तक संरक्षित और असंरक्षित दावेदारों को उन के दावों के भुगतान से वंचित कर दिया गया है।

जहां तक इस भुगतान की राशि का सम्बन्ध है जैसाकि श्री मुरारका ने बताया है कि इंगलैंड जैसे देश में जहां कि मजूरी बहुत अधिक है वहां भी इस की अधिकतम सीमा केवल २०० पौंड रखी गई है। अतः इन सभी बातों पर विचार करते हुए मेरा अनुरोध है कि संयुक्त समिति द्वारा प्रस्तुत इस खंड को पारित किया जाय। मैं इन संशोधनों को स्वीकार नहीं कर सकता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन संख्या ७४ पर श्री नौशीर भरूचा आग्रह नहीं कर रहे।

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ४५ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या १२४ मतदान के लिये रखा गया और अस्वीकृत हुआ

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड १८१ विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड १८१ विधेयक में जोड़ दिया गया

खंड १८२ से १९० तक विधेयक में जोड़ दिये गये

खंड १९१—(धारा ६१० का संशोधन)

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** (कुम्बकोणम्) : मैं अपना संशोधन संख्या ८५ प्रस्तुत करता हूं । मैं प्रस्ताव करता हूं :

(१) पृष्ठ ९५, पंक्ति ५ **के पश्चात् ये शब्द रखे जायें** :

'(ii) in clause (a) after the word "Registrar" the words and figures" in accordance with the rules made under the Destruction of Records Act, 1917" shall be inserted

[(२) खंड (क) में, "पंजीयक" शब्द के पश्चात्, "अभिलेखों का विनष्टीकरण अधिनियम, १९१७ के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार" शब्द और अंक रखे जायें ।]'

(२) पंक्ति ६ में (ii) [(२)] के स्थान पर (iii) [(३)] रखा जाये ।"

मूल अधिनियम में कोई ऐसा उपबन्ध नहीं है जिस के अनुसार समवाय रजिस्ट्रार अपने यहां की किसी पुरानी फाइल या पत्र को नष्ट कर सके, इस का यह परिणाम हुआ है कि कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के रजिस्ट्रारों के यहां ऐसी फाइलों की मात्रा बहुत बढ़ गई है । इन पुराने अभिलेखों से न तो कोई प्रयोजन हल होता है और न ही कभी कोई उन्हें देखता है, अतः वर्तमान विधेयक के अधीन यह स्पष्ट कर दिया गया है कि केवल वे ही अभिलेख देखने को उपलब्ध हो सकेंगे जोकि रजिस्ट्रार द्वारा रखे जायेंगे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

(१) पृष्ठ ९५, पंक्ति ५ **के पश्चात्, ये शब्द रखे जायें** ।

'(ii) in clause (a) after the word "Registrar" the words and figures "in accordance with the rules made under the Destruction of Records Act, 1917" shall be inserted

[(२) खंड (क) में 'पंजीयक' शब्द के पश्चात् 'अभिलेखों का विनष्टीकरण अधिनियम, १९१७ के अधीन बनाये गये नियमों के अनसार' शब्द और अंक रखे जायें ।'

(२) पंक्ति ६ में (ii) [(२)] के स्थान पर ( ) [(३)] रखा जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खड १९१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।"

खंड १९१, संशोधित रूप में, विधयक में जोड़ दिया गया ।

खंड १९२, १९३ और १९४ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड १९५—(धारा ६१७ का संशोधन)

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड संख्या १९५, १९६ और १९७ में कोई संशोधन नहीं है अतः मैं इन सभी खंडों को एक साथ मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

"कि खंड १९५, १९६ और १९७ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १९५, १९६ और १९७ विधेयक में जाड़ दिये गये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब मैं **खंड १९८** को लेता हूं ।

†**श्री मी० रु० मसानी** (रांची-पूर्व) : मैं संशोधन संख्या २४ प्रस्तुत करना चाहूंगा । इस का उद्देश्य अधिनियम की धारा ६२० को हटाना है । यह धारा सरकारी समवायों से सम्बन्ध रखती है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन विधेयक के द्वारा मूल अधिनियम के जिस अंश को स्पर्श नहीं किया गया है उस पर संशोधन प्रस्तुत करना संशोधन विधेयक के क्षेत्र को बढ़ाना है । मैं इस संबंध में मंत्री महोदय की राय जानना चाहता हूं ।

†**श्री कानूनगो** : संशोधन विधेयक का कोई भी खंड सरकारी समवायों से सम्बन्ध नहीं रखता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह संशोधन नियम वाह्य है । प्रश्न यह है :

"कि खंड १९८ से २०१ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड १९८ से २०१ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

खंड २०२—(नयी धारा ६२९ क का रखा जाना)

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : मैं संशोधन संख्या ८६ प्रस्तुत करता हूं । मैं प्रस्ताव करता

पृष्ठ ९९, पंक्ति ९ में "This Act" ["इस अधिनियम"] शब्दों के **पश्चात् ये शब्द रखे जाय** :—

"or any condition, limitation or restriction subject to which any approval, sanction, consent, confirmation, recognition, direction or exemption in relation to any matter has been accorded, given or granted"

["या ऐसी शर्त, परिसीमा या प्रतिबन्ध जिस के अधीन किसी विषय के सम्बन्ध में कोई अनुमोदन, स्वीकृति, अनुमति, पुष्टि, मान्यता, निदेश या विमुक्ति प्रदत्त या स्वीकृत की गई हो"]

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मी० र० मसानी : मैं इस खंड का विरोध करता हूं ।

†श्री झुनझुनवाला (भागलपुर) : मैं संशोधन संख्या १२१ और १२२ प्रस्तुत करता हूं ।

यह एक व्यापक खंड है जिस के अधीन अंशधारियों को संरक्षण दिया गया है तथा उन अपराधों के लिये जिन का कि इस संशोधन विधेयक में उल्लेख नहीं है समवाय को दंड दिया जा सकता है ।

सामान्य चर्चा के दौरान यह बात स्पष्ट हुई है कि समवायों के द्वारा कई छोटे मोटे अपराध किये जाते हैं, जिस के लिये अंशधारियों या सरकार को न्यायालय तक जाना होता है लेकिन न्यायालय इन अपराधों के प्रति नरमी का रुख अख्त्यार करती है और उन्हें कभी तो केवल ५ या १० ० का जुर्माना ले कर छोड़ दिया जाता है, अतः मेरा संशोधन है कि कम से कम १०० रु० जुर्माना अवश्य किया जाय ।

कभी कभी ऐसा होता है कि अंशधारी पंजाब में रहता है और कम्पनी बम्बई में होती है, इसलिये अंशधारी को बम्बई में उस समवाय के विरुद्ध कार्यवाही करनी होती है, अतः यदि इस विधेयक में यह व्यवस्था कर दी जाय कि न्यायालय के इस नतीजे पर पहुंचने पर, कि समवाय या उस के अधिकारियों के द्वारा ही अपराध किया गया, पीड़ित पक्ष को मुकदमे का कुल व्यय भी मिले, तो इस से अंशधारियों को समवाय के विरुद्ध मुकदमा चलाने में सुविधा होगी ।

†श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् : प्रस्तावित धारा ६३७क की उपधारा (१) में इन शर्तों इत्यादि को क्रियान्वित करने के लिये कोई शक्ति नहीं ी गई है । मेरे संशोधन का आशय यह है कि ऐसी किसी शर्त का उल्लंघन सामान्य 'डात्मक धारा ६२९ क के क्षेत्र के अधीन आ जाय ।

†श्री तंगामणि (मदुरै) : मैं श्री पट्टाभिरामन् अथवा श्री झुनझुनवाला के संशोधनों के पक्ष में नहीं हूं ।'इसका कारण यह है कि संयुक्त समिति में इस खंड को अत्याधिक रूप से सहमति प्राप्त हुई है । यह संक्षिप्त भी है, और इससे अन्य अधिनियम यथा बैंकिंग समवाय अधिनियम और भारतीय अपराध संहिता इत्यादि की तरह यह अभिप्राय भी पूरा हो गया है कि उन सभी अपराधों के लिये जिसका उल्लेख इस विधेयक में नहीं है इसके अधीन दंड दिया जा सकता है ।

†श्री मी० र० मसानी: मेरे विचार से यह खंड न्याय शास्त्र के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है क्योंकि इसके अनुसार सभी छोटे या बड़े समवायों के लिये एक ही प्रकार के दंड का उपबंध किया गया है । अतः ऐसा करना वांछनीय और उपयुक्त नहीं है अतः मैं इस खंड का विरोध करता हूं ।

†श्री कानूनगो : श्री मसानी के इस सिद्धान्त से कोई असहमत नहीं हो सकता है कि दंड अपराध के अनुसार ही मिलना चाहिये । दुर्भाग्य यह है कि समवाय अधिनियम में ऐसे कई अपराध हैं जो कि समय, शर्त तथा स्थिति के अनुसार साधारण या अपेक्षाकृत गम्भीर हो सकते हैं ।

उदाहरणार्थ नियत तिथि के दिन संतुलन पत्र को प्रस्तुत न करना निर्दोष प्रतीत हो सकता है, ऐसे भी मामले हुए हैं जहां कि ोगों ने यह कहा है कि भूल के कारण वह नियत तिथि के रोज संतुलन पत्र प्रस्तुत करना भूल गये हैं, और न्यायालय ने उन्हें केवल ५ नये पैसे जुर्माना किया है । निसंदेह ऐसे मामले में संतुलन पत्र को प्रस्तुत न करने से किसी को हानि नहीं होती है । लेकिन किन्हीं दूसरी स्थितियों में संतुलन पत्र को प्रस्तुत करने में विलम्ब करना बहुत गम्भीर अपराध है । क्योंकि इससे अंशधारी और ऋणदाताओं से समवाय की वास्तविक स्थिति को छिपाया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री कानूनगो]

इसलिये विशिष्ट अपराधों के लिये ंड की व्यवस्था करना लगभग असंभव है। जहां तक संभव हुआ वहां विभिन्न धाराओं के लिये पृथक् पृथक् दंड रखा गया है।

खडों का एक दूसरा वर्ग भी है जैसा कि श्री चे० रा० पट्टाभिरामन् के संशोधन से ज्ञात होगा, उसमें सशर्त स्वीकृति या आदेश हैं, जिनके उल्लंघन करने के दंड की व्यवस्था नहीं की गयी है। यह तथ्य भी कि श्री झुनझुनवाला ने अपना संशोधन रखा है, जिनका आशय कई मामलों में अधिक कड़े दंड की व्यवस्था करना है, इसी बात का संकेत करता है। हमने इस प्रकार का उपबंध रखना आवश्यक समझा और समवाय विधि प्रशासन के प्रतिवेदन में इसका जिक्र है। इन सभी बातों पर विचार कर और यह आशा करते हुए कि देश भर के न्यायालय समवाय विधि जैसे जटिल विधान के प्रशासन से सम्बन्धित कठिनाइयों को स्वीकार करेंगे और वे यथा समय मामलों के अनसार दंड की व्यवस्था कर सकने में समर्थ होंगे, संयुक्त समिति ने यह विशेष उपबंध इस विधेयक में रखा है।

श्री झुनझुनवाला ने अपने संशोधन में मुकदमे के व्यय का जिक्र किया है, मेरे विचार से न्यायालय किसी भी मुकदमे में चाहे वह दीवानी हो या फौजदारी खर्चा दे सकते हैं।

अतः मैं निवेदन करता हूं कि खंड ८६ संशोधित रूप में स्वीकार किया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं संशोधन संख्या ८६ को सभा में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

पृष्ठ ९९, पंक्ति ९ में " This Act" ["इस अधिनियम"] शब्दों के पश्चात् ये शब्द रखे जांय :

"or any condition, limitation or restriction subject to which any approval, sanction, consent, confirmation, recognition, direction or exemption in relation to any matter that has been accorded, given or granted"

["या ऐसी शर्त, परिसीमा या प्रतिबंध जिसके अधीन किसी विषय के सम्बन्ध में कोई अनुमोदन, स्वीकृति, अनुमति, पुष्टि, मान्यता, निदेश या विमुक्ति प्रदत्त, या स्वीकृत की गई हो"]

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री झुनझुनवाला** : मैं अपने संशोधनों पर आग्रह नहीं करता हूं।

संशोधन संख्या १२१ और १२२, सभा की अनुमति से, वापस लिये गये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड २०२, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २०२, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड २०३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड २०४ (नये शीर्षक और नये खंड ६३७ क का रखा जाना)

†**श्री चे० रा० पट्टाभिरामन्** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ १००--

(१) पंक्ति १६,--अन्त में यह जोड़ दिया जाये--

"and may, in the case of contravention of any such condition, limitation or restriction, rescind or withdraw such approval, sanction, consent, confirmation, recognition, direction or exemption;"

["और ऐसी किसी ऐसी शर्त, परिसीमा अथवा प्रतिबंध के उल्लंघन के मामले में इस प्रकार के अनुमोदन, स्वीकृति, अनुमति, पुष्टि, मान्यता, निदेश अथवा विमुक्ति को रद्द कर सकती है अथवा वापस ले सकती है"]

(२) पंक्ति १८ और १९ में--

" by a company " ["समवाय के द्वारा"] शब्दों को हटा दिया जाये ।

(३) पंक्ति ३० में--

"or" ["अथवा"] शब्द के पश्चात् " in case of applications by companies" ["समवायों द्वारा आवेदन पत्रों के मामले में"] शब्द जोड़ दिये जायें ।

प्रस्तावित धारा ६३७ क की उपधारा (१) इन शर्तों आदि को लाग कराने के बारे में केन्द्रीय सरकार को शक्ति नहीं देती । इसलिए इस संशोधन की आवश्यकता हुई ।

संशोधन (२) तथा (३) के बारे में मैं यह बताना चाहता हूं कि आवेदन पत्र हमेशा समवाय ही नहीं देगा अपितु कोई निगमित निकाय, या सार्थ या व्यक्ति आदि कोई भी दे सकता है । उदाहरण के लिए धारा १६७, ३४६, ४०८, ४०९ और ५९४ है । इन धाराओं के अधीन समवाय के अतिरिक्त कोई व्यक्ति भी आवेदन पत्र भेज सकता है । इसके अतिरिक्त यह व्यवस्था की गई है कि व्यक्तियों आदि के द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन पत्रों पर फीस ली जायेगी ।

†**श्री मी० रु० मसानी** : श्रीमान, जिस आधार पर मैंने खंड २०२ का विरोध किया था उसी आधार पर मैं इसका विरोध करता हूं । सरकार को एक अधिकार दिया जा रहा है और संशोधन के द्वारा उसे और अधिक अनिश्चित बनाया जा रहा है । मंजूरी देना या न देना तो सरकार का अधिकार है लेकिन उसकी स्वीकृति के लिये सौदा करना, कि अगर ऐसा किया जायेगा तभी स्वीकृति मिलेगी, अच्छी चीज़ नहीं है । मैं इसका विरोध करता हूं ।

†**श्री कानूनगो** : श्री मसानी जैसा बता रहे हैं वैसी कोई बात नहीं है । केवल इतनी सी बात है कि यदि शर्तें पूरी नहीं होती हैं तो अनुमति नहीं दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

पृष्ठ १००—

(१) पंक्त १६—अन्त में यह जोड़ दिया जाये :

"and may, in the case cf contravention of any such condition, limitation or restriction, rescind or withdraw such approval, sanction, consent, confirmation, recognition, direction or exemption"

["और ऐसी किसी ऐसी शर्त, परिसीमा अथवा प्रतिबंध के उल्लंघन के मामले इस प्रकार के अनुमोदन, स्वीकृति, अनुमति, पुष्टि, मान्यता, निदेश अथवा विमुक्ति को रद्द कर सकती है अथवा वापस ले सकती है"]

(२) पंक्ति १८ और १९ में—
"by a company" ["समवाय के द्वारा"] शब्दों को हटा दिया जाये ।

(३) पंक्ति ३० में—
"or" ["अथवा"] के पश्चात् "in case of applications by companies" ["समवायों द्वारा आवेदन पत्रों के मामले में"] शब्द जोड़ दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २०४, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २०४, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड २०५ और २०६ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २०७ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २०७ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २०८ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड २०८ विधेयक में जोड़ दिया गया ।

खंड २०९ से २१२ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड २१३—(नई अनुसूची १ क का रखा जाना)

†श्री नौशीर भरूचा (पूर्व खानदेश) : मैं अपने संशोधन संख्या ७५ और ७६ प्रस्तुत करता हूं। इसके द्वारा मैं सम्बन्धियों की सूची वाली अनुसूची १ क का संशोधन करना चाहता हूं। समवाय के निदेशकों में सम्बन्धियों को भर दिया जाता है; इस अनुसूची में से बहुत से समीप के सम्बन्धियों को हटाना ठीक होगा। इसमें कुछ अजीब से सम्बन्धी भी रख दिये गये हैं। जैसे पिता के पिता, माता की माता आदि। मैंने अपने संशोधन में ऐसे ही सम्बन्धियों को इस सूची से निकालने की व्यवस्था की है।

†श्री तंगामणि : मैं अपना संशोधन संख्या ७७ प्रस्तुत करता हूं।

मैं अपने संशोधन के द्वारा उन सम्बन्धियों को जिनको मूल विधेयक में रखा गया था परन्तु संयुक्त समिति में निकाल दिया गया है; पुनः रखाना चाहता हूं। शास्त्री समिति ने भी बताया है कि इसमें ४० से ८० प्रकार के सम्बन्धी हो सकते हैं। इसीलिए मैंने यह संशोधन प्रस्तुत किया है जिससे प्रशासन विभिन्न धाराओं को बिना किसी कठिनाई के लागू कर सके।

'सम्बन्धी' शब्द धारा २(३), २(४), २९५, २९७, ३१४, ३५४ से ३६० में आया है। शास्त्री समिति में गवाही के समय बहुत से सुझाव आये थे। संशोधित धारा ६ में कहा गया है कि 'सम्बन्धी' वह हैं जो एक हिन्दू अविभाजित परिवार के सदस्य हों, पति पत्नी हों अथवा अनुसूची १ क में दिये गये ढंग से सम्बन्धी हों। मैं चाहता हूं कि सम्बन्धियों की जो सूची इस व्यवस्था के अधीन बनाई गई है उसको बढ़ा दिया जाये।

†श्री साधन गुप्त (कलकत्ता-पूर्व) : मैं श्री तंगामणि के संशोधन का समर्थन करता हूं और श्री नौशीर भरूचा के संशोधन का विरोध करता हूं। इस सूची को बढ़ा दिया जाये जिससे जो व्यक्ति लाभ उठाने के लिए रिश्तेदारी बनाते फिरते हैं उनको ऐसा करने का कोई अवसर ही न मिले।

†श्री कानूनगो : श्रीमान्, संयुक्त समिति में इस पर पूरी तरह विचार हुआ था। वास्तव में श्री तंगामणि ने जिन सम्बन्धियों को शामिल किया है उनको तो मैं समझ भी नहीं पाया हूं। मैं संयुक्त समिति की इच्छा के विपरीत जाना ठीक नहीं समझता और इसलिए इन संशोधनों को स्वीकार नहीं करता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या ७५, ७६ तथा ७७ मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।

†अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड २१३ विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड २१३ विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

खंड २१४ तथा २१५

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड २१४ तथा २१५ विधेयक का अंग बनें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड २१४ तथा २१५ विधेयक में जोड़ दिये गये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार में खंडों से अलग अनुसूचियां नहीं हैं ।

†**श्री कानूनगो** : खण्ड ९८ रोक लिया गया है और इसी तरह खंड १ और २ भी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : खंड १ और २ की बात दूसरी है । हां खंड ९८ ज़रूर बचा है ।

†**श्री मसानी**: मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे खंड ९८ पर चर्चा करें ताकि हमें यह ज्ञात हो जाय कि सरकार का वास्तविक उद्देश्य क्या है ? मेरे कुछ संशोधन भी हैं अतः मैं अपने संशोधन संख्या १, ७८, ७९ प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री नौशीर भरूचा** : मैं संशोधन संख्या ६९ तथा ७० प्रस्तुत करता हूं ।

†**श्री तंगामणि** : मैं संशोधन संख्या ४२ तथा ४३ प्रस्तुत करता हूं ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं इस खंड के बारे में कुछ शब्द कहना चाहूंगा ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

खंड ९८ पर ही सभा ने अत्यधिक ध्यान केन्द्रित किया । इस के बारे में एक विशेष चीज कहने से पूर्व मैं कुछ सामान्य बातें कहना चाहूंगा । खंड ९८ राजनैतिक अंशदानों पर रोक लगाती है । पुरानी धारा २९३ का संशोधन कर दिया गया है और दो अतिरिक्त चीजों की भी व्यवस्था की गई है । माननीय सदस्यों को अंशदानों के प्रकटीकरण के बारे की व्यवस्था का तो ज्ञान है ही । किन्तु मैं यह अनुभव करता हूं कि शायद दूसरी चीज की अवहेलना की जाती है अर्थात् उन समवायों के बारे में जो इस की व्याप्ति से बाहर हैं किन्तु अब उन्हें भी घेरे में ले लिया गया है । यदि प्राइवेट समवाय, पब्लिक समवायों के सहायक भी न हों उन्हें भी इस विधेयक की व्याप्ति से बाहर नहीं जाने दिया जायेगा । इस के अतिरिक्त इस में पूर्त अंशदान को ही सम्मिलित नहीं किया गया वरन् कल्याणात्मक अंशदान को भी ले लिया गया है । इन्हीं तीनों चीजों की ओर मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता था । अब जैसाकि कुछ संशोधनों द्वारा यह सुझाव दिया गया है, यदि इस खंड को हटा दिया जाय तो क्या होगा । हम इस बात से तो इन्कार नहीं कर सकते कि चुनावों के खर्चे भारी होते हैं । हमारा ढांचा ही ऐसा है और हमारे यहां प्रत्येक वयस्क को मत देने का अधिकार है । अब क्या माननीय सदस्य यह कहना चाहते हैं कि चुनावों के संचालन के लिये लौकिक धन के बिना काम चलाया जा सकता है ।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : लौकिक धन का क्या तात्पर्य है ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री**: कम्पनियां प्राइवेट भी हैं पब्लिक भी । इन सब के नियम विनियम आदि अलग अलग हैं । मुझे खेद है कि आचार्य जी, व्यर्थ में इस से नाराज हैं । कम से कम वह मेरी बात पूरी तरह तो सुनें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मेरा विचार यह है कि इस खंड को हटाने से किसी प्रकार का लाभ न होगा। आज के युग में व्यक्तिगत रूप से बहुत ही कम लोग अंशदान करते हैं क्योंकि पहले तो वे कर भार की शिकायत करते हैं और फिर वे डरते भी हैं। यदि ज्यादा ही ज़ोर डाला जाय तो यह लोग कम्पनियों की निधियों में गड़बड़ करना शुरू कर देते हैं। मेरा विचार है कि श्री मसानी भी इस प्रकार की बातों को सहन नहीं करेंगे। इस खंड से यह गड़बड़ बन्द हो जायेगी। इसी कारण हम ने कानून ही में यह व्यवस्था कर दी है ; हां हमारा उद्देश्य मजबूर करने से नहीं है ; निर्णय करने का काम निदेशक बोर्ड तथा हिस्सेदारों का ही है।

ऐसा कहते हुए संभवतया मुझे भी एक दल विशेष का प्रवक्ता माना जाय। किन्तु हमें कुछ निष्पक्ष लोगों के विचारों की ओर ध्यान देना चाहिये। उच्च न्यायालयों तथा शास्त्री समिति का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं है। जो कुछ उन लोगों ने कहा है, मैं उसे सभा के समक्ष रखना चाहता हूं। उच्च-न्यायालयों ने धारा २९३ का परीक्षण किया है ; शास्त्री समिति ने भी उसे देखा है। शास्त्री समिति के समक्ष बहुत से ज्ञापन भी पहुंचे थे। इन निष्पक्ष निकायों ने कतिपय निष्कर्ष निकाले हैं। अतः मैं उन्हीं चीजों को सभा के सामने रखूंगा।

कलकत्ता उच्च-न्यायालय ने राजनैतिक अंशदान के विषय में कुछ आलोचनात्मक बातें कही हैं परन्तु जो कुछ उन्होंने कहा है वह यह है :—

> "यह अत्यावश्यक है कि इस बात का पूरा प्रचार होना चाहिये कि एक कम्पनी एक दल को चन्दा दे कर काफी सहायता दे रही है....अतः अंशधारियों के हितों को देखते हुए मैं यही समझता हूं कि इस प्रकार के विषय में गोपनीयता रखना अवांछनीय होगा।"

यह आदेश टिस्को के बारे में था क्योंकि वह कम्पनी संस्थान नियमों में परिवर्तन कराने के लिये उच्च न्यायालय में गई थी। न्यायालय ने आदेश दिया था कि परिवर्तनों को प्रभावपूर्ण बनाया जाय और चन्दा देने की प्रत्येक राशि को तिथि अनुसार हिसाब में अलग से दिखाया जाय।

इसी प्रकार से बम्बई उच्च न्यायालय ने टिस्को के ज्ञापन में भी परिवर्तन करने की अनुमति दे दी थी। टाटा वाले सारे तथ्यों को पहले से ही प्रकट करने को राजी हो गये थे। अतः न्यायालय के सुझाव प्रकटीकरण के पक्ष में थे।

शास्त्री समिति ने विचार विमर्श के बाद यही राय दी कि अकेले कम्पनियों पर चन्दा देने की रोक न लगाई जाय। उन्होंने सिफारिश की थी कि वर्तमान कानून में इस प्रकार का संशोधन किया जाय कि उस के फलस्वरूप प्रत्येक दल को दी जाने वाली राशि, कम्पनियों को अपने वार्षिक लेखे में दिखानी पड़े और यह भी बताना पड़े कि यह रुपया अमुक प्रतिनिधि को दिया गया। अतः शास्त्री समिति ने भी इस बात पर काफी ज़ोर दिया है। किन्तु उन्हों ने यह बात भी ज़ोरदार शब्दों में कही है कि समवाय विधि में कोई ऐसी चीज का समावेश न किया जाय जिस से स के अन्दर अड़चनें आयें।

जो कुछ बम्बई उच्च न्यायालय ने इस के सम्बन्ध में कहा है मैं उस का भी उल्लेख करना चाहता हूं। श्री भरूचा तथा श्री मसानी ने कुछ सन्देह प्रकट किये हैं। जब मैं ने यह कहा कि बम्बई उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि चन्दे के प्रश्न का निर्णय न्यायालय में होना चाहिये तो श्री भरूचा ने सन्देह व्यक्त किया। मैं ने उसी चीज़ को दोबारा देखा है और यही पाया है कि उन्होंने कहा था.

> "संसद् जो चीज़ कम से कम कर सकती है वह यह करे कि यदि किसी कम्पनी को ज्यादा चन्दा देना हो तो उन्हें न्यायालय की स्वीकृति लेनी पड़े।"

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

अतः मैं ने इस प्रश्न के औचित्य पर सन्देह प्रकट किया था । शास्त्री समिति ने भी ऐसा भार न्यायालयों पर डालना पसन्द नहीं किया कि वे चंदे जैसी विवादास्पद चीज़ के बारे में निर्णय दें ।

लोकतंत्र को खतरों के बारे में भी काफी कुछ कहा गया । हमें पहले पहल संभल कर चलना चाहिये । केवल धन से लोग भ्रष्ट नहीं होते ; हमें अन्य सभी चीजों के प्रति सावधान रहना है । लोकतंत्र में राजनैतिक दल होते हैं और उन दलों की स्पष्ट नीति होती है । जो लोग विभिन्न दलों का साथ देते हैं वे सारे उन दलों की नीति को दृष्टि में रख कर ही ऐसा करते हैं । इन परिस्थितियों में ऐसा नहीं है कि जो लोग चंदा देते हैं वही किसी दल की नीति बनाते हैं । मैं समझता हूं यह बात हम स्वतंत्र दल के बारे में भी नहीं कह सकते । स्वतंत्र दल देश में निर्बाध आर्थिक व्यवस्था चाहता है । इस समय उस दल का विचार है कि व्यापारिक मामलों में ज्यादा सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये । यह राष्ट्रीयकरण तथा अन्य नियंत्रणों को पसन्द नहीं करता । यदि इस प्रकार की विचारधारा को जानते हुए भी कम्पनियां कांग्रेस को चन्दा देती हैं तो इस का मतलब यही है कि वे यही समझती हैं कि कांग्रेस अच्छा काम कर सकती है अन्य दलों की अपेक्षा ।

†**आचार्य कृपालानी** : स्वतंत्र दल की अपेक्षा कांग्रेस के पास बड़े पूंजीपति हैं ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : जब आचार्य जी कांग्रेस में थे तब लाखों रुपयों का चन्दा लेते थे परन्तु उन पर किसी का प्रभाव न था ।

†**आचार्य कृपालानी**: मैं बारह वर्ष कांग्रेस का जैनरल सेक्रेटरी रहा । हम संस्था का काम चार आने के चन्दे की रकम से चलाते थे । मुझे खेद है कि एक मंत्री को भी कांग्रेस का पूरा इतिहास ज्ञात नहीं है ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : आचार्य जी हमारे नेता रहे हैं और मुझे दुख है कि मुझ से ऐसी बात निकल गई । किन्तु वह शायद चुनावों की बात भूल गये हैं । ब्रिटिश युग में भी विधान सभाओं आदि के लिये काफी चुनाव होते हैं । इन का खर्च तो चार आने के चन्दे की रकम से नहीं चलता था । यों भी अंग्रेज़ों के जमाने में हम ने उस हर व्यक्ति की सहायता स्वीकार की है जो सहर्ष देने को आया है । आखिर हम तब एक उद्देश्य की पूर्ति के लिये लड़ रहे थे और जो हमारी सहायता करता था हम उसे स्वीकार करते थे । उस समय श्री मसानी हमारे बड़े सहायक थे ।

मेरा आशय केवल इतना था कि विभिन्न दलों की विचारधारा निश्चित है अतः उसे देख कर कोई भी दल किसी की सहायता कर सकता है । कई बार कुछ उद्योगपतियों का नाम भी लिया जाता है किन्तु हमारी नीति स्पष्ट है ; पूंजीपति हम से असंतुष्ट हैं । राष्ट्रीयकरण की नीति से भी पूंजीपति संतुष्ट नहीं हैं । हमारी आर्थिक तथा राजनैतिक विचारधारा सुनिश्चित है और हम किसी चीज़ की परवा किये बिना उस का स्वतंत्रतापूर्वक अनुसरण करते हैं ।

इस संदर्भ में न्यायाधीश तंदुलकर का मत बताना भी न्यायोचित होगा । उन्होंने दो प्रकार की बातों का स्पष्टीकरण किया है अर्थात् एक दल तो ऐसा होता है जिसे नीतियों के समर्थन के कारण चंदा प्राप्त होता है और दूसरे कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दल की नीति की परवा किये बिना किसी पूंजीपति की बात का समर्थन करते हैं क्योंकि उन से चन्दा ग्रहण कर लेते हैं । अतः इस चीज़ पर विचार किया जाना चाहिये । न्यायाधीश ने यह भी कहा था कि जो चन्दा राजनैतिक दलों को दिया जाय उसे प्रकट किया जाना चाहिये ताकि सामाजिक जीवन भ्रष्ट न हो । इसी

†मूल अंग्रेजी में

मत से न्यायाधीश श्री छागला तथा देसाई भी सहमत थे और उन्होंने कहा था कि एक कम्पनी उस दल को अपना चन्दा दे सकती है जो उस उद्योग के हितों की रक्षा के लिये सामान्यतः प्रयत्नशील हो ।

यद्यपि चुनावों में रुपये का बहुत महत्व है तथापि मैं यह अवश्य कहूंगा कि अभी कुछ वर्षों तक राजनैतिक दलों के पास बड़ी बड़ी रकमों का होना श्रेयस्कर नहीं है क्योंकि जनसाधारण इस की सूचना पाते ही शंकित हो उठते हैं। हमारी जनता की आय कम है अतः कांग्रेस जैसे दल को चंदे की छोटी रकमों से संतुष्ट होना होगा किन्तु यदि ज्यादा चंदा प्राप्त हो तो इन्कार नहीं होगा । हम ने पहले भी ऐसा किया है और बाद में भी ऐसा करते रहेंगे ।

शास्त्री समिति ने एक और चीज़ की ओर हमारा ध्यान दिलाया था । शास्त्री समिति ने कहा था कि चुनावों से संबंधित बातों के लिए निर्वाचन विधि में ही व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि उस दृष्टि से समवाय विधि की व्याप्ति मर्यादित है । उन्होंने जो कुछ कहा है, वह यह है :—

> "चुनावों में कम्पनियां दलों या उम्मीदवारों को सहायता दें, यह एक व्यापक प्रश्न है । अमरीका में इस विषय पर विशेष कानून बनाया गया है । इस दिशा में कम्पनियों के मामले को अकेले नहीं लिया जायगा—बल्कि न्यासों आदि के बारे में भी व्यापक व्यवस्था करने की जरूरत है । परन्तु यह मामला समवाय विधि के अन्तर्गत नहीं आ सकता, उससे बाहर का विषय है ।"

विदेशों में चुनाव संबंधी कानूनों में इन चीज़ों की व्यवस्था की जाती है । अतः यदि माननीय उचित समझें कि अमुक चीज कानून ही में आनी चाहिए तो निर्वाचन सम्बन्धी विधियों में इस चीज पर चर्चा की जा सकती है ।

श्री मसानी ने सरकारी समवायों के बारे में एक संशोधन रखा है किन्तु उस पर उन्होंने आग्रह नहीं किया ।

†**श्री मसानी :** मैं ने आग्रह किया है ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री :** तो ठीक है । यह मामला वस्तुतः महत्वपूर्ण है । आचार्य जी ने बताया कि एक तो सरकारी समवाय हैं और दूसरे संविहित निगम हैं । सरकारी कम्पनी वह प्रत्येक कम्पनी है जिसमें ५१ प्रतिशत से अधिक अंश या केन्द्रीय सरकार के पास हों या केन्द्र या राज्य के साझे में हों । जीवन बीमा निगम आदि निगम संविहित हैं । ये वही काम कर सकते हैं जिन्हें उनकी स्थापना के लिए बने अधिनियम में स्पष्ट किया गया हो । एक संविहित निकाय के कृत्य आदि निर्धारित करने वाली विधि में चंदे देने की व्यवस्था वैसे तो नहीं होती परन्तु अवशिष्ट अधिकारों की प्राप्ति उन्हें अवश्य होती है और वे ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जो निगम के हित में हों ।

अत : यह समझना चाहिए कि जीवन बीमा निगम, भारत का राज्य बैंक, उद्योग वित्त निगम आदि निगमों को किसी राजनैतिक दल में चंदा देने के लिए कोई बाधक व्यवस्था नहीं है । इन कानूनों में अधिकांश रूप से ऐसी व्यवस्था है कि सरकार नीति के बारे में इन्हें हिदायतें दें और यह उस पर अमल करें । उदाहरणार्थ भारत राज्य बैंक अधिनियम की धारा १८ की उपधारा (१) में ऐसी ही व्यवस्था की गयी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री लाल बहादुर शास्त्री]

राज्य वित्त निगम अधिनियम १९५१ की धारा ३९ की उपधारा (१) में भी ऐसी व्यवस्था है । सब से महत्व की चीज तो यह है कि सरकार ही इन कानूनों के अधीन उपयुक्त नियम बना सकती है । अत : जहां तक संविहित निगमों का सम्बन्ध है चंदों के बारे में ज्यादा कठिनाई कभी भी पैदा नहीं हो सकती । जहां तक सरकारी समवायों का सम्बन्ध है, सरकार का उन के प्रबंध पर पूरा नियंत्रण होता ही है । इसके अलावा ऐसे समवायों के संस्थान नियमों में यह चीज़ रहती है कि राष्ट्रपति समय समय पर आवश्यक हिदायतें जारी कर सकता है । उदाहरणार्थ भारी इंजीनियरिंग निगम लिमिटेड के संस्थान नियमों के नियम १३९ में यही अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है जिस पर निदेशकों को अमल करना होगा । अत: कोई भी सरकारी कम्पनी चंदा नहीं दे सकती । परन्तु कानून में ऐसी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं ।

†श्री मसानी : यदि सरकार हिदायत न दे तो निदेशक चंदा दे सकेंगे ।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : हम इस चीज को दो तीन तरीकों से रोक सकते हैं । एक तो राष्ट्रपति की हिदायतें हैं; दूसरी चीज़ यह है कि वहां सारे निदेशक ही सरकार के होंग । वित्तीय सलाहकार भी एक निदेशक ही होगा । हम धारा ६२० के अन्तर्गत एक अधिसूचना जारी करके इस चीज़ पर रोक लगा सकते हैं किन्तु यहां पर कोई संशोधन आवश्यक नहीं है । इसके अलावा धारा ६२० में भी संशोधन की आवश्यकता नहीं है । इस समय मैं यह घोषणा कर रहा हूं कि कोई सरकारी समवाय और निगम किसी दल को चंदा नहीं देंगे । इस चीज़ के लिए एक हिदायत ही काफी रहेगी ।

†उपाध्यक्ष महोदय : यह चीज रिकार्ड में रहेगी और सभी सरकारें इस से बंधी रहेंगी ।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह हमारा आश्वासन है । राज्यों में भी कुछ संस्थायें हैं जिन पर राज्य सरकारों का अधिकार है । उनके विषय में स्वाभाविक रूप से हमें राज्य सरकारों से बातचीत करनी पड़ेगी किन्तु मुझे आशा है कि उनकी नीति हमारे जैसी होगी ।

श्री मसानी ने अनेक बार यह कहा है कि कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले चंदे की अधिकतम राशि निर्धारित की जानी चाहिए । मैंने भी इस प्रश्न बर अनेक पर विचार किया और यही पाया कि इस विषय में कुछ न कुछ अवश्य होना चाहिए । जहां तक खंड ९८ के उपबंध का प्रश्न है, उसके उस भाग में मैं कोई संशोधन नहीं चाहता जिसमें यह कहा गया है कि या तो २५,००० रुपया हो या शुद्ध लाभ का पांच प्रतिशत अंशदान हो । जहां तक सामान्य मीटिंग का प्रश्न है कि वह फैसला करके कुछ भी दे सकते हैं, उसके बारे में अभी एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है और उसे थोड़े ही समय में अंतिम रूप दिया जायेगा । मैं उसे सभा के आगे रख दूंगा । उसका उद्देश्य यह होगा कि उस निकाय को चंदा देने की खुली छट्टी न रहे और कुछ प्रकार की रुकावटें अवश्य लगायी जायें । मैं स्वयं कुछ रोकथाम करना चाहता हूं । हां वे धर्मार्थ कार्यों के लिए सहर्ष चंदा दे सकती हैं । किन्तु जहां तक राजनैतिक दलों का सम्बन्ध है उन्हें चंदा देने के लिए सीमा निश्चित करनी चाहिए ।

†श्री तंगामणि : यदि २५,००० रुपये की सीमा में संशोधन न हुआ तो कम्पनियां लाखों रुपये दे सकेंगी ।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : सभा के समक्ष संशोधन रखकर मैं सारी स्थिति स्पष्ट कर दूंगा । वैसे तो धारा २९३ का खंड (ङ) स्वयमेव ही सीमा का काम करता है । सामान्य निकाय की बैठक भी उस सीमा का उल्लंघन नहीं कर सकती ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं और अधिक समय न लेकर केवल यह प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री मसानी को भी इस समय राजनैतिक दृष्टिकोण के आधार पर बात नहीं करनी चाहिए। अब इस विषय पर वस्तुगत दृष्टि से बात होनी चाहिए।

इस समय हमने सचेतक द्वारा कार्यवाही नहीं की ; इस पर सभा को स्वतंत्रता से निर्णय करना है। हमें तो सभा का ही निर्णय स्वीकार है। अब मैं संशोधन संख्या १२६ सभा के सामने रखता हूं :—

मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ ५२

(क) पंक्ति २५ के पश्चात् यह रख दिया जाये :

"Provided that any amount which may after the commencement of the Companies (Amendment) Act, 1960, be contributed in any financial year (whether by any such company or by its board of directors with or without the consent of such company) to any political party or for any political purpose to any individual or body, shall not in any case, exceed twenty five thousand rupees or five per cent of the average net profits of any such company as determined in accordance with the provisions of sections 349 and 350 during the three financial years immediately preceding, whichever is greater."

["परन्तु यह कि, समवाय (संशोधन) अधिनियम, १९६० के लागू होने के बाद, कोई भी राशि जो (किसी भी समवाय द्वारा या ऐसे समवाय की सहमति से या उसके बिना उसके निदेशक मंडल द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष में किसी राजनैतिक दल को या किसी व्यक्ति या निकाय को किसी राजनैतिक उद्देश्य के लिए दी जाय, किसी भी प्रकार पच्चीस हज़ार रुपये से या ऐसे समवाय के उस औसत शुद्ध लाभ के ५ प्रतिशत भाग से अधिक न होगी जो ठीक पहले के तीन वित्तीय वर्षों के दौरान के लाभ के आधार पर धारा ३४९ तथा ३५० के उपबन्धों के अनुसार निर्धारित किया गया हो, इन दोनों में से जो भी अधिक हो।"]

(ख) पंक्ति २६ में "(iii)" "(३)" के स्थान पर "(iv)" "(४)" रखा जाये।

इस व्यवस्था के अन्तर्गत सामान्य बैठक द्वारा अंशदान की मात्रा बढ़ायी जा सकती है। मेरे विचार में इस कार्यवाही से हम काफी हद तक नियंत्रण रख सकेंगे। शेष संशोधनों को मैं सारहीन समझता हूं अत : मैं उन्हें स्वीकार नहीं कर सकता।

†**आचार्य कृपालानी** : श्रीमान्, मंत्री महोदय का भाषण सुनने के बाद मैं इस खंड को और भी खतरनाक समझने लगा हूं।

यह ऐतिहासिक तथ्य है कि जब लोकतंत्रात्मक सरकारें पूंजीपतियों से धन लेती हैं तो बदनाम हो जाती हैं। साम्यवादी भी लोकतंत्र को इसी कारण पूंजीवादी प्रणाली के नाम से पुकारते हैं। जब सरकार पूंजीपतियों से चंदा लेती है तो स्वाभाविक रूप से उनके हाथों में खेलती भी है। वस्तुत: समाजवादी सरकार का इस तरह का काम और भी निंदनीय है। परन्तु कांग्रेस के मंत्री समाजवाद का नारा ही लगाते हैं; इसमें इन्हें विश्वास नहीं है। उनकी इच्छा यही है कि पूंजीपति उन्हें चुनावों में धन द। यह गलत है। आज सारा धन ही जनता का है और जो व्यक्ति अपने हिस्से से ज्यादा लेता है वह चोर है। यही गांधी जी कहते थे। किसी भी कम्पनी का रुपया केवल उसी कम्पनी का ही नहीं समझा जाना चाहिए।

---

†मूल अंग्रेजी में

[आचार्य कृपालानी]

यद्यपि यह विधेयक हितकर है परन्तु इस एक ही खंड से इसका सारा महत्व जाता रहता है। वस्तुतः इंग्लैंड आदि देशों में पहले पूंजीपति प्रत्यक्ष रूप से सरकार के कामों में भाग नहीं लेते थे; वे अपने कुछ आदमी इधर लगा देते थे। इसी कारण लोकतंत्र तथा पूंजीवाद की मिथ्या एकरूपता स्थापित हो गयी। साम्यवादी इसी कारण लोकतंत्र की प्रत्यालोचना करते हैं। परन्तु ये दो अलग अलग चीजें हैं। इस शासक दल की यह विचित्र नीति है कि यों तो समाजवाद का नारा लगाती है और वैसे ऐसा काम करती है।

एक पुरानी बात याद आ गयी। एक बार कांग्रेस के एक मंत्री ने कहा था कि हर एक चीनी के व्यापारी को हर बोरी पर कुछ न कुछ देना चाहिए। इस प्रकार के काम से प्रजातंत्र का ह्रास होता है।

कम्पनियों से चंदा छोटे लोगों को नहीं मिलता; बड़े नेता ही धन एकत्रित करते हैं। उनमें से कुछ लोग अच्छे और कुछ बुरे भी रहते हैं। इधर चुनाव के नाम पर पैसा आता है और इधर कुछ किसी की जेब में चला जाता है। मेरा मतलब यह नहीं कि हर आदमी ही बुरा होता है परन्तु बुरे भी तो होते ही हैं।

वैसे तो चुनावों में एक व्यक्ति ५००० से अधिक रुपये व्यय नहीं कर सकता परन्तु दल चाहे तो ५०,००० रुपये तक व्यय कर डाले। इस लिये दलों को पैसे की जरूरत रहती है। इससे कोई भला आदमी आगे नहीं आ सकता। हमें चुनावों में इतना व्यय अनुचित करार देना चाहिए।

मुझे माननीय मंत्री की इस बात पर भी काफी हैरानी हुई जब उन्होंने उच्च-न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया। न्यायालय राजनैतिक बातों पर व्यापक निर्णय थोड़े ही देते हैं। वह तो केवल विधियों का निर्वचन करते हैं।

माननीय मंत्री ने कहा कि एक व्यक्ति धन के अलावा और चीजों से भी भ्रष्ट होता है परन्तु यहां पर हम धन ही की बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री ने कहा कि कम्पनियां कानून के बावजूद भी अन्य तरीकों से राजनैतिक दलों को चंदा दे सकती हैं। यदि ऐसा है तो सरकार किस लिये बैठी है। क्या सरकार इतना भी नहीं कर सकती। यदि इतना भी नहीं कर सकती तो फिर शासन करने से क्या लाभ है। पूंजीपति सरकार को इस कारण चंदे देते हैं क्योंकि उन्हें अपने व्यापार को बनाये रखना है। वे डरते रहते हैं।

हम कांग्रेस संस्था का काम चार आने के चंदे से चलाते रहे हैं।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : उसके अलावा चंदा भी लिया जाता था। तिलक स्वराज्य निधि में ही एक करोड़ रुपया था।

†आचार्य कृपालानी : पूंजीपति केवल चुनाव आदि के लिए चंदा देते थे।

†श्री लाल बहादुर शास्त्री : यह गलत है।

†आचार्य कृपालानी : मुझे इनसे ज्यादा पता है। उस जमाने में कांग्रेस ऐसी नहीं थी।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि सरकारी कम्पनियों के चंदा देने पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा रोक लग जायेगी उसके बारे में मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि किसी समय दूसरी प्रकृति का राष्ट्रपति भी आ सकता है ।

मैं दूसरी बात यह कहता हूं कि सभी दल इस खंड का विरोध करते हैं । फिर कांग्रेस ही क्यों इतना आग्रह कर रही है । इससे स्पष्ट है कि दाल में कुछ काला है । इस चीज पर इतना आग्रह किस कारण है । यों भी कांग्रेस चुनावों में हजारों सरकारी चीजों का प्रयोग करती है । अतः यह सब चीजें और नियंत्रण जो आप कर रहे हैं दिखावा मात्र है । इनका कोई महत्व नहीं है ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : आचार्य कृपालानी का भाषण सुन कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, इसलिये कि समवाय विधेयक के खण्डों के बारे में अभी तक जो चर्चा चल रही थी, उसमें भारी-भरकम शब्दों और लम्बे-चौड़े वाक्यों की भरमार चल रही थी । आचार्य कृपालानी के भाषण ने जैसे उस नीरस, रुंधे वातावरण में एक नई ताजगी पैदा कर दी है । उन्होंने कांग्रेस की परम्पराओं का हवाला दिया है । उस समय की परम्पराओं का जब कांग्रेस समूचे देश की जनता के विचारों और इच्छाओं को वाणी देती थी । उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आप अपनी उन परम्पराओं से विमुख हो गई है ।

मैं आचार्य कृपालानी के इस सुझाव से पूरी तरह सहमत हूं कि समवायों द्वारा राजनीतिक दलों को दिये जाने वाले चन्दों पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा दिया जाना चाहिये ।

माननीय मंत्री ने इस सुझाव को नहीं माना है । उन्होंने इसके विरुद्ध जो तर्क दिये हैं, वे न तो अर्थशास्त्र, न राजनीति और न नैतिकता की दृष्टि से ही उचित ठहराये जा सकते हैं । समवायों के अधिकांश नियंत्रणकर्ता जिस राजनीतिक दल के पक्ष में होंगे उसे चन्दे के रूप में राशियां दे सकेंगे । यह व्यवस्था राजनीतिक, नैतिकता और यहां तक कि सामान्य व्यापार की नैतिकता के भी विरुद्ध है ।

आचार्य कृपालानी चाहते हैं कि देश में लोकतन्त्र की प्रगति हो । लेकिन आज की परिस्थिति में लोकतंत्र और पूंजीवाद दोनों एक साथ नहीं रह सकते । आज के जमाने में लोकतंत्र तभी रह सकता है जब वह समाजवादी लोकतंत्र हो । उसे लाने के साधन जो भी हों । लोकतंत्र को पूंजीपतियों की जकड़ से छुटाये बिना उसे सच्चा लोकतंत्र नहीं बनाया जा सकता । पता नहीं थैलीशाहों को इतना महत्व क्यों दिया जा रहा है । ये थैलीशाह कांग्रेस के प्रति प्रेम चाहे जितना दिखायें, पर वे किसी भी तरह अपनी थैलियों पर आंच नहीं आने देते । वे लोग शान-शौकत से रहते हैं, विमानों द्वारा सफर करते हैं, और उनका खर्च समवायों की निधियों से दिया जाता है । यहां तक कि अपने प्रिय राजनीतिक दलों को भी वे अपनी जेबों से चन्दा नहीं देना चाहते ; वह भी समवायों की निधियों से दिया जाता है । इसकी अनुमति नहीं होनी चाहिये । समाजवादी समाज के निर्माण के हमारे कार्य में जितनी भी त्रुटियां हैं, वे उन सभी का भरपूर फायदा उठाते हैं । और कांग्रेस जिस ढंग से समाजवादी समाज के निर्माण का काम कर रही है, उसमें त्रुटियों की भरमार है । यहां तक कि कांग्रेस अपने दल का कार्य चलाने के लिये भी थैलीशाहों की मोहताज है । इसीलिये कांग्रेस ने पिछले आम चुनावों के समय बिना किसी हिचक के टाटाज़ से १०,३०,००० रुपये चन्दे के रूप में ले लिये थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

इस प्रथा को बिल्कुल बन्द कर देना चाहिये। आचार्य जी ने कुछ मूलभूत प्रश्न उठाये हैं। कांग्रेस जनता को क्या जवाब देगी ? हमारी पार्टी ने हमेशा, हर चुनाव में आम जनता से पार्टी के लिये वोट नहीं मांगे, चन्दा भी लिया है। हम जनता से कहते हैं कि वे पार्टी के लिये काम भी करें।

राजनीतिक दलों को इस योग्य होना चाहिये कि वे आम जनता को सक्रिय बना सकें। यह नहीं कि थैलीशाहों से रुपये लेकर चुनाव लड़ें।

कांग्रेस की यह विडम्बना इसलिये हुई है कि उसने अपनी विचारधारा को त्याग दिया है। उसने आम जनता से अपना सम्पर्क तोड़ दिया है। जनता में वह उत्साह पैदा नहीं कर पाती। इसलिये कांग्रेस दल को चुनावों की इतनी चिन्ता है।

इसीलिये हमें अपने देश के राजनीतिक जीवन को शुद्ध बनाने के लिये कदम उठाने चाहिये। हर राजनीतिक दल को अपनी विचारधारा का समर्थन आम जनता से प्राप्त करना चाहिये। इसीलिये मैं नहीं चाहता कि हमारी विधि में ऐसी कोई भी व्यवस्था रहे जिसका लाभ उठा कर थैलीशाह हमारी राजनीतिक गतिविधियों में प्रत्यक्ष या परोक्ष हस्तक्षेप कर सकें। माननीय मंत्री ने ऐसे चन्दों की सीमा निर्धारित करने की जो बात कही है, इससे हमें सन्तोष नहीं होता। ऐसे चन्दों पर पूरा प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, उद्योग में से, या कम्पनियों में से अगर उनके सिवाये, जिनका कि उद्योग से डाइरेक्ट सम्बन्ध है, किसी और को कोई रकम दी जाती है, तो उसका मैं विरोध करता हूं। मैं अपने अनुभव की बात करता हूं, किसी की सुनी या कही हुई नहीं। प्रश्न यह है कि लेने वाला जितना आतुर नहीं है, उतना देने वाला आतुर क्यों है। मैंने देखा है कि कारखानों की आर्थिक हालत खराब होती जाती है और देने वाले ऐसी हालत में भी चूकते नहीं हैं, लेकिन जिनका डाइरेक्ट सम्बन्ध होता है और जिनको अपने पसीने की कमाई में से कुछ मिलना चाहिये, उन्हें कुछ नहीं मिलता है। इसलिये यह एक सवाल विचारणीय है। मुझे तो यह देख कर बड़ा आश्चर्य होता है कि यहां हाउस में हमारे विरोधी पार्टी के साथी कांग्रेस का नाम लेकर कांग्रेस के ऊपर हमले कर रहे हैं, जैसे वे गरीब तो कुछ जानते ही नहीं हैं और उन्होंने कुछ छुआ ही नहीं है। । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो कांग्रेस की अपोजीशन पार्टीज़ हैं, उनको इंडस्ट्रीज़ में से हजारों रुपये दिये गये हैं और वे इसलिये दिये गये हैं कि कांग्रेस पार्टी से सम्बन्धित आरगनाइजेशन को कमजोर किस प्रकार से बनाया जाये, उसको नीचा किस तरह से दिखाया जाये। यह चीज़ कोई गुप्त नहीं है, बिल्कुल ओपन है कि एक बड़े नेता को बुलाया गया और पच्चीस हज़ार रुपये की थैली इंडस्ट्रीज़ में से इकट्ठा करके इसलिये दी गई कि यहां रामसिंह भाई का आरगनाइजेशन बड़ा स्ट्रांग है और बराबरी के आधार पर इससे डील करना पड़ता है, इसलिये एक राइवल आरगनाइजेशन बनाई जाये और हजारों लोगों की सभा में वे पच्चीस हज़ार रुपये देते वक्त यह ऐलान किया गया। इतना ही नहीं, बल्कि वह पैसा ऐसी हालत में इकट्ठा किया गया, जब कि मेरे यहां कोई कम्पनी प्राफ़िट नहीं कर रही थी, लास पर ही चल रही थीं। पब्लिक में प्रकाशित करने, किसी व्यक्ति या किसी आरगनाइजेशन को देने और बैलेंस-शीट में पबलिश करने के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन मैं समझता हूं कि सोमानी जी अच्छी तरह से ये तरीके जानते हैं कि ये सारे काम किस तरह करने चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : किसी खास मेम्बर का नाम लेकर ऐसी बात नहीं कहनी चाहिये ।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : उन लोगों की अपनी आरगनाइजेशन--एसोसियेशन होती है, जो यह तय करती है कि दो रुपये, चार रुपये या दस रुपये प्रति लूम इकट्ठे किये जायें और एसोसियेशन को दिये जायें । उनकी एसोसियेशन किस को वह रुपया देती है, यह किस बैलेंस-शीट में पबलिश होगा । यह ज़रूर मालूम हो जायेगा कि फलां मिल ने प्रति-लूम के हिसाब से इतनी रकम अपनी एसोसियेशन को दी है और एसोसियेशन का बैलेंस-शीट तो केवल उस के मेम्बरों के लिये होता है, वह आम जनता के लिये नहीं होता है, क्योंकि उसके शेयरहोल्डर्ज नहीं होते हैं । एसोसियेशन जानती है कि किसको कितना देना है, कितना नहीं देना है ।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज के ज़माने में कांग्रेस के मुकाबले में विरोधी पार्टियों को ज्यादा दिया जाता है, लेकिन वे अच्छी तरह से जानते हैं कि लेने वाले इस बात को ठहरा लेते हैं कि हमारा नाम बैलेंस-शीट में नहीं आना चाहिये । वे कहते हैं कि कैसे आयेगा, हम अपनी आरगनाइजेशन के द्वारा देंगे । ऐसे एक नहीं, कितने ही किस्से हैं ।

मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह देने और लेने की बात क्यों हो रही है । प्राविडेंट फंड के करोड़ों रुपये श्रमिकों को नहीं दिये गये और मालिकों ने जमा नहीं कराये, लेकिन वे इस बात के लिये तैयार हैं कि हम पोलीटिकल पार्टीज़ को दें । जब प्राविडेंट फंड की बात आती है, तो कोई देता नहीं है । मैं समझता हूं कि अगर देने वाले किसी अच्छे परपज़ के लिये देना चाहते हैं, तो वे बेकारी के निवारण के लिये, बन्द कारखानों को चलाने के लिये, श्रमिकों के वेलफेयर के लिये मुनाफे के पांच परसेंट, या पच्चीस हज़ार रुपये क्यों नहीं लेते हैं । अभी थोड़े दिन पहले उनकी एसोसियेशन में एक सवाल आया कि एक साहब की वर्ष गांठ मनाने के लिये, एसोसियेशन पच्चीस हज़ार रुपये उसके लिये दे । उस समय एसोसियेशन में यह कहा गया कि जब इनकी वर्ष-गांठ मनाने के लिये पच्चीस हज़ार रुपये दिये जा रहे हैं, तो अमुक नेता की वर्ष-गांठ मनाने के लिये भी पच्चीस हज़ार रुपये दिये जायें, जब कभी भी वह मनाई जाये--चाहे वह मनाई जाने वाली हो या न हो । इस तरह एसोसिएशन ने दोनों के लिये पचास हज़ार रुपये निकाले । मेरी समझ में यह नहीं आता कि दरअस्ल वहां पर यह आग्रह या दुराग्रह क्यों हो रहा है कि अमुक पार्टी को अमुक रकम दी जानी चाहिये और वह या तो २५,००० रु० हो या प्राफिट या ५ परसेंट । एक मुख्य सवाल है कि मजदूरों के बोनस के सम्बन्ध में जब डिमान्ड की जाती है तो उस के लिये ट्राइब्यूनल ने एक फार्मूला ठहरा दिया कि अमुक प्राफिट हो तो भी बोनस नहीं दिया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अभी खत्म कर रहे हैं ?

श्री रामसिंह भाई वर्मा : मैं ५ मिनट में खत्म कर दूंगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : अगर ५ मिनट लेने हैं तो फिर कल शुरू करें ।

प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति, १९५८-५९ के प्रतिवेदन और उस पर श्री जी० पी० कपाडिया के विमति ज्ञापन, टिप्पणियों और सिफारिशों पर,

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री स० मो० बनर्जी]

जो २१ दिसम्बर, १९५९ को सभा-पटल पर रखे गये थे, और वित्त मंत्री द्वारा जांच समिति की अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों पर दिये गये वक्तव्य पर, जो ९ सितम्बर, १९६० को सभा-पटल पर रखी गयी थी, विचार करती है।"

इस समिति की नियुक्ति कर-वसूली की वर्तमान प्रणाली की त्रुटियों की दूर करने और कराधान जांच आयोग की सिफारिशों तथा प्रोफेसर कल्डोर द्वारा उठाये गये प्रश्नों पर विचार करने के लिये की गई थी।

समिति ने ३६७ सिफारिशें की हैं, जिनमें से २६५ सरकार ने स्वीकार कर ली हैं और ५९ सामान्य प्रकार की हैं, जिन पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं।

समिति ने अपने प्रतिवेदन में कहा है कि हमारे देश में कर-अपवंचना तो होती है, लेकिन उतनी अधिक नहीं जितनी कि प्रोफेसर कल्डोर ने बताई है। क्या समिति ने हिसाब लगाया है कि हमारे देश में कितनी राशि की कर-अपवंचना होती है? प्रोफेसर कल्डोर का मत है कि कर-अपवंचना २०० करोड़ रुपये की होती है। प्रोफेसर कल्डोर ने स्पष्ट कहा था कि पाश्चात्य देशों, या भारत में, कर-अपवंचना प्रशासकीय त्रुटियों या मानवीयता अपूर्णताओं के कारण नहीं होती, इस कारण नहीं होती कि उससे बचने या उसे दूर करने के लिये कोई व्यवस्था करना असंभव है। कर-अपवंचना का मुख्य कारण हर देश में निहित स्वार्थों की ओर से किया जाने वाला विरोध ही है। कराधान की पूरी प्रक्रिया में एक बड़ी चातुर्यपूर्ण नैतिक और बौद्धिक बेईमानी की बू है। कुछ ऐसा भास सा होता है कि यह पूरी प्रक्रिया धोखे धड़ी की एक बड़ी अनूठी योजना है—एक ओर तो भारी भरकम कर लगाये जाते हैं और दूसरी ओर, उनके बदले में, वचन दे दिया जाता है कि उनको प्रभावी नहीं बनाया जायेगा। इस प्रकार, एक ओर तो राजनीतिज्ञ लोग बड़े गर्व से कह सकते हैं कि हमने इतनी ऊंची दर पर कर लगा दिये हैं, और दूसरी ओर वही लोग अपने थैलीशाहों को जसे चुपचाप बता देते हैं कि करों की योजना में क्या त्रुटियां हैं।

इस सभा में तो हम थैलीशाहों पर बड़े-बड़े कर लगाने के विधान पारित कर देते हैं, और बाहर शासक-दल थैलीशाहों को अवसर देता है कि वे उसकी त्रुटियों का लाभ उठाकर कर-अपवंचना कर सकते हैं। इस लिये सरकार को इन त्रुटियों को बिल्कुल दूर करने का निर्णय दृढ़ता से करना पड़ेगा।

आय कर की प्रभावी बकाया राशि ३१ मार्च, १९६० को १३३,६१ लाख रुपये थी। आज एक प्रश्न के उत्तर में वित्त मंत्री ने बताया था कि उत्तर प्रदेश में १ अक्टूबर, १९६० का आय-कर, बिक्री कर और उपहार कर की कुल प्रभावी बकाया राशि ५,६६,७३,००० रुपये थी। उत्तर में यह नहीं बताया गया कि यह राशि कब से बकाया चली आ रही है। यह कैसे हो सकता है कि सरकार को बकाया राशि तो मालूम हो, पर यह मालूम न हो कि वह कब से बकाया चली आ रही है। यह सूचना सरकार कब तक इकट्ठी कर पायेगी? मुझे तो बताया गया है कि यह राशि १९४७ से बकाया पड़ी है।

कहा जा रहा था कि हमारे यहां कर-अपवंचकों के नाम घोषित किये जायेंगे। हम उसका स्वागत करेंगे। लेकिन उनको दण्ड क्या दिया जायेगा? २ दिसम्बर, १९५९ के "हिन्दुस्तान टाइम्स" ने लिखा था कि इंगलैण्ड में हर साल एक-दो बड़े बड़े कर-अपवंचकों को जेल भेजा जाता है। लेकिन हमारा देश स्वतंत्र होने के बाद से अब तक विधि में दण्ड की व्यवस्था होने पर भी एक भी कर-अपवंचक के खिलाफ मुकदमा तक नहीं चलाया गया। "हिन्दुस्तान टाइम्स" ने इंगलैण्ड के आंकड़े भी दिये थे कि १९५६-५७ में ऐसे ५५ मुकदमें चलाये गये थे, जिनमें से ५४ को दण्ड दिया गया था। माननीय मंत्री

बतायें कि १५ अगस्त, १९४७ से लेकर १ नवम्बर, १९६० तक कितने कर-अपवंचकों को दण्ड दिलाया गया है ?

सरकार का यह कदम बड़ा सराहनीय है कि कर-अपवंचकों के नाम घोषित किये जायेंगे, उनका भंडाफोड़ किया जायेगा। पूंजीपतियों ने इसके विरुद्ध बड़ा हो हल्ला मचाया था। उनके मुख्य पत्र "कामर्स" ने तो सरकार के इस कदम को चोरी और सेंध लगाना तक कहा था। लेकिन माननीय मंत्री फिर भी वह प्रगतिशील विधेयक सभा में ले आये। इस के लिये मैं उनको बधाई देता हूं। पर उस विधेयक में एक व्यवस्था यह भी है कि कुछ मामलों में नाम घोषित नहीं भी किये जायेंगे। विधेयक में ऐसी व्यवस्था नहीं रहनी चाहिये। मैंने तब भी इसका विरोध किया था।

सरकार ने प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति के प्रतिवेदन को सैद्धांतिक रूप में स्वीकार कर लिया है। उस प्रतिवेदन में कर-अपवंचना के विरुद्ध जनता को चेतना शील बनाने के कुछ उपाय सुझाये गये हैं। लेकिन सरकार ने उनको कार्यान्वित करने के लिये क्या किया है? आशा है कि माननीय मंत्री इसके बारे में एक व्यापक विधान सभा में लायेंगे।

सरकार ने उस प्रतिवेदन की इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है कि सरकारी अधिकारियों को निवृत्त होने से पहले निजी समवायों में सेवा करने से रोकने के लिये सरकार को अपनी नीति निश्चित करनी चाहिये। श्री प्रभात कार ने आय-कर विभाग के ऐसे कई जिम्मेदार अधिकारियों के उदाहरण सामने रखे थे। मैं भी ऐसे कई उदाहरण जानता हूं। ऐसे अधिकारी निजी समवायों की अनुचित रूप से सहायता करते हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि त्यागी आयोग ने प्रोफेसर कल्डोर का यह सुझाव क्यों नहीं माना कि आय-कर विभाग को कुछ और शक्तियां प्रदान की जायें ?

प्रश्न यह है कि लोग इतने सारे कर पूरे-पूरे अदा करने के बाद भी करोड़पति कैसे बनते जाते हैं? स्पष्ट है कि कर-विधान में त्रुटियां हैं। उनको तुरन्त दूर किया जाना चाहिये। विधान की प्रक्रिया को अधिक सरल और बोधगम्य बनाया जाना चाहिये।

मेरा अनुरोध है कि माननीय मंत्री स्पष्टीकरण करें कि कुछ सिफारिशों को क्यों स्वीकार नहीं किया गया है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री नौशीर भरूचा** (पूर्व खानदेश) : इस समिति के निर्देश-पद इतने तक ही सीमित थे कि प्रत्यक्ष कराधान की एकीकृत योजना की कार्यान्वित के लिये आवश्यक प्रशासकीय संगठन और प्रक्रिया के सम्बन्ध में सिफारिशें करें। लेकिन उसकी कई सिफारिशें इस सीमा का अतिक्रमण भी करती हैं। कुल मिलाकर समिति ने सही दिशा सुझाई है। अब यह सरकार का काम है कि वह विधि में परिवर्तन किये बिना कार्यान्वित करने योग्य सिफारिशों को शीघ्र ही कार्यान्वित करे।

समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रत्यक्ष करों के प्रशासन में थोड़ा सुधार तो होगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं होगा।

मैं समिति की इस सिफारिश से सहमत नहीं हुं कि आय-कर की बुनियादी श्रेणियों को संविधि में समाविष्ट करके और अधिभार की दरों में वित्त अधिनियम के जरिये फेर-बदल करके, कर-गणना के काम को सरल बनाया जा सकता है। इस सबम्न्ध में समिति की कुछ अन्य सिफारिशें बड़ी अच्छी

---

†नून अंग्रेजी में

[श्री नौशीर भरूचा]

हैं। एक तो यह कि यदि सरकार किसी कर के बुनियादी ढांचे में परिवर्तन करना चाहे, तो उसे अलग से एक विधेयक संसद् में लाना चाहिये। यह बात भी ठीक है कि कर सम्बन्धी विवरणियों के फार्म काफी सरल बनाये जाने चाहियें।

समिति ने अन्य प्रश्नो पर भी बड़ी सावधानी से विचार किया है। एक बड़ा अच्छा सुझाव है कि "आय और व्यय" शब्दों को पारिभाषित किया जाना चाहिये।

समिति ने कहा है कि "आय" शब्द की व्यापक परिभाषा करने की जरूरत नहीं। लेकिन अन्य देशों में इसकी व्यापकां परिभाषा की गई है। व्यापक परिभाषा होने पर कई भ्रांतियां दूर हो जायेंगी और अधिनियम के प्रशासन में भी सरलता रहेगी। मैं "व्यय" की परिभाषा करने के पक्ष में नहीं हूं। इसलिये कि एक उद्योग के लिये जो परिभाषा ठीक होगी, वह दूसरे उद्योग के लिये ठीक नहीं रहेगी।

समिति ने अवक्षयण के बारे में जो सुझाव दिये हैं, उनको मानने से अवक्षयण की गणना करना अधिक सरल हो जायेगा। एक सुझाव यह दिया गया है कि अवक्षयण की गणना का आधार आस्तियों के अंकित मूल्य को ही बनाना चाहिये। कई औद्योगिक संगठन अभी तक यही करते आ रहे हैं। दूसरा सुझाव यह है कि यदि आस्तियों का उपयोग छः महीने के बाद एक महीने से अधिक काल तक किया गया हो तो पूरे वर्ष के लिये अवक्षयण लेखा जाना चाहिये। लेकिन यदि छः महीने के बाद का काल एक महीने से कम हो, तो आधे वर्ष का अवक्षयण लेखना चाहिये। समिति ने तीसरा सुझाव दिया है कि फरनीचर को भी अवक्षयण की गणना के लिये शामिल करना चाहिये। मैं इससे सहमत हूं।

समिति ने विद्युत् संभरण समवायों के अवक्षयण के सम्बन्ध में एक बड़ा अच्छा सुझाव दिया है कि विद्युत् (संभरण) अधिनियम, १९४८ को संशोधित किया जाये। यह आवश्यक है क्योंकि भारतीय आयकर अधिनियम के अन्तर्गत जितने अवक्षयण की अनुमति दी गई है, उतने की अनुमति विद्युत् (सम्भरण) अधिनियम के अन्तर्गत नहीं है। इसका परिणाम यह होता है कि विद्यूत् समवाय अवक्षयण के लिये अलग से रक्षित राशि नहीं रख पाते।

विकास सम्बन्धी छूट के बारे में भी बड़ी उपयोगी सिफारिशें की गई हैं। विकास सम्बन्धी छूट देने की अभी तक एक शर्त यह है कि १० वर्ष तक सम्बन्धित समवाय की आस्तियों का कोई विक्रय नहीं होना चाहिये। समिति ने उसे ८ वर्ष कर देने की सिफारिश की है। यह ठीक भी है, क्योंकि औद्योगिक प्रगति के कारण अब मशीनें जल्द पुरानी पड़ जाती हैं और इस प्रकार कुछ आस्तियों का अवमूल्यन होता रहता है। केन्द्रीय राजस्व बोर्ड या अन्य किसी प्राधिकार को इस का आवश्यक समायोजन करने की शक्ति प्रदान की जानी चाहिये।

समिति ने पूर्त न्यासों के बारे में सिफारिश की है कि धारा ४(३) (१) के अन्तर्गत केवल उन न्यासों को कर से विमुक्त करना चाहिये जो वास्तव में अपने सम्बन्धित न्यासों के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये व्यवसाय चलाते हों। किसी सम्बन्धी या परिवार की सहायता के लिये व्यवसाय करने वाले न्यासों के मुनाफों पर पर लगना चाहिये। हमारे देश में कई व्यवसाई पूर्त-न्यासों की ओट में अपना व्यवसाय चलाते हैं। मैं इस से सहमत हूं।

निर्धारण कार्य को शीघ्र निबटाने के बारे में भी समिति ने कुछ बड़ी महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। सरकार को उन्हें कार्यान्वित करना चाहिये। पहली सिफारिश है कि निर्धारण का कार्य चालू वर्ष

में, या अधिक से अधिक उसके अगले वर्ष में पूरा हो जाना चाहिये ।

समिति ने यह भी ठीक कहा है कि थोड़ी आय वाले लोगों द्वारा जुटाये गये विवरणों को सामान्यतया स्वीकार कर लेना चाहिय । उनसे लेखा पेश करने के लिये नहीं कहना चाहिये । बहुधा उनके पास कोई लेखा होता भी नहीं है ।

दूसरी महत्वपूर्ण सिफारिश है कि कर का निर्धारण उसकी वसूली और यदि अधिक राशि वसूली गई है तो अतिरिक्त राशि की वापसी ३० दिन में हो जानी चाहिये । सरकार कर-वसूली में तो तत्परता दिखाती है, पर वापसी में बहुत ढिलाई करती है । समिति ने कहा है कि आय-कर की अदायगी में विलम्ब करने वालों से ६ प्रतिशत अधिक लिया जाना चाहियें । ठीक है लेकिन वापसी में विलम्ब होने पर सरकार को भी इतना ही भुगतान अपनी ओर से करना चाहिये ।

समिति ने सिफारिश की है कि वापसी के प्रार्थना पत्र पर उसी दिन कार्यवाही हो जानी चाहिये ।

यह सिफारिश भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि अपीलीय सहायक आयुक्तों का तबादिला केन्द्रीय राजस्व बोर्ड से विधि मंत्रालय में कर देना चाहिये । फिर वे अपनी पदोन्नति के लिये केन्द्रीय राजस्व बोर्ड को खुश करने की बात नहीं सोचेंगे ।

यह सुझाव भी बड़ा अच्छा है कि अपीलीय सहायक आयुक्तों पर दो अपीलीय आयुक्तों का नियंत्रण रहना चाहिये, जो विधि मंत्रालय के अधीन रहें ।

मैं इसका भी समर्थन करता हूं कि अपीलीय न्यायाधिकरण में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई जाये, जिससे कि वे केवल आदेश न दें, बल्कि तथ्यों पर अपनी राय देते हुए, कारण बताते हुए, बाकायदा कुछ निष्कर्ष निकालें । न्यायाधीशों की संख्या बढ़ा कर ही, विचाराधीन मामलों की भीड़ छांटी जा सकती है । इस संम्बन्ध में मेरा भी एक सुझाव है कि नोटिस मिलने के १५ दिन के अन्दर-अन्दर आय-कर की राशि चुका दी जाये, जो सरकार उस पर ५ प्रतिशत तक की छूट देने की घोषणा कर दे । इससे बकाया राशि अधिक नहीं बढ़ पायेगी ।

मैं इस उपयोगी कार्य के लिये समिति को बधाई देता हूं ।

श्री राम कृष्ण गुप्त (महेन्द्र गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जो रिपोर्ट आज पेश की गई है और जिस पर विचार हो रहा है उसके बारे में मेरा व्यू (राय) यह है कि हमारे देश में जो सन् १८६० का इनकम टैक्स लागू किया गया वह हमारी जिन्दगी का एक परमानेन्ट फीचर बन गया है । इस लिये जरूरी था कि इस तमाम सिस्टम पर विचार किया जाता और उसमें जो डिफेक्ट्स हों आज कल की हालात में, उन डिफेक्ट्स को दूर करके सुधारने की कोशिश की जाती । इस मकसद को मद्देनजर रखते हुए डाइरेक्ट टैक्सेशन ऐडमिनिस्ट्रेशन कमेटी मुकर्रर की गई । गवर्नमेंट का यह एक काबिल तारीफ काम था । इस कमेटी ने जो रिपोर्ट पेश की है उस रिपोर्ट को देखने से इस बात का पता लगता है कि इस कमेटी ने इस मामले में बहुत डिटेल में स्टडी किया हिन्दुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में दौरा कर के और एक एग्ज्हास्टिव रिपोर्ट पेश की, जिस पर आज विचार हो रहा है । इस में बहुत सी सिफारिशों का जिक्र किया गया है । बड़ी खुशी की बात है कि गवर्नमेंट ने बहुत सी सिफारिशों को तो मान लिया है, उनमें से दो या तीन तो बहुत अहम हैं, लेकिन उनके अलावा बहुत सी रिकमेन्डेशन्स ऐसी हैं जिन पर अभी विचार हो रहा है । उन में से भी दो या चार

[श्री राम कृष्ण गुप्त]

को मैं बहुत अहम समझता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि उन पर विचार करने के बाद उनको जरूर मंजूर किया जायेगा ।

जहां तक सजेशन्स का सवाल है, जो सिफारिशें पेश की गई हैं उनकी रोशनी में और जो गवर्नमेंट का नजरिया है, गवर्नमेंट ने जिन सिफारिशों को मानने का फैसला किया है, उनकी रोशनी में मैं चन्द तजवीजें हाउस के सामने रखना चाहता हूं । सब से पहला सवाल सिम्पिलफिकेशन का है । मैं समझता हूं कि यह बहुत अहम सवाल है क्योंकि जो हमारा मौजूदा ला है वह बड़ा काम्प्लिकेटेड (पेचीदा) है और आम आदमी उसे समझ नहीं सकता, और जो बड़े बड़े कैपिटलिस्ट हैं, जिनका जिक्र मुझ से पहले हाउस में किया गया, वे भी इस काम्प्लिकेटेड कानून का फायदा उठाने के लिये रिटायर्ड गवर्नमेंट आफिसर्स को एम्प्लाय करते हैं और टैक्स इवेजन के दूसरे तरीके इस्तेमाल कर के अपनी आमदनी का बहुत सा हिस्सा छिपाने में कामयाब हो जाते हैं । इस लिये मैं समझता हूं कि दोनों प्वाइंट आफ व्यू से इस ला को सिम्प्लीफाई (सरलीकरण) करना बहुत जरूरी है । एक तो इस से आम आदमियों को, जो गरीब आदमी हैं, जो कि इन बातों को आसानी से समझ नहीं सकते, जो कि आफिसर्स का फायदा नहीं उठा सकते, उनको फायदा होगा और जैसा कि मैंने कहा कि जो आफिसर्स की सर्विसेज हासिल की जाती हैं और जिन से नाजायज फायदा उठाने की कोशिश की जाती है, वह प्रैक्टिस भी इस से खत्म होगी ।

इस के अलावा दूसरी बात जो इस कमेटी ने प्वाइंट आउट की है वह बहुत अहम है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में कोआर्डिनेशन और कोआपरेशन बहुत कम है । इसके साथ साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के दर्म्यान भी कोआर्डिनेशन और कोआपरेशन की जरूरत है । यह इस लिये जरूरी है कि जो इनकम टैक्स ऐसेस निर्धारित किया जाये वह ठीक ऐसेस हो और वह इवेड न हो सके । इस किस्म की बहुत सी मिसालें आपको मिलेंगी । एरियर्स की भी मैं समझता हूं कि बहुत हद तक यही स्थिति है । मैंने पिछली दफा इस हाउस के सामने यह बात रक्खी थी कि जो रकम वसूल नहीं हुई है, उसकी वसूली में दिक्कत आती है । उसका एक कारण यह भी है कि वसूली के लिये जो इनकम टैक्स आफिसर्स हैं, वे ज्यादातर स्टेट्स के रेवेन्यू आफिसर्स पर डिपेन्ड करते हैं । उन रेवेन्यू आफिसर्स के सामने इनकम टैक्स की वसूली का सवाल इतना अहम नहीं होता जितना अहम सवाल उनके सामने दूसरे टैक्सेज की वसूली का होता है, जो कि डाइरेक्टली स्टेट्स से ताल्लुक रखते हैं । इस लिये मैं समझता हूं कि इस बात पर भी विचार किया जाय और उनको इस किस्म के अख्त्यार दिये जायें ताकि महकमा इनकम टैक्स के जो आफिसर्स हों वे कलेक्शन वगैरह के काम को तेजी से कर सकें ।

इस के अलावा तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं वह असेसमेंट के बारे में है । इसका जिक्र इस रिपोर्ट के पेज ५ पर किया गया है । यह मामला इस लिये भी अहम है कि जो रकम एसेस की जाती है वह असेसमेंट बहुत से केसेज में एरियर्स में चला जाता है, और यही सब से बड़ा कारण है जिससे कि एरियर्स की रकम आये साल बढ़ती जा रही है । अगर कमेटी के विचार म हाउस के सामने रक्खूं तो यह बात बिल्कुल सही साबित हो जायेगी । रिपोर्ट के पेज ५ पर कहा गया है कि बहुत से मामलों में वर्षों तक कर निर्धारण नहीं होता और ऐसे मामलों की संख्या हर साल बढ़ती जा रही है । इसके अन्दर फैक्ट्स ऐंड फिगर्स भी दिये गये हैं लेकिन मैं उनको दोहराना नहीं चाहता । मेरे कहने का मतलब यह है कि इस बारे में कमेटी ने जो सिफारिशें की हैं वे बहुत अहम हैं और उनको मुकम्मिल तौर पर स्वीकार किया जाय ताकि यह जो असेसमेंट और एरियर्स की शिकायतें हैं वे कम हों ।

[श्री हेडा पीठासीन हुए]

इसके लिये मैं दो तीन बातें खास तौर पर कहना चाहता हूं। कुछ बातें तो ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट ने मंजूर कर लिया है, लेकिन एक दो बातें ऐसी हैं जिनको जिस हद तक मंजूर किया जाना चाहिये था, उस हद तक उनको मंजूर नहीं किया गया। मिसाल के तौर पर इस कमेटी ने यह सिफारिश की है कि इंटरेस्ट वगैरह लागू किया जाय। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इनकम टैक्स का जो ऐक्ट है उसके अन्दर इंटरेस्ट के लिये कोई प्राविजन नहीं है। जैसा कि इस कमेटी की रिपोर्ट के सफा ११६ और ११७ में जिक्र किया गया है, पेनैलिटी का क्लाज जरूरी है लेकिन पेनैलिटी के बारे में कमेटी ने जो राय दी है, जो एविडेंस कमेटी के सामने आई है, उससे पता चलता है कि इस क्लाज को भी एफेक्टिवली एन्फोर्स नहीं किया गया, और मुझ से पहले मेरे लायक दोस्त ने, जिन्होंने इस मोशन को पेश किया, जो कहा वह बिल्कुल बजा था कि अगस्त सन् १९४७ से लेकर आज तक हमें इस बात का पता चलना चाहिये था कि कितने लोगों को सजा दी गई और वे सजायें क्या क्या दी गईं, अगर इसका पता चलता तो मालूम होता कि इस क्लाज को मुकम्मिल तौर पर, प्रैक्टिक्ल तौर पर यूज नहीं किया गया। इस के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ कमेटी के ये व्यूज आपके सामने रखना चाहता हूं कि आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि १९५८-५९ में बकाया राशि २६७.६० करोड़ थी लेकिन केवल १.८१ करोड़ की बकाया राशि के बारे में जुर्मना किया गया था। इसका यह मतलब है कि पेनैलिटी का काम तेजी से नहीं चलाया गया।

जहां तक इंटरेस्ट का सवाल है, उसके लिये इस ऐक्ट के अन्दर कोई प्राविजन नहीं। मुझे यह देख कर बड़ी खुशी होती है कि कमेटी ने इस बात की सिफारिश की। लेकिन गवर्नमेंट ने जून की बजाय इस इंटरेस्ट के प्राविजन को सितम्बर से मंजूर किया है। मेरा यह ख्याल है कि अगर जून से ही इस को ऐक्सेप्ट कर लिया जाता और जो कमेटी का ओरिजिनल प्रपोज़ल था उसको मान लिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता क्योंकि इससे एरियर्स की वसूली में दिक्कत नहीं आती। इसके साथ ही साथ मैं हाउस के सामने यह भी रखना चाहता हूं कि पिछले दिनों में जो ह्यज एरियर्स की रकम जमा हो गई है, उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना चाहिये। यह मामला कई दफा हाउस के सामने आया और यह रकम भी बहुत काफी मिकदार में मौजूद है, यह शायद ३०० करोड़ से भी ज्यादा हो गई हो। इसका कारण यह था कि सेकेन्ड वर्ल्ड वार में इनकम टैक्स का कोई अच्छा इन्तजाम नहीं था। सभी जगह लोगों ने नाजायज आमदनी पैदा की और उसको वे इनकम टैक्स से बचाने में कामयाब हो गये। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरफ भी पूरा ध्यान दिया जायेगा।

इसके बाद मैं टैक्स इवेजन (कर अपवंचना) के बारे में भी कहना चाहता हूँ। इसके लिये भी कमेटी ने बहुत सी सिफारिशें की हैं। मैं समझता हूँ कि वह भी बहुत अहम हैं। उन पर भी पूरा अमल होना चाहिये। मैं इस मामले में सिर्फ एक ही बात का जिक्र करना चाहता हूं। मैं ने यह बात पहले भी कही थी। अगर आप वाकै टैक्स इवेजन को रोकना चाहते हैं तो आपको बैंक्स पर किसी न किसी तरीके से कंट्रोल करना पड़ेगा। जो यह बात मैं ने कही है इसकी सिफारिश उन इनकम टैक्स जांच कमीशन्स ने भी की है जो कि मुकर्रर किए गए हैं। उन्होंने भी इस बात की तरफ इशारा किया है और दुनिया के दूसरे मुल्कों, जैसे यू० एस० ए० वगैरह की मिसालें देकर यह साबित किया है कि अगर इनकम टैक्स इवेजन को रोकना है तो इस चीज पर हमें जरूर काबू पाना होगा।

[श्री रामकृष्ण गुप्त]

हम देखते हैं कि जिन लोगों से टैक्स वसूल करना है उन्हीं लोगों के हाथ में हिन्दुस्तान के बड़े बड़े बैंक हैं। वह अपनी नाजायज़ कमाई का काफी हिस्सा उन बैंकों में दूसरे नामों से और गलत तरीकों से छिपाने में कामयाब हो जाते हैं। बैंकों से आपको पूरी इनफारमेशन नहीं मिलती। तो इस बारे में मेरी यह अपील है कि हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिये और बैंकों पर अगर हम मुकम्मल कंट्रोल न करना चाहें, तो कम से कम इतना कंट्रोल तो करना ही चाहिये कि जिन लोगों का उनमें रुपया जमा होता है उसके बारे में सालाना हमें रिपोर्ट मिल सके, ताकि वह लोग टैक्स को ज्यादा बचा न सकें।

आखिर में मैं दो अल्फाज चैरिटेबिल ट्रस्ट्स के बारे में कहना चाहता हूं। मुझे यह देख कर बड़ी खुशी होती है कि कमेटी ने सेक्शन ४ में इस क्लाज को अमेंड करने की सिफारिश की है और गवर्नमेंट ने उसको मंजूर कर लिया है। मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहता हूं कि इस एक्ट को जल्दी से जल्दी अमेंड करके इस क्लाज को जल्दी एनफोर्स किया जाए ताकि जो ट्रस्टों के जरिए आमदनी को छिपाने की कोशिश की जाती है और उस रुपये को असली परपज़ के लिये खर्च नहीं किया जाता, इस चीज को रोका जा सके। टाइम की कमी है। मैं इस किस्म की एक नहीं हजारों मिसालें पेश कर सकता था कि किस तरीके से हिन्दुस्तान के बड़े बड़े कैपीटलिस्टों ने इनकम टैक्स से बचने के लिये यह ट्रस्ट बनाये हैं और चैरिटी का नाम लेकर किस तरीके से रुपया मिसयूज होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर इस क्लाज पर सख्ती से अमल किया गया और इसको कड़ाई के साथ एनफोर्स किया गया और इस चीज को मौजूदा इनकम टैक्स ऐक्ट में इनकारपोरेट किया गया तो इस पर हमारा काफी कंट्रोल हो जायेगा।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर (पाली) : हमारा आयकर अधिनियम अब लगभग सौ वर्ष पुराना हो गया है। इसकी व्यवस्थाओं में सुधार की बड़ी ज़रूरत है।

इस समिति ने इस अधिनियम की व्यवस्थाओं की छान बीन बड़ी बारीकी से, बड़े श्रम-साध्य ढंग से की है। सरकार ने भी उसकी अधिकांश महत्वपूर्ण सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। सरकार इसके लिये बधाई की पात्र है।

हम समिति की अधिकांश सिफारिशों से सहमत हैं।

सब से बड़ी बात यह है कि समिति ने सभी समस्याओं पर बड़े मानवीय ढंग से विचार किया है। उसका सबसे अधिक ज़ोर इस बात पर है कि प्रशासन और निर्धारियों के बीच के सम्बन्धों में सुधार हो। सभी निर्धारियों को, आज की तरह, कर-अपवंचक न मान लिया जाये। विभाग के अधिकारियों को निर्धारियों की सहायता करनी चाहिये कि वे ठीक से विवरणियां भर सकें। ७,५०० रुपये से कम आय वालों की विवरणियां ज्यों की त्यों स्वीकार कर ली जानी चाहिये। उनकी जांच चार वर्ष में एक बार की जा सकती है। इससे विभाग का काम बड़ा हल्का हो जायेगा। विभाग का समय केवल बड़े बड़े धनपतियों की विवरणियों की जांच पर ही खर्च होगा। विभाग को वास्तव में यही दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। तभी हर कर दाता महसूस करेगा कि कर अदा करना देश के विकास में सहायता करना है।

†मूल अंग्रेजी में

समिति की सिफारिश है कि अपीलीय आयुक्तों को राजस्व बोर्ड के अधीन नहीं रखना चाहिये। बिलकुल ठीक बात है। अन्य कई समितियां भी पहले कई बार ऐसी ही सिफारिशें कर चुकी हैं। तभी अपीलीय आयुक्त स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकेंगे और निर्धार्य भी उन पर विश्वास करेंगे। पता नहीं सरकार ने इसे स्वीकार क्यों नहीं किया। हमारी भावना आरम्भ से यही रही है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथक रखना चाहिये। अपीलीय आयुक्तों को विधि मंत्रालय के अधीन रखना चाहिये।

दुर्भाग्य की बात है कि राजस्व मंत्रालय और गृह-कार्य मंत्रालय ने इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया। सरकार को पता नहीं क्यों यह डर बना रहता है कि यदि इन अधिकारियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया, तो वे राजस्व विभाग का प्रशासन शायद ठप्प कर देंगे।

करों की बकाया राशि की वसूली अभी विभिन्न राज्यीय प्रशासनों द्वारा होती है। हर राज्य के अपने नियम और विनियम हैं। इसलिये, समिति ने सिफारिश की है कि कर वसूली के लिये एक केन्द्रीय संहिता तैयार की जानी चाहिये, जिसे एकरूपता से प्रभावी बनाया जा सके। ३०० करोड़ रुपये की बकाया राशि की बात का बड़ा बुरा प्रभाव जनता पर पड़ता है। उसकी ओर उचित ध्यान देना चाहिये।

पता नहीं सरकार करोड़पतियों की बातों को इतना छिपाती क्यों है। आज एक प्रश्न पूछा गया था कि देश में कितने करोड़पति हैं और उनके क्या नाम हैं। सरकार ने न तो उनके नाम बताये और न उनके ग्राम। शायद इसलिये कि वे सभी कर-अपवंचक हैं और सरकार कर-अपवंचकों के नाम नहीं बताना चाहती।

सभा के सदस्यों ने बार-बार जोर देकर कहा है कि कर-अपवंचकों को कड़ी सजायें दी जानी चाहियें। कर-अपवंचना के षड़यंत्र में सब से बड़ा सहयोग अधिकृत लेखापाल और विधिजीवी लोग देते हैं। समिति ने, इस सम्बन्ध में, सिफारिश की है कि हमारे देश के अधिकृत लेखापालों और विधिजीवियों पर वे ही आचरण नियम लागू किये जाने चाहियें जो इंगलैंड में वहां के अधिकृत लेखापालों और विधिजीवियों पर लागू किये जाते हैं। यह बड़ा अच्छा सुझाव है।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी** (वेल्लोर) : इस समिति के कुछ सदस्यों को पहले इस पर आपत्ति थी कि उनके निर्देश-पद सीमित रखे गये हैं। निर्देश-पदों में केवल यही था कि कर-अपवंचना रोकने के लिये और प्रत्यक्ष कराधान की एकीकृत योजना को कार्यान्वित करने के लिये प्रशासकीय संगठन कैसा हो और क्या प्रक्रिया अपनाई जाये। अब समिति की सिफारिशों से पता चलता है कि उन्होंने अपने को निर्देश-पदों तक सीमित नहीं रखा है। समिति शायद यह समझती है कि प्रशासकीय निदेशकों या कार्यपालक आदेशों के जरिये परिस्थिति में सुधार किया जा सकता है। इसलिये समिति ने संगत अधिनियम में ही सुधार की व्यवस्था करने का सुझाव नहीं दिया है। मैं तो समझता हूं कि अधिकारीगण निर्धारण करते समय निदेशकों को देखने का कष्ट तक नहीं करते, क्योंकि निदेशों की संख्या बहुत अधिक है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री न० रा० मुनिस्वामी]

और अब यह अधिनियम सौ वर्ष पुराना भी हो गया है । इतने काल में कई आदेश और निदेश ऐसे जारी किये जा चुके हैं जो आतिछादी हैं । इसलिये सरकार को ऐसे सभी निदेशों और आदेशों को एक जिल्द में इकट्ठे करा देना चाहिये । इससे अधिकारियों को बड़ी सुविधा हो जायेगी ।

अभी इस समय निर्धायों और प्रशासन के बीच अच्छे सम्बन्ध नहीं हैं । विभाग हर निर्धार्य को संदेह की दृष्टि से देखता है । विभाग को जनता का विश्वास प्राप्त करने योग्य बनाना चाहिये । विभाग को छोटे छोटे मामलों में अपना समय खराब नहीं करना चाहिये । उसे आम निर्धायों की सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिये ।

पता नहीं सरकार ने समिति की यह सिफारिश क्यों नहीं मानी कि अपीलीय आयुक्तों को विधि मंत्रालय के अधीन रखा जाये । निर्धारण करने वाले और उसके सही-गलत होने का निर्णय करने वाले अधिकारी एक ही विभाग के अधीन नहीं रहने चाहिये । ठीक उसी तरह जिस तरह कि अभियोक्ता और न्यायाधीश एक ही व्यक्ति नहीं होना चाहियें । सरकार को अपने इस निर्णय का पुनरीक्षण करना चाहिये ।

मैं दोहरे कराधान के बारे में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । १९३८ में ऐसा एक संशोधन सभा में आया था । विधि आयोग भी इस पक्ष में था कि दोहरा कराधान नहीं होना चाहिये । मेरा अनुरोध है कि सरकार इस पर विचार करे और दोहरा कराधान न होने दे

निर्धायों को विवरणियां जुटाने के लिये जो फार्म दिये जाते हैं, वे इतने उलझे और पेचीदा किस्म के होते हैं कि उनकी समझ में नहीं आते । इसलिये उनका सरलीकरण किया जाना चाहिये । बहुधा निर्धायों को वे फार्म भरने के लिये विशेषज्ञों और वकीलों और लेखा-पालों की सहायता लेनी पड़ती है । आय-कर विभाग के निवृत्त अधिकारी यही पेशा करने लगते हैं । वे निर्धायों को बताते हैं कि फार्मों को भरने में क्या चतुराई की जाये और कैसे अपनी कमजोरियां छिपाई जायें । उनको विधि की त्रुटियां मालूम रहती हैं ।

इसलिये सरकार को कोई ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि विभाग के निवृत्त अधिकारी यह काम न कर सकें ।

†श्री वारियर (त्रिचूर) : मैं त्यागी समिति को बधाई देता हूं । इस समिति के प्रतिवेदन की विशेषता यह है कि इसमें त्यागी समिति ने जटिल समस्या पर विशद विचार करने के उपरान्त उसका समाधान करने का प्रयत्न किया है और दूसरे सरकार ने इस प्रतिवेदन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है तथा इसकी बहुत सी सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है । लेकिन सरकार ने जिन सिफारिशों को स्वीकार किया है वे ऐसी हैं जिनसे स्थिति में कोई सुधार नहीं हो सकेगा ।

इस प्रतिवेदन में प्रशासकीय ढांचे का सविस्तार वर्णन किया गया है । लेकिन इस ढांचे में जो त्रुटि है उसको दूर नहीं किया जा सका क्योंकि यह कार्य इस समिति के क्षेत्र से बाहर था । समिति ने बताया है कि करापवंचन की स्थिति स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद उतनी नहीं

†मूल अंग्रेजी में

है जितनी कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पूव थी। इसका कारण यह भी था कि उन दिनों परिस्थितियां कुछ ऐसी थीं जिनमें ऐसा करना स्वाभाविक था अथवा लोग ऐसा करने के लिये मजबूर थे। आज दृष्टिकोण बदल गया है। हमारी जनता कर देकर अपनी राष्ट्रीय मनोवृत्ति का परिचय दे रही है। लेकिन श्री हाल्दर ने दूसरी ही बात कही है। यदि करापवंचन के बारे में काल्दार का अनुमान बहुत बढ़ा कर किया गया है तो सरकार का अनुमान बहुत घटा कर दिखाया गया है। करापवंचन एक अवैध बात है और जान बूझ कर कर न देना एक दूसरी ही बात है। अगर इस समस्या का और भी गम्भीरता के साथ अध्ययन किया जाये और प्रशासकीय ढांचा सख्ती से कार्य करे तो इतनी अधिक राशि शेष नहीं रह सकती। मेरा निवेदन है कि सरकार ने जो अनुमान लगाया है वह तो स्वेच्छा से प्रगट की गई आय के आधार पर ही लगाया गया है।

कुछ लोगों ने विदेशों में बड़ी बड़ी रकमें जमा कर रखी हैं। कुछ लोग ऐसा व्यापार भी करते हैं कि यदि उन्हें यहां १० या १५ प्रतिशत अधिक राशि दे दी जाये तो वे इंगलिस्तान या अमरीका में धन की व्यवस्था कर देते हैं। इनवोइस का भी व्यापार किया जा रहा है। आयात के लाइसेंसों में छल करके उनसे बड़े पैमाने पर स्वार्थ साधन किया जा रहा है। विदेशी सहयोग से स्थापित होने वाले समवाय के लिये आवश्यकता से अधिक पूंजी आने में ज़रा भी देर नहीं लगती है और ये समवाय काफी अर्से तक आवेदनकर्ताओं का धन न लौटा कर उस पर ब्याज कमाते हैं। हालांकि सरकार की जानकारी में यदि ऐसे मामले आये हैं तो सरकार ने उनके विरुद्ध कार्यवाही की है। धन को सोने चांदी में और बड़ी बड़ी इमारतों के रूप में निर्माण के रूप में छिपाया जाता है। बड़ी बड़ी राशियां अनुसूचित बैंकों में नहीं बल्कि छोटे बैंकों में जमा की जाती है।

ट्रस्ट की व्यवस्था करके भी धन को बचाया जाता है। धन का अपव्यय भी करापवंचन का तरीका है। मैनेजिंग डाइरेक्टर तथा समवाय के अन्य उच्चपदाधिकारी बड़े बड़े शहरों में जाकर काफी धन का व्यय होटलों में और पार्टियों में करते हैं। लेकिन जब तक इस प्रकार के खर्चों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही नहीं की जायेगी तब तक इनका रुकना संभव नहीं है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को अनुज्ञप्तियां देने की प्रथा की रोक थाम करनी चाहिये और अनुज्ञाप्तियां देने से पूर्व उनकी अच्छी तरह जांच करनी चाहिये।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि करापवंचन और कर देने से बचने की प्रवृत्ति इतनी गहरी पैठी हुई है कि इसको दूर करने के लिये प्रक्रिया को सरल करने और प्रशासनिक संगठन में सुधार करने के स्थान पर नीति में ही व्यापक परिवर्तन करना अत्यन्त आवश्यक है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिये और अनुज्ञप्तियां देने के प्रश्न की पूरी जांच होनी चाहिये। अंत में मैं श्री त्यागी को बधाई देता हूं जिन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सी समस्याओं का समाधान किया और उन्होंने उनको सरल कर दिया।

†राजस्व तथा असैनिक व्यय मंत्री (डा० बे० गोपाल रेड्डी): बाद विवाद के दौरान में कोई विवाद स्पद बातें नहीं उठाई गई हैं। सभी सदस्यों ने त्यागी समिति को बधाई देना शुरू कर दिया। त्यागी समिति के कार्य एवं उन्होंने जो सिफारिशें की हैं मैंने भी उनको इसके लिये बधाई दी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[डा० बे० गोपाल रेड्डी]

सरकार ने इस बारे में कोई प्रस्ताव नहीं रखा था कि इस समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा की जाये क्योंकि सरकार जानती थी कि सभी सदस्य इस समिति के प्रतिवेदन के पक्ष में हैं तथा इस समिति ने भी कोई बात ऐसी नहीं छोड़ी थी जिस पर विस्तार से विचार न किया गया हो। यही कारण था कि सरकार इस बात की इच्छुक नहीं थी कि इस पर सभी में वाद विवाद हो। लेकिन जब कुछ सदस्यों ने इस पर वाद विवाद करने की इच्छा प्रकट की तो सरकार तुरन्त ही तैयार हो गई अतः सरकार को इसके लिये दोषी न ठहराया जाये कि सरकार ने इसे सभा में लाने में देरी की।

इस मामले में समिति के दो दृष्टिकोण थे। एक तो मानवीय दृष्टिकोण था जिसके द्वारा वह यह चाहती थी कि यदि करदाताओं को किसी प्रकार की परेशानी होती हो तो उसे दूर किया जाये। दूसरा दृष्टिकोण राजस्व प्राप्त करने का था। इन दोनों में सामंजस्य करना था और समिति ने दोनों के प्रति पर्याप्त न्याय किया था। ऐसी आशा है कि आगामी आय-व्ययक सत्र में आय-कर के बारे में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत किया जायेगा। यह भी आवश्यक है कि यह विधेयक प्रवर समिति को जायेगा और जुलाई-अगस्त वाले सत्र में अंतिम रूप से पारित होने के लिये सभा में आयेगा। एक शताब्दि के बाद हम आय-कर अव्यवस्था का सर्वेक्षण कर रहे हैं ताकि आयकर से सरकार को वह आय प्राप्त हो सके जोकि उसे होनी चाहिये।

मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा स्वीकृत और अस्वीकृत सिफारिशों की एक नवीनतम और समेकित सूची शीघ्र ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मेरा विचार है कि इस समिति की सिफारिशों के बारे में कोई भी तथा किसी में भी कोई मत भेद नहीं है चाहे वह सरकार हो अथवा विरोधी दल। कोई भी यह नहीं चाहता कि किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो। सभी यह चाहते हैं कि सरकार को मिलने वाला धन शीघ्रताशीघ्र सरकार को मिले। सभी चाहते हैं कि आयकर के मामले में कोई परेशानी न हो और इस विभाग का प्रशासन अच्छा हो।

श्री बनर्जी ने वही बातें उठाई हैं जो आय कर की चर्चा के समय उठाई जाती हैं जैसे करापवंचन, कर न देने की प्रवृत्ति आदि। उन्होंने यह भी कहा है कि अवकाश प्राप्त कर लेने के बाद पदाधिकारियों को प्रेक्टिस करने अथवा संस्थाओं में नौकरी करने की अनुमती न दी जाये। करापवंचन को न्यूनतम स्तर पर लाने के प्रत्येक संभव उपाय किये जा रहे हैं। यह मांग करना कि करापवंचन बिल्कुल भी न हो असभंव को संभव करने के लिये कहना है। ब्रिटेन और अमरीका तक में, जहां के लोग अधिक उन्नत एवं पढ़े लिखे हैं करापवंचन को पूर्णतः समाप्त करना संभव नहीं हो पाया है। यही नहीं जहां कहीं भी प्रत्यक्ष कर लगाये जाते हैं वहां करापवंचन की भावना पाई जाती है। लेकिन इस बात का मतलब यह नहीं है कि मैं करापवंचन का पक्ष ले रहा हूं। अफसरों से कहा गया है कि वे हिसाब किताब की विशेषरूप से बड़े करदाताओं के हिसाब किताब की अधिक बारीकी से छान-बीन करें और अपवंचन की कोई गुजांइश न रहने दें। यही नहीं बल्कि जहां आवश्यक समझा गया है वहां मामलों के सम्बन्ध में पुनः नये सिरे से कार्यवाही आरम्भ की गई है।

करों की बकाय युद्ध काल की विरासत है। बहुत से आयोगों ने इसकी जांच की है ; कुछ निर्णय भी दिये गये हैं। इस मामले को एक दम नये सिरे से उठाया गया है। हम अपने खातों में बकाया दिखाने के लिये उत्सुक नहीं हैं। इससे प्रशासन की कोई प्रंशासा नहीं होती। हम चाहते

हैं कि जो वसूल होने योग्य हो वह जल्दी से वसूल हो जाये और जो वसूल न होने योग्य हो उसे बट्टे खाते में डाला जाये । इसमें कोई लाभ नहीं है कि हर बार संसद को यह बताया जाये कि इतना वसूल हो गया और इतना बाकी है । हम झूठी आशा में लोगों को नहीं रखना चाहते ।

यह शिकायत की गई है कि कुल बकाया और प्रभावी बकाया में काफ़ी अन्तर है । कुल बकाया २५७ करोड़ रुपये हैं और प्रभावी बकाया १३३.६१ करोड़ रुपये है । यह स्थिति पिछले दस वर्षों से भी अधिक से है । उसका कारण यह है कि जिन पर बकाया था वह पाकिस्तान चले गये हैं । और उन्होंने यहां आस्तियों के रूप में कुछ भी नहीं छोड़ा है । लेकिन फिर भी बकाया को वसूल करने के लिये प्रत्येक संभव प्रयत्न किया जा रहा है । अतः सरकार का इसमें कोई दोष नहीं है । हम तो अपना पूरा पूरा प्रयत्न कर रहे हैं ।

यह ठीक है कि हाल के कुछ वर्षों में मुकदमें नहीं चलाये गये हैं । १९४८---५९ में चलाये गये मुकदमों का यह इतिहास रहा है कि उनमें से शायद ही कोई मुकदमा सफल हो सका था क्योंकि आय-कर अधिनियम की धारा ५१ और ५२ के अधीन न्यायालय को विश्वास दिलाने के लिये जिस प्रकार के सबूतों की आवश्यकता है उन्हें पेश करना विभाग के बूते से बाहर की बात थी ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

न्यायालय के सामने जाने पर कम से कम मामले विफल हुआ करें, इस बात को ध्यान में रखते हुए समिति ने जो विचार रखा है वह सरकार के सामने विचाराधीन है । लेकिन इसका यह अभिप्राय भी नहीं है कि हम मुकदमे चलाना नहीं चाहते । लेकिन मुकदमे में समय भी बहुत लगता है और खर्च भी बहुत होता है ।

जुर्माने भी किये जाते हैं । किन्हीं विशेष मामलों में यह जुर्माने भले ही १५० प्रतिशत तक रहे हों, सामान्यतया ये ५० से ७० प्रतिशत तक ही रहे हैं । दंड सम्बन्धी धारा के अधीन हमने काफ़ी बड़ी राशि इक्ट्ठी की है । जहां कहीं आवश्यक हुआ है वहां हमने अवश्य ही मुकदमे चलाये हैं ।

नाम न बताने का भी विरोध किया गया है । नाम न बताने के कारण अधिनियम में ही दिये हुए हैं । कभी कभी राजस्व के हित में हमें नाम छिपाना पड़ता है । हालांकि उन्हें दंड दिया गया है । अगर वह सभी जानकारी देने को तैयार हो जाता है, अपील नहीं करता और सारा धन तुरन्त ही देने को तैयार हो जाता है तो हम नाम नहीं बताते । पर हमारी मंशा यह नहीं है कि कर विधियों के विरुद्ध अपराध करने वाले व्यक्तियों को संरक्षंण देने के लिये हम उनका नाम न बतायें । लेकिन यह अधिकार बहुत ही कम मामलों में आयुक्त केन्द्रीय राजस्व बोर्ड आदि को दिया है । जुर्माने के मामले में तो यह नाम स्वाभवत : ही गज़ट में प्रकाशित हो जाता है । कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी भी करदाता का बचाव नहीं करते । हम भी इस बात के इच्छुक हैं कि सभी कर न देने वालों के नाम प्रकाशित किये जायें ताकि उनको शर्म आये और भविष्य में ऐसी भूल न करें ।

यह प्रश्न सरकार के सामने विचाराधीन है कि पदाधिकारियों को रिटायर होने के बाद गैर सरकारी फर्मों में नौकरी करने या वकालत करने की अनुमति न दी जाये । यह सरकारी कर्मचारी आचरण नियमों में संशोधन करने का प्रश्न है । अतः हम इस बात पर विचार कर रहे हैं । मौजूदा स्थिति यह है कि जब कोई पदाधिकारी इस सम्बन्ध में सरकार के पास आवेदन पत्र देता है, तो इस बात की जांच की जाती है तो क्या उस व्यक्ति का उस संथा के साथ गत दो या तीन वर्षों में कोई सम्बन्ध

[डा० बे० गोपाल रेड्डी]

रहा है या नही और यदि उसका सम्बन्ध रहा है तो उसे उस संथा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाती । लेकिन उसका सम्बन्ध न रहने पर तो उसे अनुमति न देने की कोई बात नहीं उठती । और हम उसे ऐसा करने की अनुमति दे सकते हैं ।

क्या वह वकालत कर सकते हैं अथवा नहीं, यह प्रश्न संथा में शामिल होने से अलग बात है, अतः इस पर अलग से विचार हो रहा है । वह वकालत कर सकता है, और कोई दूसरा व्यक्ति उनकी सेवाएं ले सकता है यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके लिये सरकारी कर्मचारियों के आचरण नियमों में भी संशोधन करने की आवश्यकता है । हम इन सभी बातों पर विचार कर रहे हैं और इस बात के इच्छुक हैं कि इन अवकाश प्राप्त पदाधिकारियों की सेवाओं का दुरुपयोग न किया जाये । मैं कह सकता हूँ कि पिछले २ या तीन वर्षों में तो कोई घटना ऐसी नहीं हुई है जहां कि किसी पदाधिकारी ने किसी संथा में शामिल होने के लिये पहले अवकाश प्राप्त किया हो ।

सरकार वापसी वाले धन पर ब्याज दे रही है । जिस भी मामले में राशि वापस करने में अनुचित विलम्ब होता है, उसमें सरकार ब्याज देने की इच्छुक है । सरकार ४ प्रतिशत की दर से ब्याज देने को तैयार होगी । अनुचति विलम्ब से हमारा अभिप्राय ६ महीने, ९ महीने या एक वर्ष है और जैसा की स्थिति हो ।

निलिम्वित मामलों को निपटाने के लिये हमने निश्चय किया है कि उनको जल्दी निपटाया जा सके इसलिये वर्तमान ९१ अपीलीय सहायक आयुक्तों में २४ और अपीलीय सहायक आयुक्त बढ़ा दिये जायें ।

यहां कहा गया है कि अनुज्ञप्तियां देने के मामले में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय सावधानी से कार्य ले । बैंकों के राष्ट्रीयकरण तथा अनुज्ञप्तियों पर नियत्रंण की बात पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है और इस बारे में जल्द बाजी में कोई निर्णय नहीं किया जा सकता ।

एक प्रश्न यह उठाया गया है कि क्या अपीलीय सहायक आयुक्तों को विधि मंत्रालयों के अधीन रखा जाये अथवा राजस्व बोर्ड के अधीन । इस पर विवाद भी हुआ है । मेरा निवेदन है कि यह पद एक अर्द्धन्यायिक पद है जिसमें वह पदाधिकारी कराधान के मामलों की जांच करता है । हम चाहते हैं कि वह पदाधिकारी इन मामलों की अच्छी तरह जांच करे ताकि सरकार को प्राप्त होने वाले राजस्व में कोई कमी न आये । अतः यह प्रस्ताव कि अपीलीय आयुक्तों को विधि मंत्रालय के अधीन कर दिया जाये सरकार को स्वीकार नहीं है । क्योंकि ये पदाधिकारी न्यायिक पदाधिकारी नहीं हैं बल्कि अर्द्धन्यायिक पदाधिकारी है और निर्धारण सम्बन्धी काम देखते हैं ।

अंत में मैं निवेदन करूंगा कि माननीय सदस्यों ने जो बातें उठाई हैं उन सभी का उत्तर दे दिया गया है । और मैं यह आश्वासन देता हूँ कि ये सभी बातें उस विधेयक में सम्मिलित कर दी जायेंगी जोकि आगामी सत्र में प्रस्तुत किया जायेगा ।

अवक्षयण भत्ते की भी व्यदस्था की जा रही है । अंत में मैं सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इन सभी महत्वपूर्ण बातों की ओर सरकार का ध्यान दिलाया है ।

†श्री त्यागी (देहरादून) : इस समिति तथा इसके सदस्यों के कार्य की जो प्रशंशा यहां की गई है उसके लिये मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। सरकार ने इस समिति की बहुत सी सिफोरिशें को स्वीकार किया है उसको भी मैं धन्यवाद देता हूँ।

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति, १९५८-६५९ के प्रतिवेदन और उस पर श्री जी० पी० कपाडिया के विमति ज्ञापन, टिप्पणियों और सिफारिशों पर, जो २१ दिसम्बर १९५९ को सभा पटल पर रखे गये थे और वित्त मंत्री द्वारा जांच-समिति की अधिक महत्वपूर्ण सिफारिशों पर दिये गये वक्तव्य पर, जो ९ सितम्बर, १९६० को सभा पटल पर रखा गया था विचार करती है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

इसके पश्चात् लोक सभा बुधवार, ३० नवम्बर, १९६०/९ अग्रहायण, १८८२ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

— —

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

मंगलवार, २९ नवम्बर, १९६०

८ अग्रहायण, १८८२ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१३८७—१४०९
	तारांकित प्रश्न संख्या	
५२७	त्रिवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम	१३८७—८९
५२८	नये विश्वविद्यालय	१३९०—९१
५२९	जनरल तिमय्या की जीवनी	१३९१—९३
५३०	कालेजों और विश्वविद्यालयों में भीड़-भाड़	१३९३—९५
५३१	भूतपूर्व प्रतिरक्षा उत्पादन नियंत्रक	१३९५—९६
५३२	समुद्रीय प्राणिशास्त्र सम्बन्धी अनुसन्धान के लिये केन्द्र	१३९६
५३४	गार्डन रीच वर्कशाप	१३९७—१४००
५३५	भारतीय भाषाओं के द्विभाषी शब्दकोष	१४०१—०२
५३६	भारत में लखपती लोग	१४०२—०३
५३९	टैंकों का निर्माण	१४०३—०५
५४१	कोरबा कोयला क्षेत्र	१४०५—०६
५४२	तेल शोधक कारखाने	१४०६—०९
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१४०९—१४५८
	तारांकित प्रश्न संख्या	
५३३	भिलाई में भूमि का अधिग्रहण	१४०९
५३७	दिल्ली में एक और विश्वविद्यालय	१४०९—१०
५३८	भारतीय टैनिस टीम द्वारा इंग्लिस्तान का दौरा	१४१०
५४०	अनुसूचित जातियां और अनुसूचित आदिम जातियां	१४१०
५४३	माल डिब्बों का आवंटन	१४११
५४४	जीवन बीमा निगम द्वारा धन विनियोजन	१४११

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

५४५	माल-डिब्बे	१४११–१२
५४६	कोयला ढोने के लिये माल-डिब्बे	१४१२
५४७	पैट्रोलियम उत्पाद	१४१२–१३
५४८	नागार्जुनसागर परियोजना	१४१३
५४९	धार्मिक धर्मस्व आयोग का प्रतिवेदन	१४१३–१४
५५०	कच्चा माल समिति	१४१४
५५१	असैनिकों के लिये राइफलों और बन्दूकों का निर्माण	१४१४
५५२	इस्पात कारखानों को कच्चे माल का संभरण	१४१४–१५
५५३	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के लेखा का लेखापरीक्षण	१४१५
५५४	गोलाबारूद की खरीद	१४१६
५५५	दक्षिण के लिये इस्पात कारखाना	१४१६
५५६	भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन	१४१७
५५७	कोयले की कमी	१४१८–१९
५५८	पैट्रोलियम उत्पाद	१४१९
५५९	कोयले का उपभोग	१४१९–२०
५६०	सेना के लिये क्षेप्यास्त्र	१४२०
५६१	प्रामाणिक राष्ट्रीय मानचित्रावली	१४२०
५६२	आयुध कारखानों में खंड कार्य आय	१४२१–२२
५६३	धातु मिश्रित तथा औजारी इस्पात संयंत्र	१४२२
५६४	पश्चिम जर्मनी से ऋण	१४२३
५६५	तेल की खोज का कार्यक्रम	१४२३
५६६	इंडियन एयर लाइन्ज कारपोरेशन का भाटकित विमान	१४२३–२४

अतारांकित
प्रश्न संख्या

९३५	लघु बचत योजनायें	१४२४
९३६	विज्ञान मंदिर	१४२४
९३७	अनुसूचित जातियों के लिये पद	१४२४–२५
९३८	विदेशियों का भारत में अधिक समय तक ठहरना	१४२५
९३९	राजस्व की वसूली	१४२५

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
९४०	शिष्टमण्डलों पर विदेशी मुद्रा . .	१४२५
९४१	मध्य प्रदेश में आय-कर की बकाया . . .	१४२५
९४२	लखनऊ की छतर मंजिल	१४२६
९४३	पंजाबी भाषा का विकास	१४२६
९४४	पंजाब में स्कूल छात्रावास	१४२७
९४५	हिमाचल प्रदेश के लिये लोहे की चादरें . . .	१४२७
९४६	पंजाब विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक समारोह . .	१४२८
९४७	"जिला गजेटियर्स"	१४२८–२९
९४८	उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का खनिज सर्वेक्षण . .	१४२९–३०
९४९	मेक्सिको में कृषि विकास सम्बन्धी रिपोर्ट, . .	१४३१
९५०	विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम .	१४३१
९५१	उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश . .	१४३१–३२
९५२	रेलवे बुकिंग एजन्सी, दिल्ली में हत्या	१४३२
९५३	बैंकों का फेल होना . .	१४३२
९५४	कर सम्बन्धी बकाया राशियां . . .	१४३२–३३
९५५	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क और आय-कर .	१४३३
९५६	इस्पात के स्टाकिस्ट . .	१४३४
९५७	उड़ीसा की संस्कृत संस्थाओं को सहायता . . .	१४३४
९५८	उड़ीसा में लड़कियों की शिक्षा .	१४३४–३५
९५९	उड़ीसा में भूतत्वीय खुदाई	१४३५
९६०	कृत्रिम वर्षा	१४३५–३६
९६१	केरल राज्य के ग्रामों में सामाजिक तथा आर्थिक जीवन	१४३६
९६२	'कृत्रिम समुद्री युद्ध" . . .	१४३६–३७
९६३	दुर्गापुर में ट्रामवे . . .	१४३७
९६४	भारतीय सेना के अफसर . . .	१४३७–३८
९६५	सीमान्त क्षेत्रों में अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा. . .	१४३८
९६६	भारत में विदेशी राष्ट्रजन . .	१४३९
९६७	दिल्ली प्रशासन में पंजाबी का प्रयोग . .	१४३९
९६८	त्यागी समिति की सिफ़ारिशों की कार्यान्विति . .	१४३९–४०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या		
९६९	जनगणना विभाग	१४४१
९७०	मंत्रियों के दौरे	१४४१
९७१	अल्प बचत संसाधन .	१४४१–४२
९७२	विकास ऋण निधि के नये ऋण .	१४४२–४३
९७३	लन्दन में जीवन बीमा निगम का कार्यालय	१४४३
९७४	अखिल भारतीय विज्ञान सेवा	१४४३–४४
९७५	भोपाल के नवाब का उत्तराधिकारी	१४४४
९७६	मृत्यु शुल्क की वसूली . . .	१४४४
९७७	भोपाल के नवाब के नये उत्तराधिकारी की निजी थैली	१४४४–४५
९७८	भारत द्वारा दिये गये ऋण . .	१४४५
९७९	पंजाब को शिक्षा सम्बन्धी अनुदान .	१४४५
९८०	सरकारी कर्मचारियों को बोनस .	१४४५–४६
९८१	विभिन्न करों की राशि	१४४६
९८२	अफीम की खेती .	१४४६
९८३	अफीम की खेती में वृद्धि	१४४७
९८४	अनुसूचित आदिम जातियां	१४४७
९८५	केरल में लिग्नाइट के निक्षेप .	१४४७–४८
९८६	अन्तर्राज्यीय सांस्कृतिक प्रतिनिधिमंडल	१४४८
९८७	त्रिपुरा में आदिम जाति संगठन	१४४८
९८८	सिद्धपुर (गुजरात) में रुद्रमहल	१४४८
९८९	दिल्ली नगर निगम के सदस्य	१४४९
९९०	पंजाब की तेल की मांग	१४४९
९९१	अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कानूनी सहायता	१४४९–५०
९९२	दिल्ली में बाल भवन	१४५०
९९३	ट्रांसमिटरों का निर्माण	१४५०
९९४	ग्वालियर में भूमि	१४५०–५१
९९५	दिल्ली में चुंगी का लिया जाना	१४५१
९९६	अध्यापक . .	१४५१–५२

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
९९७	समाज कल्याण केन्द्र	१४५१
९९८	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क विभाग के कार्य के बारे में प्रतिवेदन	१४५२–५३
९९९	वेतन की बकाया राशि	१४५३
१०००	रूस से तेल	१४५३
१००१	जाली पारपत्र का मामला . .	१४५३–५४
१००२	विमान दुर्घटनायें . . .	१४५४
१००३	केन्द्रीय राजस्व बोर्ड में अपर डिवीज़न क्लर्क	१४५४–५५
१००४	गुजरात में कोयले के निक्षेप .	१४५५
१००५	मंत्रालय के निर्धारित फार्म . . .	१४५५
१००६	सामान्य निर्वाचन के लिये हिन्दी के फार्म	१४५६
१००७	असिसटेन्टों के वेतन क्रम	१४५६
१००८	देर तक काम करने का भत्ता	१४५७
१००९	अवैध शराब का निर्माण .	१४५७
१०१०	संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा . .	१४५७
१०११	प्रौढ़ अन्ध प्रशिक्षण केन्द्र, देहरादून	१४५८
१०१२	दिल्ली में बुनियादी शिक्षा	१४५८
१०१३	खांडसारी पर उत्पादन शुल्क	१४५८
प्रधान मंत्री द्वारा वक्तव्य		१४५९
प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) ने ८ मार्च, १९६१ को लन्दन में आरम्भ होने वाले राष्ट्रमंडल प्रधान मंत्रियों के सम्मेलन के बारे में एक वक्तव्य दिया ।		
सभा पटल पर रखे गये पत्र		१४५९
(१) इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेकनोलोजी (खड़गपुर) अधिनियम, १९५६ की धारा २३, की उप-धारा (४) के अन्तर्गत इंडियन इंस्टीच्यूट आफ टेकनोलोजी, खड़गपुर के वर्ष १९५८–५९ के प्रमाणित लेखे की एक प्रति तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षित लेखे सहित ।		
(२) नागरिकता अधिनियम, १९५५ की धारा १८ की उप-धारा (४) के अन्तर्गत दिनांक २४ सितम्बर, १९६० की अधिसूचना संख्या एस० ओ० २२९० में प्रकाशित नागरिकता (संशोधन) नियम, १९६० की एक प्रति ।		

सभा पटल पर रखे गये पत्र--(क्रमशः) पृष्ठ

वर्ष १९६०-६१ के लिये अनुदानों की अनुपूरक मांगों के बारे में विवरण . १४५९

वित्त मंत्री (श्री मोरारजी देसाई) ने वर्ष १९६०-६१ के आय-व्ययक (सामान्य) के सम्बन्ध में अनुदानों की अनुपूरक मांगों का एक विवरण उपस्थापित किया ।

तारांकित प्रश्न संख्या ६९२ के उत्तर की शुद्धि . . . १४६०

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) ने साहित्य रत्न परीक्षा के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ६९२ पर २४ अगस्त, १९६० को सेठ गोविन्द दास, पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय और सर्वश्री चपलाकांत भट्टाचार्य और रघुनाथ सिंह द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

विधेयक--विचाराधीन . . १४६०-७९

समवाय (संशोधन) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, अग्रेतर खंडवार चर्चा जारी रही । खंडवार चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १४७९-९३

श्री स० मो० बनर्जी ने प्रत्यक्ष कर प्रशासन जांच समिति के प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव प्रस्तुत किया । कुछ चर्चा के बाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

बुधवार, ३० नवम्बर, १९६०/९ अग्रहायण, १८८२ (शक) के लिये कार्यावलि

समवाय (संशोधन) विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, अग्रेतर खंडवार चर्चा और विधेयक का पारित किया जाना; और सिन्धु पानी करार के बारे में चर्चा ।

GMGIPND—LS III—1477 (Ai) LS—23-12-60—115